खण्ड-299, अंक-6
बुधवार, 11 श्रावण, शक संवत् 1894
(2 अगस्त, 1972 ई0)

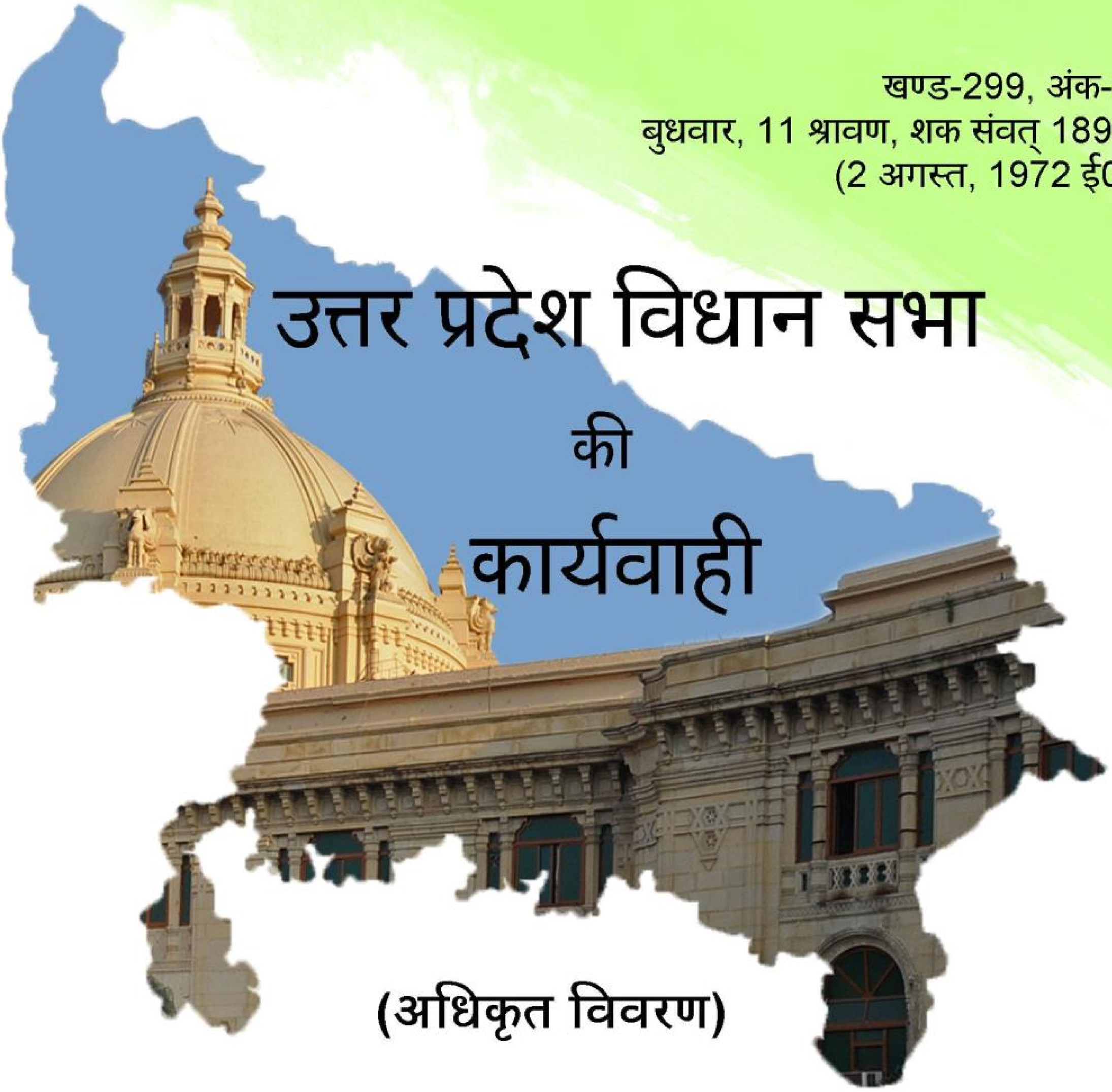

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 299 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## बुधवार 2 अगस्त, 1972

**विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।**

## उपस्थित सदस्य—397

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्र लाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमा शंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री

ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती

गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्र भान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा0मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे0 एन0 सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी0 पी0 बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह, 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दलसिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल श्री

बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री,
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरजध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशी लाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोती लाल यादव, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री

राम गोपाल संड, श्री
राम चरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम जियावन, श्री
राम जी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
राम धारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम बचन, श्री (जिला आजमगढ़—
रानी की सराय)
राम बचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़,
फूलपुर)
राम बिलास पांडेय, श्री
राममूर्ति "अंचल", श्री
राम रतन पांडेय, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
राम लाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायश शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोण्डा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिंडारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिववचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री

शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोटः—सूचना राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम दास टन्डन भी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# प्रश्नोत्तर

बुधवार, २ अगस्त, १९७२

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### डिवाइन लाइट मिशन प्रेमाश्रम, हरिद्वार (सहारनपुर) के बालयोगेश्वर के विरुद्ध आरोप

** 1—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल) तथा श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मंत्री जी बतानें की कृपा करेंगे कि डिवाइन लाइट मिशन, प्रेमाश्रम, हरिद्वार (जिला सहारनपुर) के तथाकथित भगवान बालयोगेश्वर का सीधा सम्बन्ध अमरीका से है और इनके द्वारा कई अनियमित तथा देशद्रोही कार्य किये गये जिनके विषय में प्रश्नकर्ता ने जनवरी, 1972 के तीसरे सप्ताह में सरकार का ध्यान आकर्षित कर प्रज्ञान विभाग द्वारा जांच कराने की प्रार्थना की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रज्ञान विभाग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

प्रश्नगत परिवादों के सम्बन्ध में की गयी जांच से अभी तक कोई निश्चयात्मक तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं जिनसे डिवाइन लाइटमिशन, प्रेमाश्रम नगर आश्रम, हरिद्वार (जिला सहारनपुर) के तथाकथित बाल योगश्वर के अमरीका से सम्बन्ध होने की पुष्टि हो सके । प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में निवेदन है कि चूंकि अभिसूचना विभाग की जांच रिपोर्ट गोपनीय है अतः उसको सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको कोई ऐसी सूचना मिली है 1 जून को न्यूयार्क के मेयर ने इनके लिये विशेष आनर किया है । यह आनर उन्हीं लोगों को किया जाता है विशेषरूप से जो उनके एजेन्ट होते हैं । यदि हां, तो सरकार ने इनके विषय में क्या निर्णय लिया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सरकार को इसकी सूचना नहीं है । इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार ने इस बात की जांच करवाई है कि उनके पास इतनी अपार सम्पत्ति और धन कहां से आता है । अगर इसकी जांच करवाई गई है तो क्या वह यह बतायेंगे कि उनके धन प्राप्त करने के श्रोत कौन-कौन से हैं । अगर अभी तक इसकी जांच नहीं हुई है तो क्या उसकी जांच करवाई जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जैसा कि मैंने निवेदन किया उनके विरुद्ध जो भी आरोप थे उनकी जांच की गई । यह भी आरोप था कि धन प्राप्त करने के कौन से साधन हैं । उनके जो साधन हैं उसमें चन्दा, गरु दक्षिणा है । विदेशों में भी उनके शिष्य हैं और उनसे भी उनको धन मिलता है । यही धन के श्रोत हैं ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जैसा कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि विदेशों से धन मिल रहा है, अकेले अमरीका में इस प्रकार की 24 संस्थायें काम कर रहीं हैं । वहां उनको बैम्बू जेट हवाई जहाज भी मिले हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैंने निवेदन किया कि विदेशों में भी उनके शिष्य हैं उनसे उनको बहुत सा धन मिलता है । एक जेट विमान भी दिया गया है । इसके अतिरिक्त और कोई जानकारी होगी वह बतायी जायगी ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि डिवाइन लाइट मिशन कितने समय से काम कर रहा है और जो सूचना है उससे शक होता है कि यह अमरीका के एजेन्ट की तरह से काम रहे हैं । क्या इस पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

अभी तक तो जो जांच हुई है उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उनका सम्बन्ध किसी एजेन्सी से है । अभी तक जांच की ही जा रही है । लेकिन ऐसी बात नजर नहीं आई है । जहां तक कि धन मिलने का सवाल है उसमें बहुत से साधन हैं जिनसे इनको धन मिलता है । जो जांच हो रही है उससे यह ज्ञात नहीं होता कि इनका सम्बन्ध किसी एजेन्सी से है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय मंत्री जी के लिखित उत्तर से सम्बन्धित । प्रश्नगत परिवादों की जांच सरकार ने किस एजेन्सी की मार्फत करायी और क्या यह भी शक सही है कि केन्द्रीय सरकार भी इस प्रकार की शिकायतों की जांच करा रही है ? यदि हां, तो दोनों का क्या उत्तर है और उसकी क्या प्रगति है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इसकी जांच हमारे अभिसूचना विभाग द्वारा करायी गयी है और जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने भी हमारी ही गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार से ही कुछ जानकारी की है और जो कुछ उनके पास शिकायतें पहुंची थीं वह भी उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के पास भेज दी हैं ।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह आश्रम हरिद्वार के किस स्थान पर स्थित है और उसकी क्या रूपरेखा है ? कितने आदमी वहां स्थायी रूप से रहते हैं और कितने आते-जाते हैं अनुमानतः ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह तो बड़ा विस्तृत प्रश्न है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि हरिद्वार में ब्रांच है, देहरादून में भी कर रखा है और मुरादाबाद में भी है । 3–4 कार्यालय और ब्रांचेज काम कर रही हैं । कितने आदमी आते-जाते हैं, इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह जो इनका आश्रम है जिसकी ब्रांच देहरादून में भी है, उनके कुछ व्यक्तियों के खिला मुकदमें दायर हुये हैं ? यदि हुए हैं, तो किस धारा के अन्दर ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह तो बड़ा विस्तृत प्रश्न कर दिया । इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि अमरीका में इस मिशन की किस प्रकार की एक्टिविटीज हैं और अमरीका के अधिकारियों से इसका सम्पर्क है या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया है अभी तक जो जांच हुई है उससे प्रतीत नहीं होता है कि ऐसा कोई सम्बन्ध है मगर फिर भी हम जागरूक हैं और जांच जारी है ।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति या सरकारी अधिकारी भी इस संस्था के अनुयायी हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसके लिय तो सूचना की आवश्यकता होगी, हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

31 दिसम्बर, 1971 को इसी सदन में नौटियाल जी का एक प्रस्ताव आया था इसी के मुताल्लिक और इनको बाबा लोगों न जान से मारन की धमकी दी थी तो सरकार ने इनको शैडो दे दिया । फिर सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जो आरोप लगाये गये थे उनकी जांच की गयी और उनकी सुरक्षा के लिए एक शैडो दे दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इस देश में अमरीका के सी0 आई0 ए0 के जरिये बाल योगेश्वर के आश्रम चल रहे हैं ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है या जानकारी करायी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैंने तो निवेदन किया कि जांच हुई । उसमें कोई प्रमाण अभी तक ऐसा नहीं मिला जिससे यह मालूम हो कि इस संस्था का सम्बन्ध सी0 आई0 ए0 से है ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा कि सी0 आई0 ए0 की इन्क्वायरी की जो रिपोर्ट है वह बताना जनहित में नहीं है यह गलत है । मैं तो यह कहूंगा कि सदन को ये बताना नहीं चाहते । आज तक सरकार ने उनके खिलाफ कोई इन्क्वायरी नहीं करायी और जब माननीय नौटियाल जी ने लिखित दिया तो उनकी जान की रक्षा के लिये शैडो दे दिया . . .

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप बहस कर रहे हैं । आप प्रश्न पूछिये ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री जी उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने तो कह दिया कि गोपनीय है नहीं रख सकते ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

प्रश्नकर्ता ने इस विषय के सम्बन्ध में क्या चिट्ठी लिखी थी, उसके कटेन्ट्स क्या हैं और उसकी जांच किस के जरिये से करायी गयी और जो मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी उसकी जांच की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह जांच अभिसूचना विभाग द्वारा करायी गई । जो चिट्ठी प्राप्त हुई उसे मैं पढ़े देता हूं आपकी आज्ञा से, वह इस प्रकार है—माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ,

मान्यवर,

गत 31 जनवरी को उत्तर प्रदेश विधान सभा में मैंने कांग्रेस के विधायक की हैसियत से "होम गार्ड सम्बन्धी एक संशोधन विधेयक के ऊपर हुई बहस के दौरान डिवाइन लाइट मिशन के प्रधान प्रेमपाल सिंह रावत उर्फ बालयोगेश्वर और उसके पिता हंसा सिंह के कारनामों और राष्ट्र विरोधी हरकतों का पर्दाफास किया था । डिवाइन लाइट मिशन के प्रेमाश्रम, हरद्वार के तत्वाधान में दिनांक 10 दिसम्बर, 1971 को एक विराट सभा का आयोजन हरद्वार में किया गया । इस सभा मंच से बोलते हुये बालयोगेश्वर की मां ने कहा था कि नारी इस देश के विध्वंस का कारण रही है । रामायण काल में शूर्पनखा, महाभारत काल में द्रौपदी और इस कालियुग में भी एक नारी विध्वंस का कारण होगी । उस शूर्पनखा को पहचानना आसान है जिसके कारण आज भारत-पाक युद्ध हो रहा है । उसने आगे कहा कि जब तक इन्दिरा गांधी बालयोगेश्वर से माफी नहीं मांगती तक तब भारत की विजय नहीं हो सकती । यह प्रचार तब किया गया जब कि भारत-पाक युद्ध जोरों से हो रहा था । यही नहीं, उत्तराखंड के श्रीनगर में इनकी एक और सभा हुई जिसमें इनके विदेशी शिष्यों ने कहा कि भगवान का अवतार इस उत्तराखण्ड में हो गया है । उसे पहचानिये और उसके कहे पर चलिये । हम भी उन्हें उनके गुरु-ज्ञान को पाकर धन्य हुये हैं । अब हमें उत्तराखण्ड में उनकी वाणी का प्रचार करना है और उत्तराखण्ड में कब्जा करना है । इस प्रकार से देशद्रोही वातावरण बनाया जा रहा है. . ."

मान्यवर, इस प्रकार का यह शिकायती-पत्र 3–4 पृष्ठ का है, कहें तो सब पढ़ूं ।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

पूरी चिट्ठी मान्यवर न पढ़ें, उनका मुख्य-मुख्य सारांश ही बता दें ।. . . (व्यवधान) . . .

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मुख्य 7 प्वाइन्ट्स हैं—1—बालयोगेश्वर तथा उनके अनुयाइयों द्वारा प्रचार किया जाना कि वह स्वयं भगवान का अवतार हैं ।

2—श्रीमती इन्दिरा गांधी को बालयोगेश्वर तथा उनकी माता द्वारा शूर्पनखा की संज्ञा देना ।

3—दिनांक 10 दिसम्बर, 1970 को हरिद्वार में संतजी के जन्मोत्सव पर अपने भाषण में श्रीमती राजेश्वरी देवी ने श्रीमती गांधी को संत जी की शरण में आकर भारत-पाक युद्ध जीतने के लिये क्षमा याचना करने की सलाह देना ।

4—उत्तरखण्ड में डिवाइन लाइट मिशन का सम्मेलन होना जिसमें 500 हिप्पियों द्वार भाग लिया जाना तथा उनके द्वारा निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश व चित्रांकन करना ।

5——उक्त संस्था का सी0 आई0 ए0 द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में प्रेरित होना ।

6——बालयोगेश्वर के निवास-स्थान 13 म्युनिस्पिल मार्ग, देहरादून में ट्रांसमीटर का होना ।

7——डिवाइन लाइट मिशन की समाज विरोधी अन्य गतिविधियां ।

श्री अनन्तराम जायसवाल——

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बालयोगेश्वर का जो आश्रम या कैम्प है उसमें असाधारण रूप से धन खर्च हो रहा है ? क्या सरकार ने पता लगाने की कोशिश की है कि उसका स्रोत क्या है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह——

जो जांच हुई उससे पता चला कि सारे संसार में, विभिन्न देशों में उनके शिष्य हैं और उनके जरिये से उनको पैसा मिला है इसी से उनका खर्च चलता है ।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)——

क्या मंत्री जी इसकी भी जांच करेंगे कि सारे हिन्दुस्तान में अनेक गण्यमान्य व्यक्ति-विद्वान और उच्च व्यक्ति उनके भक्त हैं ? और यह बालयोगेश्वर जी 14 वर्ष की आयु में इस प्रकार का प्रवचन करते हैं, कि शायद उसे मंत्री जी भी सुननें जायं तो उनकी वेद-वेदान्त की बात सुनकर उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे ? और इनके भक्त इनको अपनी श्रद्धा से दान देते हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह——

सारी बातों की जांच हो चुकी है । फिर भी जैसा कह रहा हूं, और जांच करा लूंगा ।

## प्रदेश स्तरीय राज्य योजना आयोग का गठन

** 2——श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)——

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार प्रदेश स्तर पर कोई योजना आयोग गठित करने जा रही है । यदि हां, तो कब से तथा उसकी विस्तृत रूपरेखा क्या होगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह——

सरकार ने प्रदेश स्तर पर एक राज्य योजना आयोग के गठन करने का निश्चय किया है । राज्य योजना आयोग का गठन शीघ्र ही एक विज्ञप्ति द्वारा किया जायगा ।

प्रस्तावित आयोग की रूप रेखा निम्न प्रकार होगी:——

(क) राज्य योजना आयोग एक सलाहकार संगठन होगा तथा उसके निम्नलिखित कार्य होंगे:——

(1) राज्य के विभिन्न प्रकार के संसाधनों (भौतक, वित्तीय एवं जन-शक्ति) का अनुमान लगाना तथा राज्य के विकास में इनके सर्वोत्तम उपयोग के बारे में सुझाव देना ।

(2) राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं, संसाधनों एवं क्षमता को ध्यान में रखते हुये क्षेत्रवार और कार्यक्रमवार अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनायें बनाना ।

(3) राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधक कारणों को इंगित करना तथा योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु उनका समाधान ढूंढ़ना ।

(4) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलन को दूर करने हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का सुझाव देना ।

(5) आयोजनागत कार्यक्रमों की समीक्षा करना ।

(6) नियोजन एवं विकास की प्रणाली में संशोधन इंगित करना ।

(ख) प्रस्तावित राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष क्रमशः मुख्य मंत्री व वित्त मंत्री होंगे । राज्य नियोजन मंत्री के अतिरिक्त कृषि, उद्योग, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र के विख्यात गैर सरकारी विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे । मुख्य सचिव वित्त सचिव, एवं अध्यक्ष राज्य विद्युत् परिषद् इसके सरकारी सदस्य होंगे और नियोजन सचिव, सदस्य सचिव ।

(ग) सचिवालय का नियोजन विभाग राज्य योजना आयोग का सचिवालय होगा ।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह---

यह बहुत ही अहम सवाल है, इस पर आधे घन्टे की चर्चा का आप समय दे दीजिये ।

(मंत्री जी मूल उत्तर पढ़ते रहे, किन्तु सदन में जोर का शोर होता रहा ।)

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मेरा प्रश्न काट दिया गया है ।

श्री रामकुमार शास्त्री---

देवरिया में 25 हजार आदमी इकठ्ठा हुये थे, उन पर गोली चलाई गई, इन्हीं बालयोगेश्वर का वह जलसा हुआ था ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यदि सदन शान्त नहीं होगा तो मैं हाउस स्थगित कर दूंगा ।

श्री सुखपाल पांडेय ---

आप आधे घन्टे की चर्चा दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

आप लिखकर तो भेजिये तब होगा । आप (मंत्री जी) फिर से इसका उत्तर पढ़ दीजिये । यह साफ नहीं है इसके सरकारी सदस्य होंगे, नियोजन सचिव, सदस्य सचिव ।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

नियोजन सचिव सदस्य सचिव होंगे ।

श्री त्रिलोक चन्द्र---

माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने योजना आयोग गठित करने के लिये कहा है इसमें कितने सरकारी और कितने गैर सरकारी सदस्य होंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मान्यवर, इस उत्तर में ही है । मंत्रिगण होंगे, इसके अलावा कृषि, उद्योग, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र के गैर-सरकारी विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे ।

श्री त्रिलोक चन्द्र---

स्पष्ट नहीं हुआ । उनकी संख्या क्या होगी, गैर-सरकारी कितने होंगे और सरकारी कितने होंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

इसके अनुसार लगभग 8 सदस्य गैर-सरकारी होंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह योजना आयोग केन्द्रीय योजना आयोग के साथ कैसे तालमेल रखेगा, उस योजना के अनुसार अपनी योजना बनायेगा या अलग से इनकी योजना होगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

क्या कार्य क्षेत्र होगा यह मैंने उत्तर में बिलकुल स्पष्ट कर दिया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

एक बड़ा योजना आयोग, केन्द्रीय योजना आयोग है । उसकी एक योजना होगी, एक प्रारूप होगा । एक प्रान्तीय योजना आयोग होगा, दोनों का तालमेल नहीं होगा तब तक योजना चल नहीं सकती, क्या उस प्रारूप के अन्दर ही योजना होगी या इंडिपेंडेन्टली अपना काम करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

जो हमारे संसाधन हैं उसके अनुसार कार्य क्षेत्र होगा । तालमेल एक दूसरे से होता ही है ।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो प्लानिंग कमीशन के सरकारी सदस्य होंगे वह अपने स्वतंत्र कार्यक्षेत्र में रह कर काम करेंगे या एक्स्ट्रा अलाउन्स वगैरह पाएंगे इस काम के लिये ?

श्री अध्यक्ष---

अलाउन्स का सवाल इससे उठता नहीं ।

श्री त्रिलोक चन्द्र---

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जो आयोग गठित किया गया है एक साल में अन्दाजन कितना वित्तीय खर्च होगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

इसमें कितना और अलग से खर्च होगा इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 1950 से अब तक जो योजनाएं चल रही थीं वह आयोग के द्वारा चल रही थीं, कौन सी विशेष परिस्थिति, कारण उत्पन्न हो गये जिससे इस आयोग के बनाने की जरूरत पड़ गयी ? दूसरी चीज यह कि क्या इस आयोग में सरकारी सदस्यों को खपाने की कोशिश कर रहे हैं जो मंत्रि-मंडल में नहीं आ सके हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

ऐसा तो कोई विचार नहीं है कि जो मंत्रि-मंडल में नहीं आये हैं उनको लिया जा रहा है । जो योग्य व्यक्ति होंगे उनको इसमें शामिल करने का विचार है ।

श्री बलबीर सिंह—

जो गैर सरकारी सदस्य रखे जा रहे हैं उनका वेतन तथा भत्ता वही होगा जो मिनिस्टर का होता है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

अभी इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है । क्या पर्सनल होगा इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

प्रादेशिक आयोजना आयोग के मातहत केन्द्र के ढंग पर कोई कृषि आयोग बनाने के प्रश्न पर भी सरकार विचार कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह तो अलग प्रश्न है । इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

अभी तक जो योजनायें लागू हुई हैं वे भेदभावपूर्ण नीति पर हुई हैं जिसके फलस्वरूप कुछ जिले बहुत विकसित हो गये हैं और कुछ बहुत पीछे हैं तो क्या सरकार इन पिछड़े जिलों का प्रतिनिधित्व इस कमीशन में करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

आपके सुझाव पर विचार कर लेंगे ।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

इसी प्रकार एक प्रस्ताव पर गुप्ता जी के जमाने में विचार हुआ था और उसको अस्वीकार कर दिया गया था, क्या इसकी जानकारी राज्य मन्त्री को है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मुझे इतनी पिछली जानकारी नहीं है । इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री बंशीधर पांडेय—

इस बात को देखते हुए कि भारत की सारी योजनाओं का पुनरीक्षण प्लानिंग कमीशन के लेविल पर होता है और जैसा चौधरी साहब ने कहा प्रदेश का अलग से प्लानिंग कमीशन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी जब कि तीन रीजनल कारपोरेशन भी डेवलपमेंट के बनाने की बात कही गयी है तब फिर इस बीच में स्टेट प्लानिंग कमीशन के बनाने का क्या औचित्य है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

रीजनल प्लानिंग बोर्ड्स की आवश्यकता प्रदेश के विभिन्न बैकवर्ड भागों के लिये थी लेकिन स्टेट के नियोजन के लिये यह जरूरी समझा गया कि नियोजन सम्बन्धी संस्थाओं का एक दूसरे से सम्बन्ध बना रहे उस आवश्यकता को देखते हुए इसका गठन किया जा रहा है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या इस प्रादेशिक योजना आयोग का कार्यकाल शेष चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का होगा और इसमें जो गैर-सरकारी सदस्य होंगे उनमें असेम्बली तथा कौंसिल के सदस्य भी होंगे ? यदि हां, तो कितने?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं बहुत से विशेषज्ञ इसमें होंगे। विधायक भी हो सकते हैं अगर वह विशेषज्ञ है तो।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

जब आयोग के सदस्य सरकारी तथा गैर-सरकारी अलग से होंगे तो फिर उसके लिये क्या सरकार ने कोई खर्चे की भी व्यवस्था की है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जब एक आयोजना आयोग गठित किया गया है तो खर्चा होगा ही। कितना होगा यह मैं इस समय नहीं बतला सकता।

## सेनपुर गढ़ी (सीतापुर) के मोलहे पर अत्याचार

**3—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15/16 जुलाई, सन् 1972 की रात में सेनपुर गढ़ी, थाना कमलापुर, जिला सीतापुर निवासी श्री मोलहे को लूट लिया व घर फूक दिया परन्तु रिपोर्ट लिखाने पर भी जांच नहीं की गई ? क्या यह सही है कि मोलहे व उसके बाल-बच्च भाग कर सीतापुर में पड़े हैं क्योंकि गांव जाने पर उनकी जान को खतरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री मोलहे को गांव भेजवा कर उसकी जान रक्षा करने की कृपा करेगी ?

विद्युत् गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

सेनपुर गढ़ी, थाना कमलापुर, जिला सीतापुर के निवासी श्री मोलहे ने दिनांक 17-7-72 को थाना कमलापुर पर इस आशय की सूचना दी कि दिनांक 15/16—7-72 को रात 12 बजे दो व्यक्ति वादी के घर आये और दरवाजा काटना शुरू किया तथा अपशब्द कहे। उन लोगों ने दरवाजा तोड़ डाला। वादी जब घर के पीछे की ओर से भागा तो उक्त दो व्यक्तियों में से एक ने उसका पीछा किया तथा दूसरे ने घर में आग लगा दी। इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा 436 भारतीय दण्ड विधान का चयन किया गया तथा विवेचना शुरू की गई। विवेचना जारी है।

श्री मोलहे तथा उसके बच्चे अपने गांव में हैं। पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्ष कमलापुर को यह आदेश दिये हैं कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि श्री मोलहे को किसी प्रकार से परेशान न किया जाय और यदि आवश्यक हो तो निरोधात्मक कार्यवाही की जाय।

श्री रामलाल राही—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन दो व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई है वे सरकारी कर्मचारी हैं ? यदि हां, तो क्या पुलिस ने उनके विभागों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के लिये लिखा है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, उसमें एक लेखपाल हैं और एक अध्यापक हैं जो कि उसी गांव के रहने वाले हैं। इस मामले में उनकी आपस में रंजिश पहले से चली आ रही है। उसी पर यह वाद-विवाद हुआ है। इतनी सूचना है।

श्री रामलाल राही—

क्या माननीय मन्त्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस दिन रिपोर्ट लिखाई गई उसके कितने दिन बाद पुलिस मौके पर जांच करने पहुंची ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, यह घटना 15/16 जुलाई के 12 बजे की है और 17 तारीख को 18 बजकर 10 मिनट पर सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद तीसरे दिन सी0 ओ0 वहां पर जांच करने के लिये गया और उसने जांच की।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो दो कर्मचारी उस गांव के रहने वाले हैं उनके साथ कुछ आपस में झगड़ा है। जब इन लोगों ने अपराध किया है तो क्या सरकार की तरफ से इनकी मुअत्तली के आदेश हुए या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, जो प्रारम्भिक जांच की गई उसमें लिखा है कि आपस में दोनों में वाद-विवाद हुआ। जिसके घर पर आग लगी उसने भी कहा है कि मैंने आग लगते हुए नहीं देखा है। पूरे गांव ने यही कहा है कि वाद-विवाद होने के बाद वे चले गये और उसके बहुत देर बाद आग लगी। इसलिये जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है तब तक कोई ऐक्शन लेना उचित नहीं है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मैं कई दफे खड़ा हुआ हूं आपने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया है....

श्री अध्यक्ष—

मैंने जायसवाल जी को बुलाया है। आप बैठिये। आप पहली दफे खड़े हुए हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने अपने प्रश्न में जो सूचना दी है वह व्यक्ति अपना घर छोड़कर सीतापुर चले गये हैं, क्या यह सही है ? यदि यह सही है, तो उसके बाद क्या कार्यवाही की गई ताकि वह व्यक्ति अपने गांव में वापस आ जाय ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस समय वे अपने गांव में ही रह रहे हैं। सीतापुर अवश्य गये थे लोगों से शिकायत करने के बाद वे अपने बाल-बच्चों के साथ वापस आ गये हैं। पुलिस को निदेश दिया गया है कि उनकी सुरक्षा का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाय।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

मान्यवर, जो विवेचना माननीय मन्त्री जी ने की है उससे यह साबित हो गया है कि मुद्दई और मुल्जिमान की बहुत पहले से रंजिश चली आ रही थी इस कारण से अभी तक कोई कार्यवाही उन पर नहीं की जा सकी है, न ही उनकी गिरफ्तारी हुई है और न ही मुअत्तली ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, रंजिश के कई रूप होते हैं। एक प्रकार की रंजिश तो ऐसी होती है जो कि गांवों में मामूली तरीके की रंजिश आपस में लोगों से हुआ करती है और दूसरी रंजिश बहुत पुरानी यानी पुश्तैनी रंजिश होती है। तो यह ऐसी रंजिश नहीं है क्योंकि इसमें दरवाजे तोड़ने आदि का भी प्रमाण नहीं मिला है। आपस में जो वादी हैं और जिसने रिपोर्ट लिखाई है उसने भी इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं कराई है कि उसने आग लगाते हुए देखा है या नहीं।

## ब्राह्मणपुरा (आजमगढ़) में बम विस्फोट

**4—श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत चिरैयाकोट, थाना क्षेत्र के ब्राह्मणपुरा ग्राम में दिनांक 11 जुलाई, 1972 को श्री बंशीधर दुबे के दरवाजे पर बैठे लोगों पर असामाजिक तत्वों द्वारा बम फेंका गया जिसमें 1 लड़के की घटनास्थल पर ही मत्यु हो गई और कई एक घायल हुए ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है और पुलिस द्वारा कौनसी कार्यवाही की गई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

दिनांक 11–7–72 को, प्रश्न में उल्लिखित आशय की कोई घटना-ग्राम ब्राह्मणपुरा थाना चिरैयाकोट, जिला आजमगढ़ में नहीं हुई ।

दिनांक 13–7–72 को श्री बंशीधर दुबे निवासी ग्राम ब्राह्मणपुरा ने थाना चिरैयाकोट पर इस आशय की एक लिखित रिपोर्ट दी कि 12/13—7-72 को रात में जब वे अन्य लोगों के साथ अपने दरवाजे बैठे बातचीत कर रहे थे अचानक किसी ने एक बम फेंकने जिसके फटने से वादी तथा दो अन्य व्यक्तियों को चोटें आईं । अधेरे के कारण किसी को पहचाना न जा सका ।

इस रिपोर्ट के आधार पर थाना चिरैयाकोट पर एक मुकदमा धारा 324 दण्ड विधान के अन्तर्गत दर्ज किया गया और अन्य व्यक्तियों को अस्पताल भेजा गया । प्राथमिक जांच के बाद मुकदमा धारा 324/307 भारतीय दण्ड विधान में परिवर्तित किया गया । घायल व्यक्तियों में से एक (राजेन्द्र दुबे वादी का पुत्र) की अस्पताल में मृत्यु हो गई जिसकी सूचना प्राप्त होने पर मुकदमा धारा 302/307 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया ।

मुकद्दमें में जांच जारी है ।

श्री श्यामलाल कनौजिया—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस घटना की जानकारी के बाद पुलिस द्वारा धारा 324 का मुकदमा क्यों दर्ज किया गया जब कि केस 307 का बनता था ?

श्री अध्यक्ष—

307 का मुकदमा तो है ।

श्री श्यामलाल कनौजिया—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मृतक की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट क्या है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इन्टेस्टाइन में ज्यादा चोट लग गयी थी, उसके कारण उसकी मृत्यु हुई ।

श्री श्यामलाल कनौजिया—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट को देखते हुए अभी तक पुलिस द्वारा किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जहां यह घटना हुई है, वहां अन्धरे के कारण उन्होंने किसी को नहीं पहचाना । यह घटना 14–7–72 की है । इसकी जांच जारी है । अधिकारियों द्वारा जांच हो रही है, अभियुक्तों का पता सुराग लगते ही आवश्यक कार्यवाही कर दी जायगी ।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस वक्त मुद्दई ने रिपोर्ट लिखाई कि बम फेंका गया है, उस समय धारा 324 के साथ-साथ एक्सप्लोजिव ऐक्ट की धारा 7 के अन्तर्गत भी केस दर्ज होना चाहिये था, इसको न करने का कारण यह है कि उन्होंने जुर्म को मिनिमाइज करने की कोशिश की ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जुर्म को मिनिमाइज करने का प्रश्न नहीं आता। जैसी घातक इनजरी थी उसको देखते हुए तत्काल उनको अस्पताल भेजा गया और उस समय 307 में जुर्म दर्ज किया गया और जब मृत्यु हो गई तो उसको 302 में कर दिया गया। तो 302/307 का केस है, जुर्म को मिनिमाइज करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, सवाल बाद में जुर्म बदलने का नहीं है जिस समय रिपोर्ट लिखाई गई उस समय एक्सप्लोजिव ऐक्ट के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखी जानी चाहिये थी और 307 उस समय लगाई जानी चाहिये थी तो शुरू में जुर्म कम करने की कोशिश की गई और जो टुकड़े पाये गये उनको एक्सपर्ट के पास भेजा गया, उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जहां तक जुर्म आयद करने का प्रश्न है माननीय सदस्य की सूचना के अनुसार ही जांच हो रही है और जैसा आपने संकेत किया उस पर भी जांच होगी और टुकड़ों की भी जांच की व्यवस्था की जा रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, इस बात को देखते हुए कि बम का इस्तेमाल किया गया, इससे जाहिर है कि वे कहीं बनते होंगे और वे जरायम पेशा लोगों को मिल जाते हैं। क्या मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे कि ये कहां बनते हैं और कैसे इन लोगों तक पहुंच जाते हैं और आयंदा बम न बन सकें इसकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, पुलिस इसके बारे में हमेशा सतर्क रहती है और बहुत सी आर्म्स फैक्टरियों को पुलिस ने असमर्थ भी किया है। इस बारे में जांच जारी है और तथ्य आने पर किसी को छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो बम इस्तेमाल किया गया है वह क्या पुराना झगड़ा है या जमीन का झगड़ा है ? क्यों बम फेंका गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जब उन्होंने पहचाना नहीं और संकेत नहीं किया कि कोई रंजिश है। इसलिये इस किस्म का प्रश्न उठता नहीं है।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि अभी तक वह टुकड़े नहीं भेजे गये हैं तो जिन्होंने भेजने में इतना विलम्ब किया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

सूचना में इतना उपलब्ध है कि सब टुकड़े इकट्ठे कर लिये गये हैं और उनकी जांच की व्यवस्था की जा रही है। टुकड़े नहीं भेजे गये यह निश्चित नहीं है। मैं इसकी जानकारी करा लूंगा।

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

### रिहन्द जलाशय के कर्मचारियों को बंसी लगाने की अनुमति

*1—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द जलाशय में विभागीय कर्मचारियों को बंसी लगाने का कोई शासनादेश हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश के अनुसार बंसी लगाने की अनुमति अब भी दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

यह जलाशय मत्स्य विभाग के नियंत्रण में नहीं है। मत्स्य विभाग को इसमें मछली का प्रसार करने के लिये केवल अधिकार दिया गया। जो शर्तें तय हुईं उसमें एक यह भी है कि जलाशय में बंसी लगाने की अनुमति केवल सिंचाई विभाग देगा। यह स्थिति अभी भी है।

(लिखित उत्तर पढ़ चुकने के उपरान्त)

मान्यवर मैं इसके उत्तर में निम्न संशोधन करना चाहता हूं:—

"जी हां, अंडा देने के समय को छोड़कर अनुमति दी जाती है ? अंडा देने का समय जून, जुलाई, अगस्त होता है।"

श्री अध्यक्ष—

आप इसकी नकल मेरे पास भेज दीजिये।

श्री बंशीधर पांडेय—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि रिहन्द जलाशय क्षेत्र का ठेका किसी विदेशी फर्म को मछली पकड़ने के लिये दिया गया है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, प्रश्न यह था कि क्या किसी राजाज्ञा से कर्मचारियों को वंशी लगाने की इजाजत दी जाती है। मैंने जवाब दे दिया है कि दी जाती है केवल जून, जुलाई, अगस्त जिस समय मछली अंडा देती है, उसे छोड़कर।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस जलाशय का ठेका किसी विदेशी फर्म को मछली पकड़ने के लिये दिया गया है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जी नहीं।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि बंशी लगाने के लिये कोई परमिट या लाइसेन्स लिया जाता है और उसकी फीस ली जाती है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जी हां ।

## श्री दामोदर प्रसाद मिश्र, सहायक अभियन्ता, देवरिया के विरुद्ध शिकायत

*2—श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्डक योजना में खंड 7 में श्री कैलाश चन्द्र वार्ष्णेय, अधिशासी अभियन्ता ने माह जनवरी, 1969 से माह जनवरी, 1970 के बीच में श्री दामोदर प्रसाद मिश्र, सहायक अभियन्ता तृतीय रामकोला, देवरिया के विरुद्ध लिखित शिकायत की है जो जीप नं0 यू0 एस0 बी0 5693, के अनुचित प्रयोग और कितने अनियमित कार्य से सम्बन्धित है, यदि हां, तो शिकायत को क्या पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जी नहीं, कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री विश्राम दास—

क्या माननीय मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मानकर जांच कराने की कृपा करेंगे कि यू0 एस0 बी0 नं0 5693 जीप गाड़ी का अनुचित प्रयोग किया गया है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

ऐसा कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है, लिखकर देंगे तो इसकी जांच करा लेंगे ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

प्रश्न में लिखा है कि श्री कैलाश चन्द्र वार्ष्णेय, अधिशासी अभियन्ता ने सहायक अभियन्ता के विरुद्ध शिकायत की है लेकिन क्या मन्त्री जी को यह मालूम है और क्या वह इसकी जानकारी करायेंगे कि इन इंजीनियर के खिलाफ वहां के सहायक इंजीनियर ने शिकायतें पुलिस में दर्ज करायी है कि वह सबसे पैसा मांगते हैं ? तो क्या जानकारी करके उनके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जैसा मैंने निवेदन किया सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो इन्क्वायरी करा लेंगे ।

## तहसील देवरिया में नहर विभाग द्वारा फसल नष्ट किये जाने की शिकायत

*3—श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता की चिट्ठी के साथ श्री जितई आदि काश्तकार, ग्राम बेलवा बुजुर्ग, तप्पा, केवटली, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला देवरिया दिनांक 18 अप्रैल, 1972 का इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ है कि नहर विभाग द्वारा किसानों की फसल पानी बहाकर नष्ट कर दी गई है और किसानों पर सिंचाई टैक्स भी बांध दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री राजबिहारी सिंह---

जी हां। इस प्रकरण पर सिंचाई विभाग के एक अधिकारी द्वारा जांच की गई थी। जांच करने पर पता चला कि गांव वालों ने नहर काट कर अपने खेतों की सिंचाई की थी जिनसे उनकी फसल को काफी लाभ भी हुआ था। नहर के पानी से इस ग्राम में फसल को कोई क्षति नहीं हुई है।

श्री रामधारी शास्त्री---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन से अधिकारी थे जिन्होंने जांच की और क्या उन काश्तकारों का बयान लिया गया कि जिन्होंने शिकायत की थी ?

श्री राजबिहारी सिंह---

इसकी जांच करने के लिये वहां के एक सुपरवाइजर गये थे और जिन लोगों ने शिकायत की थी उनके पास जब इन्क्वायरी के लिये वह गये तो वह शोरगुल मचाते रहे और कोई बयान उन्होंने नहीं दिया।

श्री रामधारी शास्त्री---

प्रश्न में स्पष्ट कहा गया है नहर वालों ने पानी बहा दिया और फसल को नुक्सान पहुंचा दिया और अपने को बचाने के लिये उन पर भी कर लगा दिया गया, मुझे ऐसा लगता है कि इस की ठीक से जांच नहीं हुई तो क्या मन्त्री जी इसकी फिर से जांच करायेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह---

वैसे तो जांच हो चुकी है लेकिन माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो फिर से जांच करा लेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

सुपरवाइजर जब जांच के लिये गये तो लोगों को आपरेट नहीं किया और शोरगुल मचाते रहे, मतलब यह है कि जांच सम्पन्न नहीं हुई। तो इस बात को ध्यान में रखकर क्या मन्त्री जी स्थानीय अधिशासी अभियन्ता से मौके पर जांच करायेंगे और यदि किसानों की बात सही हो तो यह तावान जो उन पर बांधा गया है उस को छोड़ देंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह---

कोई तावान नहीं लगाया गया है लेकिन अगर माननीय सदस्य आग्रह करते हैं तो फिर जांच करा ली जायगी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---

इसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसानों ने इसकी शिकायत की और जांच करने वाले अधिकारी वही थे जिन के खिलाफ कि शिकायत थी। ऐसी स्थिति में क्या मन्त्री जी किसी और विशिष्ट अधिकारी से जांच करायेंगे जिस से सही तथ्य सामने आ जायं ?

श्री राजबिहारी सिंह---

अभी मैंने जायसवाल जी के उत्तर में बताया था कि किसी उच्च अधिकारी से जरूर जांच करा लेंगे।

## रामगंज रजवहा कैनाल, सुल्तानपुर पर पुलिया निर्माण

*4---श्री रामप्यारे शुक्ल (जिला सुल्तानपुर)---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा लखनपुर, जिला सुल्तानपुर ने रामगंज रजवहा कैनाल पर (ओरो) मील 2 फर्लांग 300 फुट पर पुलिया बनाने हेतु सहायक

अभियन्ता तृतीय खंड प्रतापगढ़ के पास अपनी अंशदान दिनांक 4 मार्च, 1965 को रसीद सं0 18934, दिनांक 4 मार्च को जमा किया था? यदि हां, तो क्या पुलिया का निर्माण-कार्य हो गया है? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है?

श्री राजबिहारी सिंह---

जी हां। अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया था कि पुलिया कहां पर बने। अब यह तय हो गया है और निर्माण-कार्य शीघ्र आरम्भ हो जावेगा।

श्री राम प्यारे शुक्ला---

मन्त्री जी ने बताया कि अभी तक निश्चय नहीं हुआ है कि पुलिया कहां पर बनेगी। तो अब वह स्थान कौन सा है जो पुलिया बनने के लिये निश्चित हुआ है?

श्री राजबिहारी सिंह---

यह पुलिया माइनर से मील 2.330 पर बनेगी।

श्री राम प्यारे शुक्ल---

आपने उत्तर में बताया कि यह पुलिया 2.330 मील पर बनेगी जबकि इसे 02.330 मील पर बनना था तो इनमें कौन सी बात ठीक है, मील है या फर्लांग ?

श्री राजबिहारी सिंह---

यह मील है।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)---

इस पुलिया के लिये अंशदान 1965 में जमा किया गया था और अब 1972 हो गया है जब कि यह निश्चय किया गया है कि पुलिया कहां पर बनेगी। तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुलिया के निर्माण में कितने वर्ष की आवश्यकता होगी?

श्री राजबिहारी सिंह---

स्थल चुनने में अवश्य देरी हुई है लेकिन प्रश्नकर्ता की पार्टी और विरोधी पार्टी जो उस गांव में थी, उनके कारण देर हुई। एक पार्टी कहती थी कि अमुक जगह बनायी जाय और दूसरी पार्टी कहती थी कि अमुक स्थान पर बनायी जाय। हमारे इन्जीनियर्स ने कोशिश की कि दोनों में मेल करा दिया जाय लेकिन जब किसी जगह का चयन नहीं हो सका, तो फिर निर्णय लिया गया कि इस जगह पर बनानी चाहिये और उस जगह बनायी जा रही है।

श्री राम प्यारे शुक्ल---

ग्राम सभा और सिंचाई विभाग में यह मुआहिदा हुआ था कि मील 02.330 मील पर पुलिया बनेगी और इसके लिये ग्राम सभा ने अपना अंशदान भी दिया था तो 02 मील के स्थान पर 2 मील कैसे हो गया?

श्री राजबिहारी सिंह---

एक दल ने स्वीकृति दी और दूसरे ने नहीं दी। इसलिये ऐसा हुआ।

श्री रामप्यारे शुक्ल---

तो क्या निर्णय मुआहिदा के खिलाफ हुआ जो सिंचाई विभाग और ग्राम सभा में हुआ था और जिसके लिये अंशदान भी दिया था?

श्री राजबिहारी सिंह---

किसी भी जगह पर अगर ग्राम सभा पुलिया बनवाना चाहती है तो इसमें पैसा तो खर्च करती ही है।

## बस्ती में कुआनों नदी पर बांध का निर्माण

*5—श्री राजबहादुर चन्द्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित) तथा श्री सन्तू राम (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि मुखलिसपुर पम्प नहर जो तहसील खलीलाबाद, तहसील बांसगांव में सिंचाई के लिये प्रयोग की जाती है होली के बाद कुआनों नदी का स्तर नीचा हो जाने के कारण बन्द है जिसके कारण उक्त तहसीलों का करोड़ों मन गन्ना सूख गया है, काश्तकारों में हाहाकार मचा है? यदि हां, तो क्या सरकार कुआनों नदी में शीघ्र एक बांध बनाने की कृपा करेगी जिससे करोड़ों मन गन्ने को सूखने से बचाया जा सके? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजबिहारी सिंह—

जी हां। इसके कारण लगभग 41 एकड़ क्षेत्र सोख्त होने की आशंका है। कुआनों नदी में बांध बनाने का निर्णय इसका विस्तृत सर्वेक्षण करने के पश्चात् ही हो सकेगा।

श्री सन्तू राम—

उक्त नहर से कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई होती है?

श्री राजबिहारी सिंह—

21,229 एकड़ भूमि की सिंचाई होती है।

श्री सन्तू राम—

श्रीमन्, यह गलत है। मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस साल में कितनी एकड़ की सिंचाई हुई है?

श्री राजबिहारी सिंह—

इस साल 1971–72 में खरीफ में 487 एकड़, और रबी में 9,176 और गन्ना 469 एकड़ में सिंचाई हुई।

श्री सन्तू राम—

जब फागुन से आज तक यह नहर बन्द हो गयी तो गन्ने की सिंचाई कब हुई? क्या उसके लिये पतरौल से पड़ताल कर चुके थे और क्या मालगुजारी लगायी जाती है उसमें, छूट दी जा सकती है?

श्री राजबिहारी सिंह—

यह प्रश्न दूसरा है कि गन्ने की पड़ताली हुई या नहीं जब गन्ने की सिंचाई हुई है तो अवश्य ही पड़ताल हुई होगी।

श्री सन्तू राम—

जब सिंचाई हुई नहीं तो कैसे पड़ताल हुई होगी? क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे कि कब पड़ताल हुई?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे कि यह पड़ताल गलत है तो इसकी जांच करवा लेंगे।

श्री सन्तू राम—

मान्यवर, हमने लिख कर दिया है।

---

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

[2 अगस्त, 1972 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1 --श्री गोपालदत्त ओझा--

[परिवहन निगम बन जाने के कारण निरस्त]

## प्रथम खण्ड, हंडिया नलकूप विभाग, इलाहाबाद में अनियमिततायें

*3--श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रथम खन्ड, हंडिया, नलकूप विभाग, इलाहाबाद का तकनीकी निरीक्षण मार्च सन् 1971 में किया गया और उसमें अनेक अनियमिततायें पाई गई और 83 हजार रुपये का गबन, सामान आदि खरीदने के सिलसिले में क्या पाया ? यदि हां, तो सरकार ने सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

सिंचाई मंत्री (श्री महमूद अली खां)--

जी हां। 41,870.98 रु0 के अधिक की अनियमिततायें पाई गईं। दोषी कौन है इसको जानने की कार्यवाही की जा रही है।

*4--श्री रूपनाथ सिंह यादव--

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त धन के गोलमाल की रिकवरी किन-किन अधिकारियों पर आरोपित की गई है और उसकी वसूलयाबी की कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्या ?

श्री महमूद अली खां--

अभी यह प्रश्न नहीं उठता।

## सिरसी बांध प्रखण्ड, मिर्जापुर में रखी मशीनरी की बिक्री में हानि

*5--श्री विश्राम दास--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर के अन्तर्गत सिरसी बांध प्रखंड में 15 लाख रुपये मशीनरी का सामान रखा गया था ? यदि हां, तो यह भी सही है कि अधिशासी अभियन्ता के० सी० गोविल ने 4 1/2 लाख रुपये में माह अप्रैल, से जून, 1971 तक बेंच दिया जिससे 10 1/2 लाख रुपये सरकार की हानि हुई? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री महमूद अली खां--

जी हां। इस मामले की छानबीन की जा रही है जिसके पूर्ण होने के पश्चात् ही मामले के अन्तिम निष्कर्ष का पता लग सकेगा।

## लखनपुर पम्प कैनाल योजना, इलाहाबाद की प्रगति

*6--श्री विश्राम दास--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद, तहसील मेजा के लखनपुर पम्प कैनाल की योजना सन् 1969 से प्रारम्भ की गई ? यदि हां, तो कितना कार्य आज तक हुआ?

श्री महमूद अली खां--

जी हां। लखनपुर पम्प कैनाल के निर्माण पर निम्नलिखित कार्य अब तक हो चुके हैं।

(1) दो बार्ज लग चुके हैं।

(2) 4 पम्पिंग सेट लग चुके हैं व एक पम्पिंग सेट का विद्युतीकरण हो चुका है।

(3) ढाई पाइप लाइन लग चुकी हैं ।

(4) डिलीवरी टैंक बन चुका है ।

(5) 8.4 किलोमीटर लम्बी नहर बन चुकी है ।

## बारा क्षेत्र, इलाहाबाद में नाले पर पुलिया निर्माण

*7—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद) तथा श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जनपद के बारा-क्षेत्र के गडरा और सपहा गांवों के बीच वाले उस बड़े नाले पर पुलिया बनाने का विचार कर रही है जिसे बेलन नहर विभाग ने अपना अवशिष्ट जल बहाने के लिये 20 फीट गहरा और 35 फीट चौड़ा करा दिया था? यदि हां, तो इस पुलिया का निर्माण कब तक हो जायगा और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

पुल का निर्माण सपहा नाले के कटाव निरोधक कार्यों के बनने के बाद संभव हो सकेगा जिसके लिये विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

## नगीना, जिला बिजनौर में राजकीय नलकूप लगाने की मांग

*8—श्री परमाई लाल (जिला हरदोई)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगीना से खो नदी पार परगना बढ़पुर, तहसील नगीना, जिला बिजनौर में राजकीय नलकूप लगाने की योजना है ?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं ।

*9—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[निगम बन जाने के कारण निरस्त]

## गोरखपुर जिले में राजकीय नलकूप योजना

*10—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में 1972-73 वित्तीय वर्ष में राजकीय नलकूप लगाने के लिये सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण करने का प्रश्न विचाराधीन है? यदि हां, तो जिन गांवों में नलकूप लगाने का विचार है उनके नाम क्या हैं ?

श्री महमूद अली खां—

(1) जी हां ।

(2) फरेंदा तहसील के नौतनवा ब्लाक के 6 ग्रामों में नलकूप लगाये जा रहे हैं । ग्रामों के नाम हैं:—

1—गनवरिया

2—परसा मिलिक

3—बरगदवा

4—जुगौली

5—सुकरौली

6—जगरनाथपुर ।

सर्वेक्षण के बाद कुछ और नलकूप लगाए जावेंगे ।

*11—श्री गया प्रसाद तथा श्री हरिवंश सहाय—

[निगम बन जाने के कारण निरस्त]

*12—श्री हुकुम सिंह परिहार तथा श्री हरिवंश सहाय—

[निगम बन जाने के कारण निरस्त]

*13—14—श्री कल्पनाथ सिंह—

[निगम बन जाने के कारण निरस्त]

## एलाटेड फिएट टैक्सी को प्राइवेट कार के रूप में प्रयोग करने की अनुमति

*15—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माह फरवरी सन् 1972 में किन-किन लोगों को फिएट टैक्सी एलाट की गई और उनमें से कितने को उन टैक्सियों को प्राइवेट कार की तरह इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री देवकी नन्दन विभव)—

माह फरवरी, 1972 में निम्नलिखित व्यक्तियों को फिएट टैक्सी एलाट की गई:—

1—श्री गुरुचरन सिंह, हल्द्वानी

2—श्रीमती मीना कुमारी, वाराणसी

3—श्री पारसनाथ चौबे, जौनपुर

4—श्री हरिचरन सिंह, वाराणसी

5—श्री राम प्रताप सिंह, वाराणसी

6—श्री त्रिलोक सिंह, लखनऊ

7—श्री वली उल्लाह, वाराणसी

8—श्री बच्चा अलियास विजय, वाराणसी

9—श्री सुरेन्द्र कुमार, लखनऊ

10—श्री अनील मेहरोत्रा, लखनऊ

11—श्री एच0 एस0 सिन्धे, देहरादून

12—श्री डी0 एस0 जौली, देहरादून

13—सरदार अमरीक सिंह, मेरठ।

उपर्युक्त व्यक्तियों में से अन्तिम चार व्यक्तियों को इन्हें निजी कार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई।

*16—श्री चन्द्रभान शर्मा तथा श्री सच्चिदानन्द—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

## देवरिया से बांसी एवं नारायणी नदियों के बीच के मांगों की मरम्मत

*17—श्री रामनगीना मिश्र (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जनपद में सेबरुही तथा दुद्धी ब्लाक के अन्तर्गत बांसी नदी और नारायणी नदी के बीच के गांव गत वर्ष बाढ़ से प्रभावित हुए थे और जगह-जगह गांवों में कुण्ड पड़ गये थे, आवागमन के समस्त मार्ग ध्वस्त हो गये थे, क्या सरकार उसकी मरम्मत कराने जा रही है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जायगा?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

देवरिया जनपद के सेवरही और दुद्धी ब्लाक में बांसी और नारायणी के बीच सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई मार्ग नहीं है। किन्तु इसी क्षेत्र में तमकोही-बरवापट्टी मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग का है जिस पर पहले टेस्ट वर्क में कुछ मिट्टी डाली गयी थी। गत बाढ़ में उस पर जगह-जगह कुन्ड हो गये हैं। इस मार्ग का नव-निर्माण स्वीकृत हो चुका है और उस का कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो जायेगा।

## शाहजहांपुर तथा पीलीभीत जिलों की नदियों पर पुल निर्माण की स्वीकृति

*18—श्री शिवकुमार मिश्र (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री रूप राम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले में गोला बिलसंडा रोड पर गोमती तथा जकुना नदी पर तथा पीलीभीत जिले में खन्नोत नदी के पुल निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है? यदि हां, तो अभी तक कोई कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी हां। प्रश्न में वर्णित प्रत्येक पुल के निर्माण के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:—

(1) गोमती नदी पर पुल—

पुल का निर्माण स्थल अभी निश्चित नहीं हुआ है। जांच-पड़ताल की जा रही है। उसके पश्चात् ही विस्तृत आगणन की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करके निर्माण प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जायगी।

(2) जकुना नदी पर पुल—

इस पुल का निर्माण मुहर निविदा न प्राप्त होने के कारण अभी प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। यह निर्माण अब विभागीय निर्माण संगठन द्वारा होगा।

(3) खन्नोत नदी पर पुल—

टेंडर मांगे जा चुके हैं जिनके स्वीकृत होने के पश्चात् निर्माण-कार्य वर्षा के बाद प्रारम्भ हो पायगा।

## सिंचाई विभाग के ओवरसियरों की पदोन्नति हेतु आदेश

*19—श्री विजयपाल सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग में ओवरसियरों में से उत्तर प्रदेश अभियन्त्रण सेवा क्लास 2 में सहायक अभियन्ता के स्थायी पद पर पदोन्नति के लिये सितम्बर, 1967 में आयोजित चुनाव के आधार पर 55 स्थानापन्न सहायक अभियन्ता, सहायक अभियन्ता पद पर स्थायी नियुक्ति के लिये चुने गये थे और दिनांक 5 फरवरी, 1968 के पत्र सं0 5143—ए/23 आई0 ए0—40—62, उप सचिव द्वारा सूचना मिली थी कि इन व्यक्तियों की स्थायी नियुक्त के बारे में औपचारिक आदेश बाद को प्रसारित किये जायेंगे औपचारिक आदेश सरकार ने प्रसारित किये अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं किये?

श्री महमूद अली खां—

केवल 11 के आदेश प्रसारित किये गये हैं। शेष के आदेश उच्च न्यायालय में चल रहे विवाद के कारण अभी प्रसारित नहीं किये गये हैं।

*20—श्री लालसा—

[पुनर्विचार पर अस्वीकृत]

## वृन्दावन माइनर (मथुरा) की डिग्गी पर अनधिकृत कब्जा

*21—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि मथुरा वृन्दावन रोड पर स्थित वन्दावन माइनर की डिग्गी जो राजपुर बांगर के खसरा नं0 514 पर सरकारी सम्पत्ति के तौर पर दर्ज है पर कुछ लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है? यदि हां, तो इस नाजायज कब्जे को हटाने के लिये स्थानीय अधिकारियों द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

## कुसुम्भी फीडर रोड, जिला उन्नाव को पक्का करने का निर्णय

*22—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव) तथा श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुसुम्भी फीडर रोड, जिला उन्नाव जो कुसुम्भी स्टेशन से सीधा अजगैन-हसनगंज रोड को जोड़ती है इसका कितना भाग पी0 डब्ल्यू0 डी0 का है और क्या सम्पूर्ण भाग पक्का करने के लिये भी कोई निर्णय लिया गया था?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

इस सड़क का 0.6 किलोमीटर का भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है। सम्पूर्ण मार्ग को पक्का बनाने की इस समय कोई योजना नहीं है।

## बहराइच जिले को रमपुरवा-खैरीघाट इमामगंज की सड़क सम्बन्धी ग्राम प्रधानों का प्रार्थना-पत्र

*23—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री भंगेलू सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जिला बहराइच की बसंतापुर, सोहबतिया, आदि लगभग 25 गांव सभाओं के प्रधानों व काश्तकारों ने मार्च, 1972 में शासन को इस आशय की दरख्वास्त दी थी कि रमपुरवा-खैरीघाट-इमामगंज सड़क जो जेरताभीर है को खैरीघाट-इमामगंज बांध के ऊपर से निकाला जाय और क्या जांच में उनकी प्रार्थना उचित पाई गई, ? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त बांध पर से रमपुरवा-खैरीघाट-इमामगंज सड़क के बनने के आदेश हो गये हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी हां, इस प्रकार की दरख्वास्त शासन को प्राप्त हुई है, परन्तु इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

## जालौन जिले की बेरा लिफ्ट सिंचाई योजना

*24—श्री बसन्त लाल (जिला जालौन)—

क्या सरकार कृपाकर यह बतायेगी कि जिला जालौन में बेरा लिफ्ट सिंचाई योजना कब चालू की गई और क्या यह कार्य समाप्त हो चुका है? अगर हां, तो इस निर्माण में कुल कितनी लागत आई है?

श्री महमूद अली खां—

यह योजना जुलाई, 1968 में चालू की गई थी। कार्य अब पूरा हो गया है। इसके निर्माण में 2,50,413 रुपये लागत आई है।

*25—श्री बसन्त लाल—

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कुल कितनी भूमि सिंचित की जा सकती है? अब तक कितनी भूमि सिंचित की जा सकी है? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री महमूद अली खां—

इसके अन्तर्गत लगभग 800 एकड़ भूमि पर सिचाई की जा सकती है। वर्ष 1971–72 में 213 एकड़ भूमि सींची गयी थी।

## ओबरा सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति

*26—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ओबरा सिंचाई विभाग में दिनांक 1 दिसम्बर, 1971 से 17 ऐसे कर्मचारियों को जो कि रेगुलर थे और जिनकी सेवायें 4 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच की हैं को सेवा मुक्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं। केवल एक कर्मचारी जिसकी सेवा अवधि न्यून थी तथा जो अल्पकालीन व्यवस्था में रखा गया था, की सेवा-समाप्ति की गयी है।

## हरदोई जिले में शारदा नहर के पेड़ों की नीलामी

*27—श्री परमाई लाल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर की लखनऊ ब्रांच जिला हरदोई के मील 38 से 86 तक कितने शीशम के पेड़ जनवरी सन् 1972 में किस-किस ठेकेदार को नीलाम किये गये और कितने कीमत पर तथा क्या यह सही है कि कुछ पेड़ों के कटने के बाद पेड़ों का कटना रोक दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री महमूद अली खां—

हरदोई खंड शारदा नहर के चतुर्थ उप खंड लखनऊ ब्रांच के शीशम के पेड़ों का नीलाम निम्न प्रकार किया गया था:—

| | नाम ठेकेदार | पेड़ों की संख्या | धनराशि |
|---|---|---|---|
| मील 38 से 46 तक तथा सिकरीरी निरीक्षण भवन के पेड़। .. | श्री सुरेश चन्द्र सक्सेना | 191 | 21,400 |
| मील 46 से 53 तक तथा ममेरहटा रेगुलेटर के पेड़। .. | श्री मुनेश्वर प्रसाद | 235 | 32,500 |

नीलाम के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिलने के कारण कटाई रोक दी गयी।

## सिंचाई विभागीय सहायक अभियन्ताओं का स्थायीकरण

*28—श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1964 व 1965 में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अभियन्ताओं के प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सिंचाई विभाग में कितने स्थायी सहायक अभियन्ताओं का चुनाव हुआ है? उसमें कितने सहायक अभियन्ता विभाग में पहले ही से कार्य कर रहे थे ? आज सात साल व्यतीत हो जाने पर भी उनके स्थायीकरण का शासानादेश हुआ कि नहीं? यदि नहीं, तो कब तक हो जायगा?

श्री महमूद अली खां—

1964 वर्ष व 1965 में क्रमशः 48 तथा 33 का चुनाव हुआ था। उनमें क्रमशः 24 तथा 19 पहले से ही कार्यरत थे। उनके स्थायीकरण का मामला शासन के विचाराधीन है।

*29—श्री सर्वसुख सिंह—

[ 14वें बुधवार के तारांकित प्रश्न 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

## कानपुर में गंगा नदी पर नये पुल का निर्माण

*30—श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

क्या शासन को ज्ञात है कि कानपुर में गंगा नदी पर बना हुआ आवागमन का पुल अपनी निर्धारित अवधि समाप्त कर चुका है और अब किसी भी वेगपूर्ण बाढ़ से टूट सकता है ? यदि हां, तो जनहित की दृष्टि से शासन उक्त पुल के शीघ्र निर्माण के लिये क्या कदम उठा रहा है।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

शासन को ज्ञात है कि यह पुल अपनी निर्धारित अवधि पूरी कर चुका है। परन्तु किसी वेगपूर्ण बाढ़ में इसके अभी टूटने की आशा कम है। इस पुल के स्थान पर एक नये पुल के निर्माण का आगणन केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुका है तथा इसके निर्माण के लिये आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

## बिलहर घाट नेव-कबीरपुर एवं टेंड़ोली की नहर की पटरी

*31—श्री जगन्नाथ खन्ना तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद में नहर की पटरी जो बिलहर घाट से नेव कबीरपुर तक जाती है के पक्के किये जाने, बिलहरघाट से टेंडोली तक दिये जाने और उसे सार्वजनिक हित में खोले जाने के सम्बन्ध में श्री रामलखन मिश्र, प्रबन्धक जय किसान माध्यमिक विद्यालय, जगदीशपुर, फैजाबाद का कोई पत्र दिनांक 18 मई, 1971 का मुख्य मन्त्री को सम्बोधित श्री शम्भूनाथ नारायण सिंह, सदस्य विधान सभा का दिनांक 11 फरवरी, 1972 का सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को सम्बोधित पत्र मिले, तो सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए उन पर क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी हां। इस मार्ग के निर्माण एवं सुधार के प्रस्ताव को, सड़कों के विकास के लिये अतिरिक्त धन प्राप्त होने पर विचार करने के लिये नोट भी कर लिया गया है।

## भूतपूर्व विधायकों का विधायक निवासों में तथा भूतपूर्व मंत्रियों का सरकारी बंगलों में निवास

*32—श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक के समस्त विधायक निवास में कितने भूतपूर्व एम0 एल0 एज0 और एम0 एल0 सीज0 रह रहे हैं और उनसे क्या किराया लिया जा रहा है ?

श्री महमूद अली खां—

विधायक निवासों में इस समय केवल एक भूतपूर्व सदस्य विधान सभा तथा 6 भूतपूर्व सदस्य विधान परिषद् रह रहे हैं। उनसे 'क' श्रेणी के कक्ष का रु0 6.50 प्रतिदिन तथा 'ख' श्रेणी के कक्ष का रु0 4.50 प्रतिदिन किराया लेना तय हुआ है।

*33—श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सन् 1967 में अब तक जो भूतपूर्व मन्त्री हैं और सरकारी बगलों में रह रहे हैं उनसे क्या किराया लिया जा रहा है और क्या यह बंगले सरकार ने एलाट किये हैं या उन भूतपूर्व मन्त्रियों ने अपने मन्त्रित्व काल में स्वयं एलाट कराये थे?

श्री महमूद अली खां—

1967 से अब तक बारह भूतपूर्व मन्त्री सरकारी बगलों में रह रहे हैं और उनसे उन बगलों का मानक किराया लिया जा रहा है। इनमें से चार भूतपूर्व मन्त्रियों को उसके मन्त्रि-पद से हटने के बाद उनके नाम से आवंटन किया गया। केवल एक भूतपूर्व मन्त्री ने अपने मन्त्रित्व-काल में आवास का आंवटन अपने नाम में कराया। अब शेष सात भूतपूर्व मन्त्री सरकारी आवासों पर अध्यासन रक्खे हैं।

## गोरखपुर जिले के बाढ़ बांधों की मरम्मत

*34—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील के धानी बाजार विकास खंड के अन्तर्गत राप्ती नदी के बेलसड़ से रिगौली बांध जो बंझरा और पन-घटिया से करमनी बांध जो नषाडीह व खंड खड़िया के पास लेहड़ा स्टेट बांध नगवां बांध और बलरामपुर से वनदेइया बांध रोड के नाम पर है सन् 1971 के जुलाई अगस्त की भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त होकर जर्जर हो गई है? सरकार उसकी मरम्मत कब से करायेगी ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। इस वर्ष वर्षा के पूर्व बांधों के बैठे हुये स्थानों तथा छोटे गैप्स की मरम्मत आरम्भ कर दी गई है।

*35—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[निगम बन जाने के कारण निरस्त]

## श्रीकोट तथा कान्डाई (गढ़वाल) में झूले के पुल का निर्माण

*36—श्री शेरसिंह दानू (जिला चमोली))—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गढ़वाल के विकास क्षेत्र खिर्श के अन्तर्गत श्रीनगर के निकट स्थान श्रीकोट में अलकनन्दा नदी पर झूला पुल निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा और इस समय क्या प्रगति है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

प्रश्नगत झूला पुल का निर्माण-कार्य दिसम्बर, 1973 तक पूर्ण होने की आशा है। अब दोनों ओर के एबटमेंट, बिंड एंकर्स व मेन एंकर्स (Abutments vind Anchors main Anchors) बन कर तैयार हो चुके हैं।

*37—श्री शेरसिंह दानू—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इसी विकास क्षेत्र में पट्टी बक्षणस्यू की वक्षणस्यू नदी पर कान्डाई नामक स्थान पर झूला पुल का निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है? सार्वजनिक निर्माण विभाग को उक्त पुल निर्माणार्थ जिला परिषद् द्वारा कब स्थानान्तरित किया गया था तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

प्रश्नगत स्थान पर कोई झूला पुल सा० नि० विभाग द्वारा निर्मित नहीं हुआ है जिला परिषद द्वारा अभी तक यह पुल सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित नहीं हुआ है।

## स्वीकृत मैनपुरी भावत–किसनी मार्ग का निर्माण

*38—श्री शिववक्ष सिंह राठौर (जिला मैनपुरी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि मैनपुरी भावत–किसनी मार्ग के निर्माण को स्वीकृति कब हुई और उनमें कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है तथा शेष मार्ग कब तक बन जाने की आशा है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण जनवरी, 1971 में स्वीकृत किया गया था। अभी किसी भी भाग में निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है। कार्य प्रगति पर है। लगभग तीन वर्ष का समय और लगेगा।

## अधिदर्शक गोसाईगंज, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायतें

*39—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया इस बात की जानकारी करायगे कि दिनांक 19 जनवरी, 1972 को ग्राम जैतपुर तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के हरिजनों का शिकायती आवेदन पत्र जो अधिदर्शक गोसाईगंज, जिला फैजाबाद द्वारा नहर रोड पर ट्रक चलाने सम्बन्धी फर्जी रिपोर्ट की थी, पर प्रश्नकर्ता अपनी संस्तुति के साथ मंत्री जी को दिया था, उस पर मंत्री जी ने क्या आदेश दिया तथा तदनुसार संबन्धित अधिकारियों ने अब तक क्या कार्यवाही किया?

श्री महमूद अली खां—

जी हां।

पत्र म लगाये गये आरोपों की जांच हो रही है।

## शारदा नहर, लखनऊ खण्ड में नालों के कार्य में अनयिमिततायें

*40—श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

विधान सभा की बैठक दिनांक 3 मई, 1972 की नत्थी (ख) के अतारांकित प्रश्न संख्या 3–4 के उत्तर के सदर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1970–71 में लखनऊ के खंड शारदा नहर में नावों पर 1,84,747 रुपये के कार्य केवल वर्क आर्डर द्वारा कराने तथा कोई भी टेन्डर द्वारा अनुबन्धन न करने की अनियमितता के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री महमूद अली खां—

केन्द्रीय स्टडी टीम की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सहायता का पूर्ण उपयोग करने के लिये कार्यों देशों द्वारा कार्य कराया गया क्योंकि निविदाओं के आधार पर अनुबन्धों द्वारा समय से कार्य कराना सम्भव नहीं था।

*41—श्री प्यारे लाल—

क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971–72 में लखनऊ खण्ड शारदा नहर में नावों के कार्य पर व्यय किये धन के सम्बन्ध में अनेक अनियमिततायें की गई हैं ? यदि हां, तो अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा इस खण्ड के सब कार्यों की मौके पर जांच वर्षों से पहले कराने की क्या व्यवस्था करेगी ?

श्री महमूद अली खां—

वर्ष 1971-72 में लखनऊ खंड, शारदा नहर में किसी अनियमितता की सूचना शासन को नहीं है।

*42—श्री उमानाथ सिंह—

[निगम बन जाने के कारण निरस्त]

*43–44—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

[14वें बुधवार में तारांकित प्रश्न 7–8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*45—श्री रामगोपाल सण्ड—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*46—श्री रामगोपाल सण्ड—

[निगम बन जाने के कारण निरस्त]

## आर० टी० ए०, मेरठ द्वारा स्वीकृत परमिट

*47—श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार को मालूम है कि मई, 1965 में आर0 टी0 ए0 मेरठ ने 5 परमिट अफजल हुसैन सईद मुर्तजा, कबूल सिंह खडग सिंह, रघुवीर सिंह राजेन्द्र कुमार और रमेश चन्द के नाम से मुजफ्फरनगर, बुढाना, कांधला, रूट पर जारी किये थे जिन को एस0 टी0 ए0 लखनऊ ने 29–8–1967 को कैन्सिल कर दिया लेकिन 30–9–1969 को यह परमिट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिट द्वारा बहाल कर दिये और आर0 टी0 ए0, मेरठ को फिर से जारी करने का आदेश दिया ? यदि हां, तो यह परमिट कब जारी किये गये ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

जी हां ?

यह परमिट अभी तक जारी नहीं हुए हैं।

इस मार्ग पर अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदनों में प्रतिद्वन्दिता के कारण समय-समय पर उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश उपलब्ध हुए तथा उनका स्पष्टीकरण हुआ तदोपरान्त सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों का निरस्तारण किया गया तदोपरान्त सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किए तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने ही पुनः निरस्त किया। इन सब में अत्याधिक समय व्यतीत हो गया। राज्य सरकार ने इसी वर्ष एक अध्यादेश निर्गत किया और उसे अधिनियम के रूप में परिणत किया गया

जिसके प्राविधानों के अन्तर्गत सभी योग्य अभ्यर्थियों को अनुज्ञा-पत्र बिना रोक-टोक के दिए जा सकें। परन्तु उच्च न्यायालय ने इस विभाग पर भी 30-5-72 को अन्य मार्गों के अतिरिक्त प्रश्नगत मार्ग पर वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन न करने के आदेश पारित किए हैं।

## नहरों एवं लिफ्ट सिंचाई की दरों में समानता

*48—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में नहरों की और लिफ्ट सिंचाई की दरों में जो अन्तर है क्या सरकार इस अन्तर को समाप्त करके इनकी दरें एक समान करने जा रही है? यदि हां, तो कब से और इनकी समान दर क्या होंगी तथा इनकी वर्तमान सिंचाई की दरें अलग-अलग क्या-क्या हैं?

श्री महमूद अली खां—

यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है। वर्तमान सिंचाई की दरें संलग्न सूची में दी हुई हैं।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 882 पर)

*49—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

## आर० टी० ओ० कार्यालय, बरेली को दी गई ठन्डे पानी की मशीन

*50—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आर० टी० ओ० आफिस, बरेली को ठन्डा पानी की कोई मशीन 1971 में दी गई? इस मशीन का प्रयोग किया गया या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री देवकी नन्दन विभव—

जी हां, आर० टी० ओ० आफिस बरेली को ठन्डा पानी की एक मशीन दी गई थी। इस मशीन का प्रयोग अभी तक नहीं किया जा सका है, क्योंकि उक्त कार्यालय भवन में डी० सी० विद्युत् है, जबकि यह मशीन ए० सी० विद्युत् से ही चल सकती है।

## बाढ़ नियन्त्रण कार्य हेतु स्वीकृत धन का व्यय

*51—श्री सुखपाल पान्डेय तथा श्री राम करन सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ नियन्त्रण के अन्तर्गत किन-किन जिलों पर कितना-कितना धन 30 मई, 1972 तक स्वीकृत किया गया उनमें से कितना धन 30 मई, 1972 तक खर्चा किया गया?

*52—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा 1970-71, 1971-72 में बाढ़ नियन्त्रण के लिये कितना धन मिला था उसमें से कितना धन खर्च किया गया था तथा कितना बाकी है? बाकी होने का कारण क्या है?

श्री महमूद अली खां—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

## परिवहन निगम की स्थापना एवं कर्मचारियों की शर्तें

*53—श्री रामसिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परिवहन निगम की स्थापना के बाद परिवहन विभाग के कर्मचारियों से सरकार ने त्याग-पत्र मांगे हैं और कर्मचारी त्याग-पत्र देने से पहले सरकार के सामने कुछ शर्तें रक्खे हैं यदि हां, तो वह क्या हैं ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन ऐक्ट 1950 के अधीन जून, 1972 से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया गया। गठन के तुरन्त पूर्व जो अस्थाई/स्थाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में कार्य कर रहे थे उनकी सेवायें निगम में प्रतिनियुक्ति पर दे दी गई हैं। किसी अधिकारी/कर्मचारी से यह नहीं कहा गया कि वह तुरन्त अपना इस्तीफा सरकार को दे दें। शासनादेश दिनांक 7 जून, 1972 में रोडवेज कर्मचारियों के निगम में विलीनीकरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। विलीनीकरण का प्रश्न तभी पैदा होगा जब निगम द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में अपने नियम बना लिये जायं। कर्मचारियों ने यह मांग की थी कि उनसे इस्तीफा न मांगा जाय। कर्मचारियों की मांग पर विलीनीकरण की प्रक्रिया से संबंधित शासनादेश वापस ले लिया गया है।

*54—श्री रामसिंह खन्ना—

[13 वें बुधवार के लिये स्थगित]

## नलकूप खण्ड अलीगढ़ (द्वितीय) के कूप चालकों का निलम्बन

*55—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माह मई और जून, 1972 में नलकूप खंड अलीगढ़ (द्वितीय) के अन्तर्गत कार्यरत किस-किस कूप चालक को किन कारणों से निलम्बित करने के आदेश किन तिथियों में निर्गत किये गये और दिनांक 8-7-1972 तक उन आदेश को कार्यान्वित किये जाने के क्या कारण हैं तथा वह कब कार्यान्वित कर दिये जायेंगे ?

श्री महमूद अली खां—

उक्त अवधि में केवल एक कूप चालक श्री सोहन लाल को ड्यूटी में अनुपस्थिति के आरोप में निलम्बित किया गया था। निलम्बन आदेश तुरन्त लागू हो गये थे।

## रिग्ज प्रखण्ड, वाराणसी की मशीनों में मेन्टीनेन्स का इस्टीमेट

*56—श्री देवराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1971-72 में रिग्स प्रखण्ड, वाराणसी में कुल कितनी व कौन-कौन सी मशीनें थीं ? इन मशीनों के मेन्टीनेन्स का इस्टीमेट सैंक्शन हुआ है या नहीं ?

श्री महमूद अली खां—

सन् 1971-72 में रिग्ज प्रखण्ड वाराणसी में कुल 29 मशीनें थीं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1—रिंग मशीन .. .. .. | 11 | अदद |
| 2—एअर कम्प्रेसर .. .. .. | 11 | ,, |
| 3—ओ0पी0 यूनिट .. .. | 7 | ,, |

इन सभी मशीनों के मेंन्टीनेन्स का इस्टीमेट स्वीकृत है।

*57—श्री हरिप्रसाद शाही—

[14वें बुधवार में तारांकित प्रश्न 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*58—श्री सूरज लाल गुप्त—

[14वें बुधवार के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*59—श्री रमापति त्रिपाठी—

[14वें बुधवार के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*60—श्री रमापति त्रिपाठी—

[14वें बुधवार में तारांकित प्रश्न 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*61—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[14वें बुधवार के तारांकित प्रश्न 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*62—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[14वें बुधवार के तारांकित प्रश्न 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*63—श्री जयराम वर्मा, श्री शम्पूनाथ चौधरी तथा श्री त्रिलोक चन्द —

[14वें बुधवार के तारांकित प्रश्न 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## अतारांकित प्रश्न

### रायबरेली में विभिन्न सड़कों का निर्माण

1—श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार जिला रायबरेली के ब्लाक मुस्तफाबाद व सलोन तथा ऊंचाहार की ऊंचाहार–खरौली, सलोन भटकां–जगतपुर, सलोन मीरजहांपुर—रसूलपुर, बधौला—पिछवार गोकनाघाट, ऊंचाहार–सलेमपुर भैरों/अकोढ़िया/कुसुवापुर, सड़कों का निर्माण कराएगी तथा मुंशीगज दरियापुर –इलाहाबाद सड़क को तारकोल की बनवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

प्रश्नगत सड़कों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

ऊंचाहार सरौली तथा सलोन मीरजहांपुर रसूलपुर सड़कों का निर्माण ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। इसमें से ऊंचाहार खरौली मार्ग का ही निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

सलोन भटका जगतपुर सड़क के निर्माण की स्वीकृति अक्तूबर, 1971 में दी जा चुकी है तथा कार्य आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

मुंशीगंज दरियापुर इलाहाबाद सड़क के मुंशीगंज से ऊंचाहार तक के आधुनीकरण का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है तथा इसके मुंशीगंज जगतपुर भाग पर कार्य आरम्भ भी हो गया है।

बधौला पिछावर गोकनाघाट तथा ऊंचाहार सलेमपुर भैरों–अकोढ़िया कुसुवापार सड़कों के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है।

2—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[निगम बन जाने के कारण निरस्त]

## रायबरेली की कच्ची सड़कों को पक्की करने का प्रस्ताव एवं जनशक्ति योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

3—श्री शिव प्रसाद पांडिया—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष सन् 1971–72 में जिला रायबरेली के अन्तर्गत ब्लाक सलोन–भटका–जगतपुर की कच्ची सड़क को पक्की किए जाने का प्रस्ताव किया गया था यदि हां, तो उसका निर्माण-कार्य कब शुरू किया गया और वह कब तक पूर्ण हो जाएगा ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी हां । इस मार्ग के विस्तृत आगणन की प्रशासकीय एवं प्राविधिक स्वीकृति के बाद ही इस सड़क के निर्माण का कार्य आरम्भ हो सकेगा । अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि यह कार्य कब पूर्ण होगा ।

4—श्री शिव प्रसाद पांडिया—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि विकास खंड सलोन व ऊंचाहार की कितनी सडकों की जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत लिया गया है और अब तक कितना निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है और कुल कितना व्यय हो चुका है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जनशक्ति योजना के अन्तर्गत इन विकास खंडों में किसी भी मार्ग का निर्माण स्वीकृत नहीं है ।

## कौड़ीराम–गोला–गजपुर–रुद्रपुर गोरखपुर की सड़कों का निर्माण

5—श्रीमती मसाली देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत कौड़ी राम गोला रोड तथा कौड़ी राम-गजपुर रुद्रपुर रोड निर्माण सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी नहीं । धनाभाव के कारण इन मार्गों का निर्माण इस समय सम्भव नहीं है ।

## सीतापुर की स्वीकृत सड़क एवं जहांगीराबाद से रेउसा के बीच के पुल

6—श्री कृष्णकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में दो सड़कें रेउसा तम्बौर तथा लहरपुर तम्बौर का छूटा भाग जो अधिक समय से स्वीकृत है उसमें अभी तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सा0 नि0 मंत्री उपरोक्त सड़कों का निर्माण सन् 1972–73 में कराने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी हां । इन सड़कों का निर्माण सन् 1972–73 में ही आरम्भ करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

7—श्री कृष्णकान्त अवस्थी—

क्या सा0नि0मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में सीतापुर से बहराइच जाने वाली सड़क रेउसा तक कंकड़ की बनी हुई है परन्तु जहांगीराबाद से रेउसा के बीच तीन स्थानों पर पुल न होने के कारण वर्षा में यातायात बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो क्या शीघ्र इन पुलों का जनहित में निर्माण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी हां । परन्तु पुलों का निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

8—श्री कृष्णकान्त अवस्थी—

क्या सा0नि0मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में लहरपुर से तम्बौर जाने वाली सड़क पर गोवरिहिया नाला पर पुल न होने के कारण बरसात में यातायात बन्द हो जाता है जब कि सड़क पक्की कंकड़ की बनी हुई है ? यदि हां, तो क्या जनहित में इस पुल का निर्माण सन् 1972–73 में कराने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

इस पुल का निर्माण सन् 1972–73 में आरम्भ करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

## रायबरेली की बेहटा–करैनी सड़क

9—श्री रितुराज सिंह (जिला रायबरेली) तथा श्री राम दुलारे (जिला रायबरेली)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली की बेहटा-करैनी सड़क कब तक बन जायेगी ? क्या इस सड़क का बनना इस समय बन्द है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसका क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

प्रश्नगत मार्ग जिसकी कुल लम्बाई 8 किलोमीटर है इसके 6 किलोमीटर में कार्य चल रहा है और आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक यह भाग यातायात के लिये तैयार हो जायेगा । केवल 2 किलोमीटर पर जो कि बेहटा-कलां ग्राम के पास है भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका है । ग्राम बेहटा के निवासियों ने मार्ग के संरक्षण के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई परन्तु आशा है कि यह मामला शीघ्र तय हो जायेगा ।

## प्रतापगढ़ के ग्रामों में राजकीय नलकूप लगाने की योजना

10—श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा, मंगरौरा एवं सांगीपुर के क्रमशः किन-किन गांवों में राजकीय नलकूप लगाने की योजना 1972–73 में है ?

श्री महमूद अली खां—

इनमें से किसी गांव में अभी सरकारी नलकूप लगाने का प्रस्ताव नहीं है ।

11–12—श्री राम किशोर शुक्ल—

[निगम बन जाने के कारण निरस्त]

## अमरौना (जौनपुर) का राजकीय नलकूप

13—श्री राम सागर (जिला जौनपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद में विकास क्षेत्र डोमी के ग्राम अमरोना में एक सरकारी नलकूप की बोरिंग सन् 1970–71 में हो चुकी है ? अभी तक उक्त नलकूप चालू न करने का क्या कारण है ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां । नलकूप का विस्तारण सफल न होने के कारण यह चालू नहीं किया जा सका ।

14—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[13वें बुधवार के लिये स्थगित]

15–16—श्री शेरसिंह दानू—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

17—श्री दल सिंगार यादव—

[निगम बन जाने के कारण निरस्त]

## मुजफ्फरनगर को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रदत्त धन

18—श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश की तरफ से जनपद मुजफ्फरनगर में साल 1970–71 और 1971–72 में कितना रुपया किस-किस मद में खर्च करने के लिये दिया गया और उसमें से कितना-कितना खर्च हुआ है और मदवार कितना-कितना वापिस किया गया और क्यों ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

मदवार सूचना सदन की मेज पर रखे प्रपत्र "क" व "ख" में दी गई है । बचत मुख्यतः भूमि अध्याप्ति की कठिनाई तथा निर्माण सामग्री की उपलब्धि में कठिनाई के कारण हुई है ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 883 पर)

19—श्री भाभी यादव—

[14वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव†

श्री अध्यक्ष—

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव को कौन प्रस्तुत करेगा ।

(श्री चरण सिंह के खड़े होने पर उनके दल द्वारा मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष—

आप कितना समय लेंगे ? यद्यपि समय निश्चित नहीं है । आप अन्दाज बता दीजिये।

---

†27 जुलाई, 1972 को अनुज्ञा दी गयी ।

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस गवर्नमेंट के कारनामें तो ऐसे हैं, म अभी अपने एक सहयोगी से कह रहा था कि एक दिन में ये जितना काम करते हैं जिस तरह का उसका बयान करने के लिये एक दिन ही चाहिये । हर डिपार्टमेंट में जो कुछ हो रहा है मिनिस्टर्स आफिसर्स के द्वारा जो करवा रहे हैं अगर उनको इकठ्ठा किया जाय तो इनके कारनामें बयान करने के लिये एक दिन चाहिये। तो इसलिये मैं उतना तो कर नहीं सकता और न ही आप या मेरे माननीय मित्र समय देंगे इसलिये मेरा इरादा बहुत कम बोलने का है। आप तय कर लीजियेगा । बात इतनी है कि आप बीच में टोकना नहीं चाहेंगे । तीन घंटे से ज्यादा नहीं लूंगा अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं प्रस्ताव पेश करूंगा मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है माननीय कमलापति त्रिपाठी की गैरहाजिरी ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रस्ताव पेश करें ।

श्री चरण सिंह—

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन मंत्रि परिषद में अविश्वास प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस मुगालते में नहीं हूं कि हमारी किसी कोशिश से इस गवर्नमेंट का पतन हो सकता है । नहीं हो सकता है । मैं तो केवल अपने कर्त्तव्य को निभाना चाहता हूं और इसलिये मैंने यह प्रस्ताव पेश किया । गवर्नमेंट मेजारिटी पार्टी के हाथ में है कि किस प्रकार की होगी । तो माननीय सदस्यगण जो उधर बैठे हैं उनको यही मंत्रिगण और यही नीति, और उनका यही कांडक्ट पसन्द है जिस तरह से वह चल रही है । तो हमारी किसी कोशिश से उस गवर्नमेंट पर कोई असर होने वाला नहीं है । लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं अपने कर्त्तव्य को निभाना चाहता हूं । अब पेश्तर इसके कि गवर्नमेंट के कामों के सिलसिले में मैं कुछ बयान करूं मान्यवर, गवर्नमेंट के गठन की ओर ध्यान दीजिये । अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय मुख्य मंत्री ने पुनर्गठन पोर्टफोलियोज का किया है उस सिलसिले में जो आपके गजट की विज्ञप्ति निकली है उसके देखने से मालूम होता है कि माननीय मुख्य मंत्री को कोई अधिक विश्वास अपने साथियों पर नहीं है । क्यों? वैसे तो उन्होंने अपने पास कोई 11 मुहकमें रक्खे थे । लेकिन ग्यारह में से दो छोटे छोटों को मिला भी दें । 7 मेजर पोर्टफोलियोज माननीय त्रिपाठी जी ने अपने पास रखे हैं । क्यों? क्या कोई मिसाल है कि किसी मुख्य मंत्री ने इतने मुहकमें अपने पास रखे हों । मान्यवर, जो गजट छपा है उसके अनुसार सामान्य प्रशासन, नियुक्ति, ठीक है मुख्य मंत्री के पास होना चाहिये । फिर, गृह, जिसमें कारागार सम्मिलित नहीं है और उसके साथ होमगार्ड । चलिये यह भी माना । लेकिन इसके बाद आप देखेंगे उद्योग, चीनी मिल और गन्ना विकास, शिक्षा, नियोजन—नियोजन में कोई बहुत काम करने को नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं है । सेक्रेटेरिएट में केवल एक प्लानिंग सेक्रेटरी है । इसके बाद श्रम (लेबर) । लेबर में इतना माथापच्ची का काम है, क्योंकि मुझे भी बहुत से मुहकमें का तजुर्बा है, और लेबर से मैं हमेशा बचना चाहता था । लेकिन हमारे मुख्य मंत्री के पास इतना समय है । ठीक है। मान्यवर, पहला सामान्य प्रशासन, दूसरा नियुक्ति, तीसरा गृह तथा होम गार्डस, चौथा उद्योग, पांचवां शिक्षा, छठा श्रम और सातवां गन्ना विकास और चीनी मिल—यह मेजर पोर्टफोलियोज हैं उनके पास जबकि 14 उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं । इसके अलावा कुछ डिप्टी मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स हैं । लेकिन सवाल यह है कि इन्होंने अपने कैबिनेट के कुलीग्ज को इंडिपेंडेंट चार्ज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह ]

क्यों नहीं दिया ? इसलिये कि ये कुछ मामलों में राज्य मंत्री का विश्वास नहीं करते । मैं नहीं समझता दुनियां के किसी चीफ मिनिस्टर्स के पास इतना समय होना चाहिये कि वह इतने सारे मुहकमें को देख सकें ।

हमारी स्टेट बहुत बड़ी है और दुनिया भर में एक प्रशासनिक इकाई इतनी बड़ी कहीं नहीं है । साढ़े 5 लाख ब्यूरेक्रेसी है 425 एम०एल० एज० है । वे चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हो और उसके लिये भीड़ लगती रहती है । इतने बड़े-बड़े अधिकारी हैं और उनसे मिलना चाहते है तो वह कहां से समय निकलेंगे । मैं यह नहीं कहता कि इतने मुहकमें अपने पास न रखें, लेकिन मैं अगर उनसे यह पूंछू कि 54 डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नाम गिना दों, तो क्या वह गिना सकते हैं ? मैं उनसे एस० पीज के नाम गिना दो तो क्या वह गिना सकते हैं जबकि वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का नाम नहीं जानते हैं, उनके एन्टीसीडेंट्स नहीं जानते हैं, उनका नाम लेकर उनको उलाहना और तारीफ के लिये उनकी पीठ पर हाथ नहीं फेर सकते हैं और कौन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या काम कर रहा है उस पर नजर नहीं रख सकते हैं, तो कैसे काम होगा । लिहाजा ब्यूरेक्रेसी जो चाहे कर रही है । मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि होम डिपाटमेंट और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ही बहुत काफी हैं और जितना दूसरे प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर्स को काम करना पड़ता है, यहां के चीफ मिनिस्टर को तिगुना काम करना पड़ता है, क्योंकि 6–7 मेजर मुहकमें उनके पास हैं और उसका नतीजा यह है कि इनएफीसिएंसी जरूर है । यही बात नहीं जो स्टेट मिनिस्टर्स रखे हुये हैं, मैं किसी बारे में विस्तार से नहीं कह सकता, लेकिन बहुत से स्टेट मिनिस्टर्स पर उनके कैबिनेट कुलीग्ज का विश्वास नहीं है । कोई काम नहीं दिया जाता । कैबिनेट मिनिस्टर के पास फाइलें की फाइलें इकट्ठा हैं लेकिन वह अपने कुलीग पर विश्वास नहीं करते । कुछ को विश्वास है, उनसे काम लिया जा रहा है और एक आध तो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं । लेकिन कुछ ऐसे हैं, जिन पर विश्वास नहीं है । लेकिन कैबिनेट में उनको रखना है । ठीक है, आपने उन्हें तनख्वाह दे दिया, कार दे दिया और सहूलियतें दे दीं । लेकिन अध्यक्ष महोदय, पब्लिक वर्क आज सफर कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, रामकृष्ण द्विवेदी को क्यों ड्राप किया गया । इस लिये तरह-तरह की कहानियां कही जाती हैं । मैं नहीं जानता, वे कहानियां कहां तक सही है । लेकिन मैंने सुना यह है कि उन्होंने एक ईमानदार डी-वाई, एस०पी० का ट्रासफर करने से इंकार किया और सब-इंसपेक्टर का ट्रांसफर कर दिया । सब-इंसपेक्टर चाहता था कि डी-वाई० एस०पी० का ट्रांसफर हो । लेकिन उन्होंने वह नहीं किया । तो मैंने सुना कि श्री द्विवेदी से कहा गया कि 'तब आप होम-मिनिस्टर नहीं रहने वाले हैं' । मैं नहीं कहता कि मुख्य मंत्री ने यह कहा । लेकिन एक दूसरे सज्जन ने यह कहा और श्री द्विवेदी होम मिनिस्टर नहीं रहे । तो अब हो सकता है कि यह बात गलत हो । लेकिन कहानियां हैं इस प्रकार की । जहां तक श्री द्विवेदी के काम का ताल्लुक है, मैंने सुना है कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे थे या जैसे दूसरे राज्य मंत्री काम कर रहे थे, ठीक वैसा ही कर रहे थे और मुख्य मंत्री के विश्वस्नीय व्यक्ति थे । फिर क्यों उनको हटाया गया । खैर, वह बात जाने दें मैंने सिर्फ इशारा कर दिया उस ओर । लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी र्‍युमर होती है वह धीरे-धीरे सारे स्टेट में फैलती है, उससे ऐडमिनिस्ट्रेशन पर असर पड़ता है । और इसलिये उससे हमको भी इंट्रेस्ट है । इसीलिये हमने उसका जिक्र किया ।

श्रीमन्, पेश्तर इसके कि चन्द और बातों का जिक्र करूं डिटेल में—डिटेल में बाद में बहुत जाऊंगा करप्शन और ऐडमिनिस्टेशन का जिक्र करूं, मैं इस सरकार की चन्द नीतियों का जिक्र करना चाहता हूं । मान्यवर, आज हमारे देश पर अनावृष्टि के अकाल की साया मडरा रही है । मैं नहीं कहता कि इसके लिये यह गवर्नमेंट दोषी है, बिल्कुल नहीं । लेकिन

इस सिलसिले में मेरे मन में एक विचार आता है कि परमात्मा न करे कि यह अकाल अगर पड़ गया तो यह माननीय त्रिपाठी जी के मिनिस्टरों की टीम है, विल इट कम अपटु दि मार्क क्या इस सिलसिले में जिस तरह की सेवा की आवश्यकता होगी, वह ये लोग कर सकेंगे? क्या उसमें भी करप्शन और इनइफीसियेंसी का सबूत नहीं दिया जायेगा? खैर परमात्मा न करे वह समय आये ।

ठीक उसी तरह की समस्या आज राइजिंग प्राइसेज की है । आज दिन-बदिन कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं । अध्यक्ष महोदय, मुझको खुद उसका ज्ञान है कि जो हमारी जनता के लोग हैं, जो हमारे सामान्य लोग हैं, उनको कितनी कीमतें देनी पड़ती हैं गेहूं के लिये, आटे के लिये, दाल के लिये, घी के लिये । आज जो रोजाना की चीज चीनी है. उसकी कीमतों की बात कानों पर पड़ती है तो ताज्जुब होता है । दिन-बदिन कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं । जनरल बात तो यह है कि सन् 50 में रुपये की जो कीमत थी, यह उसका चौथाई रह गयी है और सन् 60 में जो उसकी कीमत थी, वह उसका 50 प्रतिशत हो गयी है । तो ये कीमतें हर रोज बढ़ रही हैं । लेकिन अध्यक्ष महीदय, अफसोस की बात तो यह है कि हमारी माननीया प्रधान मंत्री जी अभी 12 जुलाई को प्रेस कांफेरेंस में यह कहती है प्राइसेज तो नीचे आ रही हैं । इस संबंध में मैं उनके वर्डस रख देना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय अंग्रेजी में है वह "दि रीसेंट राइज बाई 3.5 परसेन्ट इज ओनली ड्यूटू लेट, सेटिंग आफ मानसून" और फिर इनवर्टेड कामाज में है "and now prices have begun to come down" यानी साढ़े तीन परसेंट जो बीच के जमाने में बढी है वह मानसून के देर से आने के कारण बढ़ी है और अब प्राइसेज-11 जुलाई को जबकि बोल रही है नीचे आ रही है।

अयध्क्ष महोदय, यह बदकिस्मती है इस देश की, प्रधान मंत्री को जिन लोगों ने ऐसी एडवाइस दी है उन्होंने उनके साथ न्याय नहीं किया है। उनको कोई सजा देगीं वह ? कुछ नही पब्लिकली कोई माफी मांगेंगी ? वाकया क्या है । वाकया यह है कि जुलाई 11, 1971 को सन् 59–60 को 100 मानकर, कीमतें 207 हो गयी थीं और जून 30, 1972 को यानी बोलने के 11 दिन पहले 239.7 थीं और 11 जुलाई को जिस दिन कि बोक रही थीं उस दिन 241.5 थी । और कहती हैं कि कीमतें नीचे आ रही हैं । यह तब वही हाल हुआ कि जब फ्रांस में क्रांति हुई थी और लोगों की भीड़ राजमहल के नीचे हो गयी और शोर होने लगा तो महारानी ने पूछा कि कहां का शोर है और उन्हें बताया गया कि भूखे लोग हैं तो वह कहने लगीं व्हाई डू दे नाट टेक ब्रेड । यानी जो मामूली अन्न है उससे बेहतर चीज खाने के लिये कहा । वही हमारी बहन का हाल है कि उन्हें कुछ पता नहीं । लोगों को जो तकलीफ होगी उसका अन्दाजा वही लगा सकते है जो उसको फेस कर रहे हैं, जो सर्वसाधारण हैं या नीची आमदनी के लोग ह । लच्छेदार भाषण से तो कुछ होने वाला है नहीं । न बच्चों के लिये खाना है, न बच्चों की आंखों में रोशनी है, न गालों पर लाली । एक स्कवैन्डर मैनिया है । अनप्राडक्टिव एक्सपेंडीचर हैज रन प्रोडक्शन । जितनी पैदावार है, जितनी सम्पत्ति की वृद्धि हो रही है, खर्च न कहीं उससे ज्यादा है । पिछले साल तीस हजार करोड़ की हमारी आमदनी सारे देश की आंकी गयी और 1500 करोड़ का टैक्स, यानी पांच प्रतिशत । तो कीमतें बढ़ गयीं । अधिकतर अनप्राडक्टिव एक्सपेंडीचर हुआ।

अध्यक्ष महोदय, अभी मैं कुछ चीज लिख रहा था तो उस सिलसिले में एक चीज मेरी नोटिस में आयी वह आपकी इजाजत से मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं । टाइम्स आफ इंडिया में एक लेख निकला था इस सिलसिले में और उस लेख से पहले या बाद में एक बड़ा अच्छा एडीटोरियल आया था । उसके अलफाज मैं पढ़कर सुनाना चाहता हुं

"More and more of the chronic problems which this country faces are being traced to a single root cause"

[श्री चरणसिंह]

यानी जितनी समस्या है गम्भीर से गम्भीर, हमारे देश को जिनका सामना करना पड़ रहा है उन सबका एक मूल कारण है।

"Failure of the Government to curb the production of non-developmental expenditure."

अनुत्पादक खर्च पर वृद्धि में रोक लगाने में गवर्नमेंट की असफलता। और वह अनप्राडक्टिव एक्सपेंडीचर क्या है? वह कहते हैं—

"The failure of the Government to curb the growth of non-developmental expenditure, incurred mostly in paying the wages of a proliferating bureaucracy."

यानी बढ़ती हुई राज्य कर्मचारियों की संख्या पर रोक न लगाया जाना। सबसे अधिक वह कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर पर है। आपको सुनकर अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब होगा, मुझे भी नहीं मालूम था। 1960–61 और 1969–70 के बीच की बात इसमें यह लिखी है।

"Between 1960-61 and 1969-70 such expenditures increased by slightly more than the additional tax revenues of the Central and State Governments. This frustrated all attempts, to revise the rate of investment in the economy."

यानी पिछली दशाब्दी में में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने टैक्सेज लगाये, और जितने राज्य सरकारों ने टैक्स लगाये उससे कुछ ज्यादा यह अनुत्पादक खर्चा है; यानी 80 और 90 फीसदी गवर्नमेन्ट सरवेंट्स की तादाद बढ़ाने में खर्च हुआ। अगर सारी आमदनी हम अपने राज्य कर्मचारियों के डीयरनेस एलाउंस पर, उनके वेतन पर और अनुत्पादक खर्चों पर लगा देंगे तो सड़कें नहीं बनेंगी, स्कूल नहीं बनेंगे, अस्पताल नहीं बनेंगे और बिजली नहीं आयेगी। तो तनख्वाहें बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं और तादाद भी बढ़ाते जा रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट बुकलेट गवर्नमेंट आफ इंडिया से निकली है उसके मुताबिक सन् 1962 में सेन्ट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और क्वासी स्टेट गवर्नमेंट यानी अर्धसरकारी जितनी इकाइयां हैं और लोकल बाडीज हैं उनके कर्मचारियों की संख्या थी 74 लाख और वह सन् 1971 में 1 करोड़ 7 लाख को गयी यानी लगभग 50 प्रतिशत और मैं अध्यक्ष महोदय कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि जिसे अतिशयोक्ति कहा जाय।

अब मैं तो ठीक डेट नहीं बतला सकता कि सन् 1965–66 में आडिट रिपोर्ट शाया हुई गवर्नमेंट आफ इंडिया की और उसकी फाइंडिंग पर नेशनल हेराल्ड ने अपने एक एडीटोरियल में जिक्र किया था कि यह जितनी ब्यूरोक्रेसी है उसमें वन थर्ड रिडन्डेंट है यानी एक तिहाई जरूरत से ज्यादा रखे गये हैं। एक बार मैं लखनऊ से दिल्ली जा रहा था। उन में से एक से बातचीत हुयी तो उसने बतलाया कि वह 10 बजे आया तो वहां कार्यालय में साढ़े दस और 11 बजे तक तो कोई आया नहीं था और रोजाना यह होता रहा तो उसने भी 11 बजे जाना शुरू कर दिया और काम तो वहां उसने दो घंटे का बतलाया। नतीजा यह है कि राज्य कर्मचारियों की तादाद बढ़ती जाती है और कुछ राजनीतिज्ञों का विश्वास यह है कि बेरोजगारी की समस्या का हल एक है कि गवर्नमेंट जाब ज्यादा से ज्यादा क्रियेट किये जावें और उससे वह समस्या हल हो जावेगी। इस विश्वास के मातहत यह काम हो रहा और उसमें यह खर्चे हो रहे हैं। अब जो खर्च हो रहा है, तादाद तो बढ़ ही रही है और यही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया ही लेकिन उन्होंने हमारी भी समस्या पैदा कर दी। अध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा जब आपको मालूम होगा कि आज लाइफ इंश्योरेंस के एक चपरासी को मय एलाउन्स के साढ़े चार सौ रुपये तनख्वाह मिलती है। मुझसे एक आदमी मिला था। मैं बनारस जा रहा था। उसने मुझे बतलाया। मैंने उससे पूछा कि तुम कहां काम करते हो, तो उसने बतलाया कि वह लाइफ इंश्योरेंस में काम करता है और उसकी तनख्वाह यह है। यही नहीं, स्टेट बैंक आफ इंडिया में उसने एक चपरासी की तनख्वाह 5 सौ रुपये बतलाई थी।

डेली एलाउन्स और ओवरटाइम सब मिलाकर ड्राइवरों की तनख्वाह 1,000 रु० है। हेडक्लार्क जिसकी सर्विस 15 साल की है उसको 1,200 रु0 तनख्वाह मिलती है। इसी तरह से बैंक इम्प्लाईज भी हैं और उनकी उससे ज्यादा है। क्या असर पड़ेगा हमारी सर्विस पर। साइकोलोजिकली वह समझते हैं कि हमारे राज्य कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। बाराबार कोशिश की जाती है लेकिन कुछ होता नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सन् 67 में वह भी एस0 वी0 डी0 गवर्नमेंट के नुमाइन्दे थे और सन् 70 में भी आपकी मेजारिटी हमारे साथ थी। हमने इसके लिए कोशिश की लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और उनमें से किसी की पे घटाई नहीं गयी। इतनी हड़ताल और अनुशासनहीनता तथा भ्रष्टाचार जो है वह इस लिये भी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट इम्पलाइज में इतना बड़ा तनख्वाहों में फर्क है।

समाजवाद या गरीबी ज्यादा पे बढ़ाने से और जनता पर टैक्स लगाने से नहीं दूर हो सकती है। हर क्षेत्र में इसका सन्तुलन होना जरूरी है। मद्रास में सिम्सन कम्पनी है। वह इनडस्ट्री में सहयोग करना चाहती थी कि गवर्नमेंट लेबर ने स्ट्राइक कर दिया। इम्प-लायरस ने कहा कि हम बन्द करना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने लेबर को सपोर्ट किया उसकी पे बढ़ाने के लिये। वहां पर 540 रु0 मिनिमम पे सिम्सन इनडस्ट्री के लेबर की है। स्टेट की जो राइजिंग प्राइसेज हैं, उसकी ओर भी बहुत सी समस्यायें हैं उनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता है न तो त्रिपाठी जी या और कोई। इसको आप कैसे हल करेंगे ? आप देश में डायरकी नहीं चाहते हैं, फैक्टरी लेबर की आप एक जगह पे बढ़ायेंगे तो दूसरी जगह उसकी परेशानी पैदा हो जायेगी। मद्रास में उन्होंने बिजली के रेट बढ़ा दिये 10 से 12 1/2 कर दिया। गवर्नमेंट आफ इंडिया के कहने से ही करुणानिधि ने यह किया। उसमें सभी पार्टीज ने हिस्सा लिया। किन्हीं विशेष क्षेत्रों में अगर आप पे बढ़ायेंगे तो निश्चय रूप से उसका असर दूसरी जगहों पर पड़ेगा।

एक तरफ तो पे और दूसरी तरफ तादाद। 10 प्वाइंट राइज पर पे बढ़ जाती है। होता यह है कि आज आप 50 करोड़ रु0 गवर्नमेंट सरवेंट्स को बढ़ाकर दे दें उसी दिन शाम की सब्जी के दाम बढ़ जायेंगे, गल्ले के दाम बढ़ जायेंगे। इससे कोई फायदा नहीं है और जनता का, पब्लिक का इससे नुक्सान हो गया। आपको 1,100 के बजाय 1,300 रु0 मिलने लगा। दुकानदार कहता है कि बाबू जी अब आप ज्यादा पैसा दें। आपकी तनख्वाह बढ़ गई है। इसकी तकलीफ सारी जनता को हो गई। ताज्जुब की बात है कि यह समझा जाता है तनख्वाह को बढ़ाकर, एलाउन्सेस को देकर गरीबी मिटा देंगे। यह होने वाला नहीं है। ब्रिटेन जैसा मुल्क जो हमसे 25 गुना ज्यादा मालदार है, उसकी आय अधिक है उन्होंने भी 1965 में अधिक तनख्वाहों पर रोक लगा दी थी। वेज फ्रीज कर दिया। हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं करते ? हमारे आदमी कावर्ड्स हो गये, नहीं है हिम्मत। आखिर यह रुपया प्रोडक्शन में ही लगेगा यह कोई नहीं सोचता। बस, इमिडिएट गेन हो जाय। इलेक्शन होने वाला है, लिहाजा तनख्वाह बढ़ाओ।

जब मैं यह कहता हूं कि सितम्बर, 1970 में जैसा कि मुझको विश्वास है, उस वक्त इंदिरा जी तय कर चुकी थीं हालांकि 18 सितम्बर को इंतजार था कि इलेक्शन नहीं करायेंगे और 27 दिसम्बर को अनाउन्स करती है पार्लियामेंट का डिस्सोल्यूशन। लेकिन सितम्बर में उन्होंन 142 करोड़ रुपया केवल इंटरिम अलाउन्स में बढ़ा दिया। 106 करोड़ की एक मद, साढ़े 6 करोड़ की एक मद। कुछ एल0आई0 सी0 की साढ़े चार करोड़ की और 25 करोड़ की एक मद। 142 करोड़ इस तरह से दे दिया और यह न सोचा कि इससे प्राइसेज शूट कर जायगी। सबसे ज्यादा तकलीफ की बात तो यह है कि जिस वक्त हमारा पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो उसको फाइनेंस करने के लिये वित्त मंत्री चाह्वाण साहब 140 करोड़ रुपये का टैक्स लगाते हैं 11–12 दिसम्बर को और 13 दिसम्बर को

[श्री चरण सिंह]

37 करोड़ रुपया डीयरनेंस अलाउन्स में दे दिया जाता है इंक्रीमेंट के तौर पर। जनता का पैसा लेकर देश की रक्षा में हमारें नौजवान फ्रंटियर्स पर जुट हुये हैं युद्ध के मैदान में ।

मैं इतना जानना चाहता हूं कि एक मिसाल ही ऐसी मिल जाय कि किसी देश के राज-कर्मचारी यह डिमांड करते हों कि ऐसे मौके पर उनकी तनख्वाह बढ़ायी जाय। मैं तो यह कहता हूं कि अगर उनको सुझाव दिया जाता है तो वह हरगिज डिमांड न करते और उन्होंने जोर भी नहीं दिया था। वह तो अपनी तनख्वाह में से 5–10 फीसदी कटा भी देते अगर अपील की जाती। मुझको तो ऐसा लगता है कि मांग मगवायी गयी और मंजूर की गयी। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि चूंकि इलेक्शन कराना था असेम्बली का इसलिये यह हुआ । 17 दिसम्बर को शाम 8 बजे यह तय होना कि पाकिस्तान सीज फायर को राजी होता है या नहीं होता है, लेकिन उस रोज 10–10 बजे दोपहर को, वक्त मुकरर्र से 10 घंटे पहले जो कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में मीटिंग होती है उसमें रेजोल्यूशन पास होता है कि इलेक्शन असेम्बली का कराना चाहिये । क्योंकि वह तो सबसे पहली फिक्र है कि अगर डीयरनेस बढायेंगे तो राजकर्मचारी वोटों के लिये काम करेगा।

मैं अपने इस अक्यूजेशन को हटा लेता हूं, लेकिन कहीं मिसाल है कि इस तरह से डीयरनेस बढ़ाया जाता हो या इस तरह से अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर कर दिया जाता हो । और नतीजा यह हुआ कि प्राइसेज बढ़ीं । आपको सुनकर ताज्जुब होगा और मेरे माननीय दोस्तों को भी कि 14 हजार रुपये महीने पर यहां यूनियन बैंक हैं गवर्नमेंट का उन्होंने एक बिल्डिग किराये पर ली लखनऊ में और एक साल का किराया उसको पहल से दे दिया, फाइनेंस कर दिया कि वह बिल्डिग बना ले 1,68,000 रुपया शायद होता है । ये गरीब देश के खर्चे हैं, इनका कुछ तो फल निकलेगा । आखिर हमने समझा क्या है ।

अध्यक्ष महोदय, जो शिमला सम्मेलन हुआ है जिस तरह उसमें खर्चा किया गया है, भुट्टो साहब की दावत के लिये प्लेन हमारा जाता है इस्लामाबाद से भोजन लाने के लिये ।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

आपका सारा भाषण सेंटर पर हो रहा है । (व्यवधान)

आप सेंट्रल के मत्रिमंडल के विरुद्ध बहस कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश के ?

श्री चरण सिंह—

मुझे अफसोस है कि मेरे माननीय मित्र ने मेरी बात को सुना नहीं । मैंने तो यह कहा कि मैं कह तो रहा हूं इस प्रदेश की बात लेकिन क्योंकि हमारा समाज'और देश एक है लिहाजा आइसोलेशन में आप यू0 पी0 का मामला हल नहीं कर सकते । अगर मैं इन सारी चीजों का दोष आपकी गवर्नमेंट के मत्थे मढ़ूं तो मैं अन्याय करूंगा इनके सांथ । यह इत्तफाक है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट आपके हाथ में है लिहाजा इसका कुछ हल सोचिये ।

तो मैं खर्चे की मिसाल दे रहा था । दरियागंज कोई जगह है देहली में और उसमें कोई मोतीमहल है । वहां से मुर्ग मुसल्लम तैयार हो कर शिमले में जो पाकिस्तानी मेहमान थे उनकीं खातिर रोज हिन्दुस्तान का एयरोप्लेन जाता था । क्यों न खर्चा बढ़े । ठीक है, लाख, दो लाख, करोड़, दो करोड़ कोई माने नहीं रखता, सारा सवाल है उस दृष्टिकोण का । इस गरीब मुल्क की हुकूमत जिन लोगों के हाथ में आ गयी है वह आते ही सब बातें भूल गये । इसलिये ये प्राइसेज बढ़ रही हैं । तो मेरा फिर माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना है कि जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें आती है उसमें वह कदम उठायें ।

मेरे मित्र को बड़ी परेशानी हो रही थी, अब मैं यहां की बात कहता हूं, आप करिये उसका हल। 1 अरब 27 करोड़ रुपये यू0पी0 गवर्नमेंट टैक्सेज से वसूल करती है। इसके अलावा इनकमटैक्स का जो हिस्सा है वह सेंटर से मिलता होगा, वह दूसरी बात है। और हमारे राज्य कर्मचारियों की तनख्वाह 1 अरब 27 करोड़ है। तो क्या बचा इन्वेस्टमेंट के लिये ? कभी कोई सोचता है ? बस स्ट्राइक हुई और भला बनने के लिये आपने पैसे दे दिये। इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स की स्ट्राइक मेरे जमाने में हुई। 25 को शुरू हुई और 28 की शाम को विलिंगडन अस्पताल में उनके लीडर मिलते हैं मिस्टर बनर्जी, मैं वहां गया हुआ था एक रिश्तेदार बीमार थे उनको देखने। कहते हैं कि चौधरी साहब, मैं स्ट्राइक वापस ले लूं। मैंने कहा, आपका नाम क्या है। मालूम हुआ बनर्जी है। मैंने कहा कि मैंने कब कहा कि वापस लें लो। वापस ले लिया। लेकिन माननीय कमलापति त्रिपाठी जी और माननीय बहुगुणा जी इन्हीं इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स का जुलूस निकालते हैं और मीटिंग करते हैं और हजार गालियां मुझको देते हैं। 20 सितम्बर का अखबार पढ़िये। गवर्नमेंट बदली। मेरे साथी उसमें 9 थे और आपके 13 साथी थे। इन सब का समर्थन उसको प्राप्त था। मैं फिर कहता हूं कि जिस सहूलियत के साथ वह गवर्नमेंट चली, मैंने अपने एक बयान में कहा था, उतनी सहूलियत के साथ, मैं इतने दिनों तक एक ही पार्टी की गवर्नमेंट का मेम्बर रहा हूं, एक पार्टी की भी गवर्नमेंट नहीं चली। लेकिन पोलिटिकल कसीडरेशन को सामने रख कर कंडम किया जाता है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। आखिर इन्हीं के मां-बाप गांवों में पड़े हैं। सब इन्हीं को दे देंगे तो उनका क्या होगा ? और वही माननीय बहुगुणा जी जब पोस्ट ऐंड टेलीग्राफ के मिनिस्टर हुये तो उनका एक बयान निकला कि जो स्ट्राइक करेगा सजा दी जायेगी। 69 का पैमाना 72 में क्यों बदल गया ? इन कर्मचारियों से अगर आप पूछेंगें तो वे भी यही कहेंगें कि हमारी तनख्वाहें चाहे कम कर दीजिये, मगर मंहगायी रोकिये, चीजों के दाम कम होने चाहिये। 40 वर्ष पूर्व अंग्रेजों के जमाने में जो वेतन उनको मिलता था वे वही वेतन लेना पसन्द करेंगें अगर उनको उसी जमानें के भाव से चीजें मिल जायें।

आज प्राइसेज दिन पर दिन बढ़ती चली जा रहीं है। माननीय शिवकुमार पांडय जी में बड़ा जोश है, मैं उनसे कहता हूं कि वे अपनी पार्टी में इस प्रश्न को उठायें, जब अपने गांव जायें तो वहां भी लोगों को बतायें कि जितना टैक्स सरकार वसूल करती है उससे 6 करोड़ ज्यादा वह कर्मचारियों पर खर्च कर देती है तो और विकास आदि के कार्य कैसे और कहां से होंगे ? माननीया सुचेता जी के जमाने में 25 फीसदी इन ब्लाक्स को कम कर दिया गया था खर्चा कम करने की दृष्टि से। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी ब्लाक्स को खत्म करने का फैसला किया था, इसी तरह पंजाब ने भी फैसला किया था, मैं भी उस समय कैबिनट की मंत्री थी, यह विभाग राममूर्ति जी के पास था, उस समय इनको कम करने का निर्णय लिया गया था। आज आप क्यों बढ़ा रहे हैं इनको ? माननीय गोपीनाथ दीक्षित जो इस विभाग के मंत्री हैं उन्होंने एक मीटिंग में कहा, (एक आवाज अब नहीं हैं) ज्वांइट रिसपांसिबिलिटी है, उमाशंकर दीक्षित भी थे, कि संविद ने इन ब्लाक्स को जब कि चरण सिंह जी मुख्य मंत्री थे खत्म कर दिया था, अब इनको फिर बनाया जा रहा है। माननीया सुचेता जी के सामने का डिसीजन था, हाई कोर्ट में कुछ प्रमुख लोग रिट ले कर चले गये थे, इसलिये वह रुका रहा, मगर फैसला सुचेता जी के जमाने का ही था, कार्यान्वित हमारे समय में हुआ। यह कौन सा गलत काम था ? मैं पूछता हूं इस वक्त इनको क्यों बढ़ाया जा रहा है ? इसके अलावा डी0आई0ओज0 की पोस्ट्स जो एबालिश कर दी गयीं थीं उनको भी आप फिर रिवाइज करने जा रहे हैं। जनता यह पसन्द नहीं करती कि वे कोई सूचना आदि एकत्र करें। पिछली सदन की कार्यवाही उठाकर देख लीजिये सभी ने कहा था कि इनकी पोस्ट्स समाप्त कर देना चाहिये।

[श्री चरण सिंह]

बनारस में एक सरकिट हाउस पहले से ही था, मैं भी अनेक बार उसमें ठहरा हूं। वहां पी0 डब्लू0 डी0 का इन्सपेक्शन हाउस भी है। एक हमारे राजा साहब का पैलेस भी है। बड़े-बड़े आदमी उसी में ठहरते हैं। सन् 1 67 में जब जाकिर हुसेन साहब, प्रसीडेंट, यहां तशरीफ लाये थे तो मैं भी सरकिट हाउस में ही ठहरा था। अब माननीय त्रिपाठी जी ने वहां एक सरकिट हाउस और बनवा दिया। उसका उद्घाटन भी कर दिया। और गालिबन पत्थर भी लग गया होगा। आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि हमारे यहां के मुख्य मन्त्री ने एक और बना दिया। मान्यवर, 15 लाख में--

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि 15 लाख रुपय की इसमें लागत लगी है। (व्यवधान) बकरी की तीन टांग ही आप बताने वाले हैं, आप चार नहीं मानेंगे, तो श्रीमन्, 15 लाख में तो 15 ट्यूब वेल बन जाते। भले ही आप उन्हें चन्दौली में बना लेते, जौनपुर में बनवा देते, गाजीपुर में न सही। तो आप कहीं तो बनवा देते। मुझे इस खर्च पर कोई आपत्ति न होती, लेकिन वह आवश्यक नहीं था, फिर भी आपने एक बड़ी रकम खर्च कर दी। जो इस बड़े और गरीब सूबे के सन्दर्भ में अननेसेसरी खर्च लगता है। इससे जाहिर है कि आप कितनी किफायत या एकोनामी से काम लेना चाहते हैं मेरी मुश्किल है जो मिनिस्टर होता है, उनके प्राईवेट कांडक्ट और पब्लिक कांडक्ट में लाइन खींचना मुश्किल है। जो प्राइवेट लाइफ होती है उसका असर पब्लिक लाइफ पर पड़ता है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, मैंने सुना है आपने एयर-कडीशन्ड एकोमोडशन अपनी कोठी में बढ़ाया है। मुख्य मन्त्री ने बढ़वाया है, मैंने सुना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अन्य मन्त्रियों के रेजीडेंस में क्यों नहीं बढ़ाया? अगर जरूरत हो, बहुत गरमी हो तो यह ठीक है, किन्तु मैं वैसे समझता हूं कि इसको कोई जरूरत नहीं थी। आप सारे हाउस को एयरकंडीशन्ड करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे राज्य कर्मचारियों और मिनिस्टर्स सभी को फायदा होगा, लेकिन घर एयरकंडीशंड कराने की क्या जरूरत थी? माननीय त्रिपाठी जी माफ करेंगे और उनके दायें-बायें बैठे साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि यह शाहाना खर्च, साही ढंग, इस गरीब प्रदेश के लिये शोभा देता है? इस गरीब प्रदेश की पृष्ठभूमि में क्या यह ठीक है?

अब मैं अनएम्पलायमेंट की तरफ आता हूं। लेकिन उसके पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो भूल गया था। पहले तो हम सब लोगों का दृष्टिकोण गरीबी मिटाने के सिलसिल में वही होगा, जो त्रिपाठी जी का है। लेकिन एक जरा फर्क है। 27 नवम्बर, 1971 को यू0 पी0 की बैकवर्डनेस के सिलसिले में एक सेमिनार दिल्ली में हुआ था। वहां, माननीय मुख्य मन्त्री जी की जो स्पीच हुई है, उसकी कटिंग को मैंने रख लिया है कि कभी मुठभड़ होगी, तो काम आयेगा। 'हिन्दुस्तान' डेली में से मैं आपको सुनाता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी यह मानने को तैयार नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा राज्य है। "क्योंकि उन्होंने कारण बड़े अच्छे दिये हैं, किन्तु वह मुख्य मन्त्री के लिये मुनासिब नहीं है, साधुओं के लिये है।" उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन की एक गोष्ठी को आज यहां सुबह आरम्भ करते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक पिछड़ापन ही पिछड़ापन नहीं है। सही बात तो यह है कि हमारे देश में आर्थिक दृष्टि से समृद्ध लोगों को समाज की दूसरी तीसरी श्रेणी में ही रखा जाता रहा है और प्रथम श्रेणी में उन लोगों को रखा गया, जिन्होंने वैराग्य लिया तथा भिक्षावृत्ति के द्वारा अपना जीवन-निर्वाह करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक दूसरे नेता उमाशंकर दीक्षित, केंद्रीय आवास मन्त्री का कहना है कि "यह मनोवृति अब छोड़नी होगी"।

अखबार वाले ने माननीय त्रिपाठी जी के साथ बहुत बड़ा न्याय नहीं किया। मालूम होता है कि उन्होंने यह कहा कि केवल रुपया ही चीज नहीं है। आर्ट, लिटरेचर है, संगीत है, साहित्य है, पेंटिंग है, आर्किटेक्चर है, इसमें यू0 पी0 पीछे नहीं है। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। उस वक्त उन्होंने अपने लोगों पर यह इम्प्रेशन डाला कि यू0 पी0 में यह गुण हैं, अपने लोगों को कह रहे हैं कोई बात नहीं है अगर आर्थिक दृष्टि से तरक्की नहीं कर रहे हैं जो आर्थिक दृष्टि से तरक्की किये हुए हैं वह तीसरे चौथे नम्बर पर रहे हैं। इस लिए हमारी आर्थिक दृष्टि से तरक्की नहीं हो पायी। क्या यह कोई विशेषता है इस प्रदेश की ? सारे देश की फिलासफी थी, हमारी थिंकिंग थी। लेकिन सारे सूबे आगे निकल गये। 1951 में छठा-सातवां नम्बर था, और आज 16-17 सूबे में 16 वां है। हकीकत यह है कि मुख्य मन्त्री होते हुए, इस सूबे के, जिसकी 9 करोड़ 10 लाख की आबादी है, उसकी जिम्मदारी आपके सिर पर है, यह भगवान का पूजन तब होगा जब उनके पेट में अन्न होगा। यह जिम्मेदारी तो आपकी है। उस दृष्टि से काम करना होगा। हर मीटिंग में कहना होगा कि पुराना मेंटल एटीट्यूड छोड़ना होगा। गरीबी का नाम सादगी रख दिया गया है। आज प्रदेश को बढ़ाना है, मेहनत करना है, आपके व्याख्यान में यह बताया जाय। तो शायद देश में तरक्की होगी। लेकिन गालिबन त्रिपाठी जी की नींद इस सूबे की गरीबी के कारण हराम नहीं हुई है। तो सूबा तरक्की क्यों करेगा।

अब बेरोजगारी का हाल देख लीजिये। 30 मई, 1972 को एक अखबार में, टाइम्स आफ इंडिया, न्यु डेलही में निकला है—एक रेकार्ड नम्बर आफ 22 थाउजैंड ग्रेजुएट्स अप्लाइड फार 50 पोस्ट्स आफ क्लार्क इन न्यु डेलही फार दि रजर्व बैंक आफ इंडिया। चवान साहब ने कहा कि 33 हजार ने अप्लाई किया जिसमें 22 हजार ग्रेजुएट्स हैं। अफसोसनाक बात होती है अपने देश के लिये। कारण क्या हैं, कभी जानने की यह गवर्नमेंट कोशिश नहीं करेगी। "एन एप्रोच टु फिफ्थ प्लान" एक पेपर निकला। मैंने पेपर मंगा लिया जो ए0आई0 सी0 सी0 में तकसीम हुआ। बेकार मंगाया माननीय त्रिपाठी जी से ले लेता। मुझे देखना चाहिये कि कैसे समस्या हल हो रही है। मैं बिला खौफ तरदीद कहता हूं। मैं फिक्र में था क्योंकि इसी मजमून पर छोटी-सी पुस्तिका लिख रहा था। मैंने कहा कि मंगा लें कोई नया आयडिया मिल जाय। उसमें लिखा है, यह ठीक है कि अनइम्प्लायमेंट है। हल यह है कि इम्प्लायमेंट दे भी दें तो उसकी आमदनी थोड़ी होगी बड़ी आमदनी नहीं होगी।

श्री मोतीलाल देहलवी—

आवाज नहीं आ रही है दूसरे माइक से बोल लें।

श्री चरणसिंह—

यही ठीक है। मैं यह कह रहा था कि उसमें लिखा है कि बेरोजगारी की समस्या हम सबकी मिटा दें तो आमदनी ज्यादा नहीं होगी। लिहाजा ऐसें कज्यूमर गुड्स बनाये जायेंगे मास कजम्पशन के खयाल से, क्लास कंजम्पशन के खयाल से नहीं। सारे आर्टिकिल्स इसी प्रकार हैं कार नहीं बननी चाहिये, ट्रान्जिस्टर, रेफ्रिजेटर, लक्जरी गुड्स आदि पर सूद पर बैंक लोन नहीं मिलना चाहिये और इनकी पैदावार पर रुकावट लगनी चाहिये। मास कंजम्पशन के गुड्स हैं जैसे जूता, कपड़ा, अन्न, प्राइमरी शिक्षा आदि इनको खूब प्रोत्साहन मिलना चाहिये ताकि लोगों को खाना मिल सके, उनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी की जा सकें। यह ठीक होगा ? चले गये मास कंजम्पशन पर। फिर पढ़ा, फिर पढ़ा और एक चीज निकली अन-एम्प्लायमेंट मिटाने के सम्बन्ध में और वह है जमीन की तकसीम।

माननीय उदित नारायण शर्मा राजस्व मंत्री हैं। लिहाजा उन्होंने बहुत अध्ययन किया होगा, करना चाहिये था। मैं जानना चाहता हूं कि कितने आदमियों को जमीन मिल जायगी ? आपके पहले बिल के मुताबिक या जो भारत सरकार ने तय किया उसके मुताबिक बहुत

[श्री चरण सिंह]

जमीन मिलेगी तो 10 लाख एकड़ जमीन होगी। अगर आपने तीन एकड़ एक आदमी को दी तो तीन लाख आदिमयों को वह मिल जायेगी। एक हल के लायक दी तो सवा लाख इसमें हो जायेगी। लेकिन 48 लाख आदमी हर साल लेबर फोर्स में बढ़ जाता है। देश में वैसे 1 करोड़ 40 लाख हर साल बढ़ता है और आपने लाख सवा लाख आदमी को जमीन दी भी तो मसला हल होने वाला नहीं है। मैं आपको ही दोष नहीं देता। जितनी पोलिटिकल पार्टीज सारे देश में हैं, जितनी सरकारें आई वे 15 साल से यही नारा दे रही है कि जमीन की तकसीम हो। क्या उससे मसला हल हो जायगा? यह केवल कुछ वोटों के लिये कहा जाता है कि जमीन गरीबों को, भूमिहीनों को दी जाय और जब उनको निराशा होगी तो कुछ और नारा निकाल लिया जायगा। गरीबी जमीन तकसीम करने से नहीं मिटेगी। जमीन इतनी नहीं है।

मेरा कहना है कि देश की गरीबी मिटेगी जब छोटे-छोटे गैर जरायती, नान एग्रिकल्चरल कामों को बढ़ावा दे कर। अध्यक्ष महोदय, एक चीज सबसे ज्यादा दिलचस्पी की यह है कहा जाता है कि हमारी इकोनामी के लिये स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाय और वह भी 8, 10 चीजों से। खेती से, पशुपालन से, जमीन के वितरण से गरीबी मिटाने की बात कही जाती है। काटेज इंडस्ट्रीज पर जोर नहीं दिया जाता। मेरा निवेदन है स्माल स्केल इंडस्ट्रीज से एम्प्लायमेंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। माडर्न इंडस्ट्रीज चाहे लार्ज हो अथवा स्माल स्केल हों वे हमारे अनएम्प्लायमेंट के सवाल को हल नहीं कर सकतीं। देश की गरीबी को मिटायेगी काटेज इंडस्ट्रीज क्योंकि करोड़ों आदमी उसमें खप सकता है। दुनिया भर का आज यही खयाल है कि कांटेज इंडस्ट्रीज में बगैर ज्वादा पूंजी के लेबर ज्यादा लगता है और उसके बगैर किसी देश का मसला हल होने वाला नहीं है। हैण्डलूम का बिजनेस है, इसमें साढ़े 7 अथवा 8 करोड़ आदमी लगा हुआ है। काटेज इंडस्ट्रीज में भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार जो 54 में निकली थी उसके अनुसार हैण्डलूम में 20 गुना आदमी को ज्यादा रोजगार मिलेगा।

मैं मुख्य मंत्री जी को सुझाव देता हूं कि वे इसे प्रधान मंत्री से डिसकस कर लें। मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपको यह चीज मिटानी है तो यह काम कीजिये कि जो-जो चीजें छोट पैमाने पर बनाई जा सकती है, जिन्हें छोटे और गरीब आदमी बना सकते है, अपने घरों में बैठ कर अपने हाथों से बना सकते है उनको बनाने के लिये आप बड़े-बड़े कारखाने न खोलें। गांधी जी ने ठीक यही कहा था। वे भी बड़े-बड़े कारखाने खोलने के खिलाफ नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं कि वे इसके विरोधी थे और प्रतिक्रियावादी थे, तो ऐसी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय समय की कमी के कारण मैं ज्यादा नहीं जाता लेकिन यह कहना चाहता हूं कि दो मशहूर इकानामिस्ट डा0 गुनार और डडली सियर का भी यही विचार था। महात्मा गांधी ने कहा था कि जहाज बनाने के लिये, बिजली बनाने के लिये, लोहा बनाने के लिये, रेल का इन्जन बनाने के लिये, जहां तक कि सिविल सर्जन के औजार बनाने के लिये, शेविंग मशीन बनाने के लिये आप बड़े कारखाने खोल सकते है लेकिन छोटे मोटे उद्योग धन्धों के लिये कुटीर उद्योगों के लिये जिन्हें कि लोग अपने घर पर बैठ कर बना सकते है छोटे-छोटे कारखानों की स्थापना होनी चाहिये। यह महात्मा गांधी का कहना था। दोनों चीजें साइड बाई साइड थी।

जापान की आप मिसाल ले लें। वहां पर 99 प्रतिशत कुटीर उद्योग धन्धे चलते हैं। हमारे देश में सन् 56 में इन्डस्ट्री शुरू हुई। केवल 45 प्रतिशत प्रोडक्शन हुआ। जापान आज एक बहुत बड़ा मालदार देश हो गया है और हमसे 20 गुना हो गया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम इस पिछड़ेपन को दूर करना चाहते है तो हमें कुटीर उद्योगों पर ज्यादा ध्याना देना चाहिये। मेरे कितने ही साथी महात्मा गांधी जी के अनुयायी रह चुके हैं और उनकी हवा में पल चुके हैं किन्तु मैं उनसे माफी चाहता हूं कि इस देश की किस्मत उस वक्त

उठ गई जब जवाहर लाल नेहरू ने यह कह दिया कि हैवी इन्डस्ट्री देश की उन्नति के लिये पहली चीज है एन्ड एब्री थिग मैटर्स आफटरवर्डस्। सन 1941 की मेरे पास राइटिंग में मौजूद है जिसमें उन्होंने प्रिफेस में कहा था। जब वे सन् 1949 में प्राइम मिनिस्टर हो गये थे तो उनकी एक स्पीच हुई थी जिसमें उन्होंने बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज के बारे में कहा था। जब इनसे मसला हल नहीं हुआ तो 11 नवम्बर या दिसम्बर, 1963 को लोक सभा में उनकी एक स्पीच हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे रह-रह कर महात्मा गांधी की याद आती है कि हेवी इन्डस्ट्रीज से मसला हल होने वाला नहीं है। लेकिन तब तक चिड़िया खेत चुग चुकी थी, नुकसान हो चुका था। तब तक पंडित जी की आयु समाप्त हो चुकी थी लेकिन यह चीज उनको रियलाइज हो चुकी थी कि हम ने गांधी जी की उन बातों का कोई फायदा नहीं उठाया आज भी हमारी गवर्नमेंट आफ इंडिया उसी रास्ते पर चल रही है और बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज के बारे में ही सोचती है।

मान्यवर, मैंने माननीया प्रधान मंत्री जी को सुझाव दिया था और अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि आप इस बात पर जोर डालें कि जो कपड़े बनाने वाले कारखाने हैं उनको आप नेशनलाइज न करें और इनमें बना कपड़ा हिन्दुस्तान में न बिके। यहां पर केवल अपने हाथ द्वारा बने कपड़ों का ही इस्तेमाल होना चाहिये। इससे हमारी बेरोजगारी की जो समस्या है वह हल हो जायेगी और आज एक करोड़ नवयुवकों को इससे रोजगार मिल जायेगा। अभी दो महीने हुए हैण्डलूम बीवर्स की समस्या थी। उनको सूत नहीं मिल रहा था और उनके द्वारा बनाये हुए कपड़े नहीं बिक रहे थे। इस पर श्री एल0 एन0 मिश्रा जी ने कह दिया कि गवर्नमेंट आफ इंडिया 35 करोड़ रुपये खर्च करेगी, इसलिये कि उनकी समस्या हल हो जाय। दो साल के लिये भले ही समस्या हल हो जाय लेकिन यह कोई समस्या का हल नहीं है। हल केवल यह है कि आसमान नहीं टूट जायेगा, बिजली नहीं गिर जायगी—जो बड़े पैमाने पर बना सकते हों उनको बनाने दिया जाय लेकिन उन पर रोक लगा दी जाय कि उनका सामान केवल एक्सपर्ट के लिये होगा। जो छोटे पैमाने पर बनाते हों उनको बनाने दिया जाय लेकिन बड़े-बड़े कारखाने हरगिज हरगिज नहीं खोलने दीजिये। बड़े कारखानों का सामान अगर बाहर न बिकेगा तो यही न होगा कि वे बन्द हो जायेंगे। लेकिन उससे चन्द मिल मालिकों का ही नुकसान होगा लेकिन अपने देश के करोड़ों आदमियों को रोजगार मिल जायेगा। लेकिन आज महात्मा गांधी के स्लोगन को लोग भूल गये कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज और कुटीर उद्योग से ही देश तरक्की कर सकता है।

उसी सिलसिले में हरिजनों के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। क्या यह वाक्या नहीं है कि बनारस में कई वाकयात हुए जिसमें हरिजनों के साथ भीषण अत्याचार किये गये और वह भी माननीय मुख्य मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी जी के हल्के में, माननीय रामलखन जी, के हल्के में और राज्य मंत्री माननीय राजबिहारी सिंह के हल्के में? क्यों हुआ? अगर उधर ध्यान दिया गया होता तो, दूसरा न होता, तीसरा न होता। एक बात कही गयी कि यह अखबारों का प्रोपेगेंडा है। हो सकता है. लेकिन प्रतापगढ़ में क्या नहीं हुआ है? यहीं पर आपकी आंख के नीचे क्या नहीं हुआ है 24 दिसम्बर को हरिजनों के साथ क्या नहीं किया गया, 8 जनवरी को सवाल भी पूछा गया था। रिपोर्ट तक नहीं दर्ज की जाती है और अब दर्ज की जाती है तो कहा जाता है कि पुलिस ने उनके साथ कुछ नहीं किया। ऐसे आदमी को कुछ मसलहत के अधीन तरक्की देकर डी0 आई0 जी0 बना कर मेरठ भेज दिया गया क्या इस तरह के मामले आपके सामने नहीं आये है कि हरिजनों की औरतों के साथ-तरह तरह के अत्याचार किये गये? मैंने सुना है कि फैजाबाद में भी हरिजनों के साथ अत्याचार हुआ है। लेकिन यह क्यों हो रहा है, इसके पीछे बात क्या है? इसके पीछे एक ही बात है कि हमारे समाज का

[श्री चरण सिंह]

जैसा पुराना ढांचा है, उससे हमारे मुख्य मंत्री और हमारी गवर्नमेंट के दूसरे मंत्रियों में क्या सामंजस्य है। वे जन्म से जाति का विश्वास करते हैं और जन्म जाति का मतलब यह हुआ है कि कोई आदमी एक दूसरें आदमी के बराबर नहीं है। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, जो छोटा है वह किसी और से बड़ा है, जो बड़ा है वह किसी और से छोटा है। यानी सब एक दूसरे से छोटे बड़े हैं। इस तरह से हमारे यहां 2400 बिरादरी हैं। आखिर राज्य कर्मचारी और थानेदार का क्या कसूर है? अभी कुछ दिन पहले माननीय कमलापति जी लखीमपुर गये हुए थे तो किसी ने उनके स्वागत में एक कविता पढ़ दी कि आपने ब्राह्मणों को बचा लिया, आप ब्राह्मण कुल भूषण है, आदि आदि। ठीक है, मैं नहीं कहता कि इसकी कोई शिकायत मेरे पास आयी। मुझे शिकायत नहीं है माननीय कमलापति जी से। लेकिन यह बंशीधर शुक्ल जिनका नाम है, जो एम0एल0 ए0 रह चुके हैं और जेलखाने में भी जा चुके हैं उनके मानस पटल पर यह इशारा हुआ कि यह ब्राह्मण रक्षक हैं। आपने क्यों कह दिया? आप छोटी जाति और बड़ी जाति में जब विश्वास करते है तो मुझे कैसे बराबरी का स्थान देंगे क्योंकि मैं छोटी जाति का हूं। डैमोक्रेसी कैसे चलेगी?

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, बंशीधर शुक्ल ने यह कहा है—

"कमलापति के हाथ में बंधी राज सरकार।
जैसे मेहरा के गले फंसी संखनी नारि।।"

श्री चरणसिंह—

जैसा मैंने कहा कि इस ढंग से गवर्नमेंट चल रही है। सारा सवाल यह है कि अगर आप जन्मजात पर विश्वास करते हैं तब मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आप जनतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। आप दर्शन की सारी तर्कों को भले ही रख दीजिये। लेकिन सारा सवाल यह है कि आप एक आदमी को दूसरे आदमी के बराबर नहीं मानते हैं और जन्मजात को आधार मानते हैं तो छोटी जाति वाला कैसे जिन्दा रहेगा? इसमें आदमी का धर्म बदल सकता है लेकिन बिरादरी नहीं बदल सकती है। इसका क्या असर हुआ? आज महात्मा गांधी जी के अन्दोलन में जो लोग शरीक हुये और मंत्री तथा मुख्य मंत्री के ओहदों पर बरसरे इक्तदार हुये, उनका आज भी जातिवाद में विश्वास है। आज चारों तरफ से आपसे शिकायत है कि आपने एक जाति के लोगों के प्रति इस तरह का इम्प्रेशन पैदा किया कि उनको ही तरक्की करके भेजा है और पुरानी इंडस्ट्री को मिटा कर तरक्की पर भेजा है। बिलकुल सही है कि लोगों का यह इम्प्रेशन हो गया है कि आप सबके नुमायन्दे नहीं हैं, सबके आप रक्षक नहीं है। एक विशेष वर्ग की रक्षा करने वाले हैं। लोगों के इस इम्प्रेशन को मिटाइये। आज कोई कह सकता है कि मैंने यह किया था। लेकिन इसका बड़ा प्रचार हुआ और मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूं। जबाव देता हूं तो कुछ छपता है और कुछ नहीं छपता है। मैं तहकीकात कराने के लिये तैयार हूं, इसकी भी और इसी के साथ-साथ दो करोड़ रुपये की बाबत जो फैक्टरी वालों से मैंने ले लिया, इसकी भी।

मैंने माननीया प्रधान मंत्री जी को लिख दिया है कि इसके बारे में जुडीशियल तेहकीकात पब्लिक तेहकीकात, प्राइवेट तेहकीकात, जैसे चाहे करा लीजिये। लेकिन उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जिस तरह से मैं तेहकीकात के लिये अपने को पेश करता हूं उसी तरह से आप भी अपने को पेश कीजिये कि हम भी इस तरह से तेहकीकात कराने के लिये तैयार हैं। है हिम्मत, क्या हिम्मत करें? पांच साल पहले एक प्रस्ताव ला चुके थे कि मंत्री, मुख्य मंत्री या किसी की भी तेहकीकात हो सकती है अगर दस आदमी गवर्नर को लिखकर दे दें। यह इतना अच्छा प्रस्ताव था जिसका कुछ ठीक नहीं है। लेकिन कुछ भी यहां नहीं किया गया केरल गवर्नमेंट ने इसी तरह का पेश किया लेकिन यहां सारे कांग्रेस वालोंने उसका विरोध किया आखिर क्यों विरोध

किया गया, क्या वजह थी ? अगर किसी चीज को छिपाने का मकसद नहीं था तो क्यों विरोध किया गया और क्यों कोई कदम नहीं उठाया गया ? तरह तरह के एलीगेशन लगाये गये लेकिन आप की मजबूरी थी कि आप हर चीज को टर्न डाउन करते चले गये। यह कोई ईमानदारी नहीं थी, यह कोई जनता के साथ इन्साफ नहीं हुआ, आप जनता के ट्रस्टी हैं और आप उसके अधिकारों के कसटोडियन हैं, आप ने अपने कर्त्तव्य की इस तरह से पूर्ति नहीं की और अवहेलना की। आज तक आप ने ओमबर्डसमेन क्यों नहीं बनाये और ऐसी कमेटियां बनाने के लिये आप ने क्यों ईमानदारी से कोशिश नहीं की ? कारण साफ है कि आप चाहते ही नहीं कि ऐसे कोई अधिकार जनता और उसके प्रतिनिधियों तक पहुंचे।

मैं एक चीज का बाद में और थोड़ा सा जिक्र करूंगा या अभी ही किये देता हूं। मैंने यह कहा था कि जो मिनिस्टर्स इनके हैं उन के कानडक्ट का असर जनता पर और दूसरे लोगों पर पड़ता है। अगर उन का जीवन तप, तपस्या और त्याग का होगा तो जनता का भी जीवन उनको देखकर ऊपर उठेगा और उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा लेकिन अगर ऊपर के मंत्रियों का ही जीवन, और उन के कार्य नीचे दर्ज के होंगे, खराब होंगे तो उसका प्रभाव भी छन कर जनता तक पहुंचेगा। हम लोग सुनते थे कि हमारे बड़े साथी और नेता कुछ बड़े लोगों से चन्दा लेते थे और उन के असर से काम करते थे लेकिन वह लेते थे पार्टी के लिये और दल के काम चलाने के लिये। वह एक दृष्टिकोण उनका हो सकता है कि पार्टी का खर्च उसके बिना कैसे चलेगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं और मेरा सिर शर्म से नीचे हो जाता है जब हम देखते हैं कि मिनिस्टर अपने लिये लेते हैं। मैं प्रेक्टिकल केवल एक दो मिसाल ही दूंगा उन केसेज की कि जो हाई कोर्ट में पहुंच गये हैं वैसे मिसाल तो बहुत हैं उन सबका मैं जिक्र नहीं करना चाहता।

मैं कहूंगा कि आज अफसरों से रिश्वत ली जाती है और वह अपने लिये ली जाती है, उनके ट्रांसफर करने के और उनके अन्य काम करने के अलग-अलग नार्म्स रिश्वत के बधे हैं कि इतना वेतन पाते हैं तो इतना लिया जायगा और इतना पाते हैं तो इतना लिया जायगा। अपने लिये लिया जाता है। अब उस लेने में और इस लेने में फर्क क्या है, सूबे की बदकिस्मती क्या है वह मैं फिर दोहराता हूं कि पहले यह था कि सेठों से पैसा लिया जाता था और उनका काम किया जाता था पार्टी के हित के लिये कांग्रेस के लिये, एलेक्शन लड़ने के लिये, अपने लिये नहीं। हम उसको भी गलत समझते थे लेकिन आज लिया जाता है राज्य कर्मचारियों और अफसरों से अपने लिये, पार्टी के लिये नहीं। यह बदकिस्मती हमारी है, सूबे की है इस पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में कोई मिसाल इस तरह के करप्शन की मिलेगी ? लेकिन यहां यह हो रहा है और खुले आम हो रहा है। अगर माननीय त्रिपाठी जी इस से इन्कार करना चाहते हैं तो कर दें या कोई श्लोक, दोहा या चौपाई सुना दें लेकिन जितने लोग इधर और उधर बैठे हैं और जो इन चीजों को जानते हैं उनको इससे कोई तसल्ली नहीं होने वाली है।

आपने इंगलैण्ड की मिसाल देखी कि वहां के होम मिनिस्टर ने किस तरह से इस्तीफा दे दिया, हालांकि उन का किसी इंडीस्ट्रीयल कन्सर्न से कोई वास्ता नहीं था, कोई उनकी बेईमानी नहीं थी लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के कहने के बावजूद भी उनकी बात नहीं मानी और इस्तीफा दे दिया। प्राइम मिनिस्टर उनसे कहते रहे कि आप कोई और महकमा ले लीजिये लेकिन उन्होंने कहा कि अब नहीं। लेकिन यहां क्या हो रहा है ? सारी बातें आपके नोटिस में आ गई लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। इनके यहां दो तीन मंत्रियों का तो यह हाल है कि उनके घर वाले भी रिश्वत लेते हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप के नोटिस में बात आ गई 2 मामले तो हाई कोर्ट में पहुंचे और वह तो पब्लिक नालेज की बात है। उस दिन श्रीमन्, आप ने मुझे सदन में वह खत पढ़ने से रोक दिया और मैं उस वक्त आप की बात मान गया था अगर्चे मुझे उनको पढ़ने का हक था लेकिन उसके बाद मेरी गैरहाजिरी में मुझे बेशुमार गालियां

[श्री चरण सिंह]

उधर से सुनने को मिली। अखबारों में वह चीज आयी। मैं और तमाम चीजों का जिक्र नहीं करता लेकिन हाईकोर्ट में रिट पिटीसन है उनका क्या मुख्य मंत्री जी के पास कोई उत्तर है ?

पहली बात जो बहुत अहम बात है। आप देखें कि 24 अगस्त, 1971 के प्वानियर अखबार में अज जी का कार्टून छपा है। उसमें दिया है कि—"For favourable postings fee as intermediary is Rs. 500" और अगर ट्रान्सफर कराना चाहते हो कोशिश करूंगा।

पोस्टिंग के लिये इन्टरमीडिएरी की फीस 500 रु0 होगा और ट्रान्सफर कराने के लिये 250 रुपया होगी। आगे इसमें लिखा है कि—"The offer holds good till further devaluation or mid-term poll, whichever comes first में पूछना चाहता हूं कि क्या यह माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी या माननीय जयराम जी के बारे में था ? इसमें आपकी सरकार के गुणगान हैं।

अब आप बलराम सिंह जी के बारे में लीजिए। अध्यक्ष महोदय, आज मुझे अपनी सरकार के मंत्री के जो कारनामें हैं उन पर रोशनी डालने का मौका मिला है इसके बारे में मेरे पास एक अखबार की कटिंग है जिसमें दिया है—"Mr. Justice H. N. Seth and Mr. Justice C. S. F. Singh of the Allahabad High Court yesterday (Wednesday) admitted a writ petition filed by Mr. Indramani Shukla, Assistant Transport Officer, Bareilly, challenging the order of the Government suspending him from service" उन्होंने सरकार के खिलाफ रिट पैटिसन किया जो सस्पैन्सन आर्डर माननीय बलराम सिंह जी ने दिया था।

"Admitting the petition. Their Lordships issued notices to the State Government, the Minister of Transport, Mr. Balram Singh Yadav and five others" चीफ सेक्रेट्री और माननीय बलराम सिंह यादव और पांच और नाम इसको एडमिट करते हुए, नोटिस जारी कर दिए।

It was submitted by the petitioner that the main allegation against him was that the temporary permitts issued by him were illegal and irregular and as such a vigilance enquiry was contemplated. The Vigilance Department, he pointed out, had already submitted its report to the State Government eronerating him" उस पर यह इल्जाम लगाया कि उसके खिलाफ तहकीकात विजीलैन्स के द्वारा होगी। इसलिए उसको सस्पैंड किया जाता है। उसका कहना यह था कि सतर्कता विभाग ने तो एन्क्वायरी करके, मुझे एक्जीनरेट करके सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

"The petitioner alleged that during the pendency of the suspension order his brother contacted the Transport Minister and drew his attention towards harassment perpetrated against the petitioner जब मेरे ऊपर सस्पैन्शन आर्डर था तो मेरे भाई मिनिस्टर के पास गये The Transport Minister, the petitioner further alleged, demanded Rs. 10,000 for the oncellation of the suspension order."

मैं समझता हूं कि इसका तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, एलीगेशन्स तो कुछ भी हो सकते हैं।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, सारा सवाल यह है कि अगर इस अफसर ने गलत एलीगेशन किया है तो क्या अफसर को बुलाकर पूछा गया ? उसको कोई सजा दी गयी और बलराम सिंह जी से कोई तहकीकात की ? माननीय त्रिपाठी जी, ठीक है आपकी दलीलें कुछ और हो गयी हैं वहां हो जाने के बाद ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, हमारे चौधरी साहब कहीं नाम में गड़बड़ न कर दें ।

श्री चरणसिंह—

मैं मान्यवर, दीपनारायण त्रिपाठी जी से कह रहा हूं कि चेयरमैनों के खिलाफ भी आर्डर्स होते हैं और रिट पैटीशन्स भी करते हैं । हमें तो याद नहीं पड़ता कि रिट पैटीशन फाइल की ही अफसर ने और दस हजार रुपये भाई भेजेगा । क्या कोई फर्ज चीफ मिनिस्टर को पूछने का नहीं रह जाता, जब तसल्ली नहीं हुई है ?

दूसरी बात बताता हूं । एक जे0पी0 अग्रवाल नाम के व्यक्ति हैं उम्र 49 साल पुत्र हरिद्वारी लाल, रीजनल ट्रान्सपोर्ट आफिसर, देहरादून । उन्होंने रिट फाइल की । मेरे पास एक साहब आये उनको उन्होंने एक कापी दे दी थी । मैं उसका पैरा 47 पैरा 52,53, 54, पढ़कर सुनाता हूं । उससे मालूम हो जायगा । अक्टूबर 71 में अग्रवाल को आपने बुलाया, बलराम सिंह जी ने और एलीगेशन क्या है ।

"Para 47—

That the Minister further told the petiioner that elections have become very costly and politicians have to spend a lot. That, he also has not yet been able to square up the commitments of his elections. The money will be required for the new elections and being the Transport Minister, he was also burdened by the party to collect the funds. That, he had also to help some institutions in his constituency and in such circumstances, he will like him to collect some funds for the ministe."

कहता है कि मेरे पास इल्जाम थे । मुझे बुलाया मिनस्टर ने । कहा कि आजकल इलैक्शन में बड़ा खर्चा हो गया । मैं तो अपना पूरा हिसाब पिछले इलैक्शन का नहीं कर पाया । अगले इलैक्शन में भी रुपये चाहिये । मेरी पार्टी चाहती है कि मैं पार्टी के लिय रुपये इकट्ठा करूं । मुझे अपने हल्के की सस्थाओं को भी पैसा देना है । लिहाजा तुम मुझे पैसा दो ।

यह तो अक्तूबर की बात हुई । अब ये अफसर नवम्बर में आये हुए थे । उसको पकड़ बुलाया 16 नवम्बर, 1972 को । मिनिस्टर साहब को मालूम हो गया । तो वह लिखा है 52में—

"Para 52—

That accordingly the petitioner went to meet the Minister for Transport in the evening.....

Minister Transport referred to the previous conversation in connection with election funds and stated that the bye-elections to the State Assembly were near at hand in which the son of the Chief Minister Sri Lokpati Tripathy was also a candidate and that a substantial sum had to be arranged and he asked that the petitioner should arrange Rs. 20,000-

[श्री चरण सिंह]

as his share. The petitioner expressed his inability but the Minister insisted that the petitioner should consider the matter cooly and reply to the matter after due consideration because the money has to be collected any how."

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मैं बड़ी नम्रतापूर्वक एक बात पूछना चाहता हूं। मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाहता था। क्योंकि कल अगर आपकी आज्ञा होगी तो जो बातें आपने उठाई हैं उनका जवाब दूंगा। जिन मुकदमों के बारे में आपने कहा है क्या इनका कोई फैसला हो गया यह आपको नहीं मालूम जो पेटीशन आपने पेश की है उसको आपने पढ़ दिया। जिस आदमी ने यह लिख कर दिया है उसकी आपने खुद पार्सनल जांच करा ली कि सिर्फ किसी ने आपको लिखकर दे दिया और आपने उसे सत्य मान लिया ?

श्री चरणसिंह—

हो सकता है आपकी बात सही हो। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब मिनिस्टर के खिलाफ एलीगेशन्स हों और गली गली में अखबारों में इसकी चर्चा हो, तो क्या आपको इसकी जानकारी है और अगर नहीं तो सारी बहस समाप्त हो जाती है। अगर आप यह समझते रहे हैं कि वह ठीक काम कर रहे थे तो फिर सवाल यह है कि आपने उन्हें हटाया क्यों ? सारे अखबारों में, वकीलों में, सारे अध्यापकों, सारे गांव में इस बात की चर्चा है और अगर आप को नहीं मालूम तो मैं यही कहूंगा कि यह प्रदेश की बदकिस्मती है ? इस रिट की नोटिस आपके और चीफ सेक्रेट्री के पास आई होगी जो एलीगेशन्स एक मिनिस्टर के खिलाफ लगाये भी हैं, क्या आपने कोई तहकीकात कराई, आप मेजोरिटी के बल पर यह कह सकते हैं कि मैं इसको जरूरी नहीं समझता। मुझे बलराम सिंह जी का नाम इसलिए लेना पड़ा क्योंकि अखबारों में इनका नाम छपा है और गली-गली में इसकी चर्चा है और इसलिये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो एलीगेशन्स हैं सही हैं। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो तहकीकात कराइये जो मैंने पढ़ा है उसका तर्जुमा मैं सुना दूं और वह यह है कि क्या उनको बुलाया और कहा कि क्या हुआ जो रुपया मागा था। बाई-इलेक्शन आने वाला है और चीफ मिनिस्टर के साहबजादे उसमें खड़े होंगे। रुपये की जरूरत है देख लो और बिचार कर लो, रुपया देना होगा।

आगे के पैराग्राफ में क्या लिखा है वह भी देखलें

"The petitioner returned to Dehradun on the morning of 18th of November, 1971 and on the same day or a day later, the petitioner received a telephonic call from the then Transport Commissioner."

मैं पूछना चाहता हूं कि श्री आर0बी0 सक्सेना का क्यों ट्रान्सफर किया गया ? वह एक ईमानदार आफीसर था। मैंने सुना कि वह ख्वाहिश पूरी न कर सका इसलिये उसका 24 घन्टे के अन्दर ट्रान्सफर कर किया गया। आपके मिनिस्टर के पास आपके चीफ सेक्रेट्री के पास इसकी कापी गयी होगी, हाई कोर्ट में मैटर ओपन होगा क्या आपने ट्रान्सपोर्ट कमिशनर से कोई तहकीकात की है। आगे लिखा है—

The petitioner received a telephonic call from the then Transport Commissioner enquiring whether the petitioner had been asked to collect some funds by the Minister of Transport in connection with the bye-elections to the State Assembly. On being replied in the affirmative, the Transport Commissioner asked the petitioner not to collect any funds and that he has been directed to say so by the Chief Minister.

बात खुल गयी । अब चीफ मिनिस्टर साहब ने ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर को बुलाया और उससे कहा कि अगर बलराम सिंह जी ने कहा हो तो तुम रुपया मत इकट्ठा करना । लेकिन बलराम सिंह जी इन बातों में कहां आने वाले । आगे लिखा है---

"that immediately after a day or so the petitioner received a telephonic massage from the Minister of Transport Sri Balram Singh Yadav, asking him to arrange for money as the same was urgently required."

यहां से टेलीफोन गया कि जल्दी दो । फिर देखें---

"the petitioner told the Minister of Transport about the earlier massage of the Commissioner for transport forbiding him to make any collection. Thereupon the Minister of Transport told the petitioner that the matter had somehow leaked got publicity and that was why such massage was sent and that a circular may even be issued of general nature in this connection, but that the petitioner should not take notice of it and should urgently arrange for the money and bring it to Minister for Transport as the same was required for the by-election of the son of the Chief Minister."

उन्होंने कहा कि बात खुल गयी थी इसलिये इंनकार कर दिया । हो सकता है इस तरह का कोई सरक्युलर भी जाय, लेकिन उसका खयाल मत करना । रुपया तो हमें दे ही देना है ।

अध्यक्ष महोदय, क्या इसकी तहकीकात की जरूरत नहीं है? जरूरत है । और तहकीकात जनाब के जरिये नहीं बल्कि हाईकोर्ट का जज मुकर्रर कीजिये । फिर देखिए क्या-क्या चीज सामने आती है । तो अध्यक्ष महोदय, यह करप्शन का हाल है । शासन कैसे चलेगा? जितने भी करप्ट आदमी हैं उन्होंने यह समझा हुआ है कि मेक हे व्हाइल दि सन शाइन्स । रोज तो कोई मिनिस्टर होता नहीं है । खूब रुपया कमाओ । और हाल यह है कि अपने आप कोई बात फंस जाय तो रुपया ले लो यह नहीं है बल्कि यह सिचुएसन क्रिएट की जाती है कि रुपया मिले । एक निहायत ईमानदार अफसर, जो एक छोटे जिले में था, उसने बताया कि एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा कि फलां का टेन्डर मंजूर कर ले । उसनें कहा कि मैं इस तरह से नहीं करूंगा । बाउचर आएगा, क्वालिटी देखूंगा, लोयस्ट देखूंगा । तब कहूंगा । उन्होंने कहा कि 25 हजार तुम्हें भी मिल जायगा । ढाई लाख का मामला था । उन्होंने कहा कि अच्छी जगह पोस्टिंग भी करा दी जायगी । लेकिन वह निहायत ईमानदार था बेवकूफ किस्म का आदमी था । उसने नहीं माना । उसका ट्रान्सअर हो गया । छोटी जगह को हो गया । उसके बाद बड़ी कोशिश करके दूसरी जगह पर गया । तो ऐसी तमाम बातें हैं ।अगर शिष्टाचारवश बात खोलकर नहीं कही जा रही है तो त्रिपाठी जी यह खयाल न करें कि कोई बात ही नहीं है । उनका यह खयाल गलत होगा । अपने साथियों से पूछें । अध्यक्ष महोदय, यह अपने प्रदेश की बदकिस्मती है । यह तो मैंने करप्शन की बात बतायी । जब मिनिस्टर रुपया लेगा तो अफसर क्यों नहीं लेगा ? लिहाजा ले रहे हैं और खुलकर ले रहे हैं । और जब खुलकर ले रहे हैं तो जनता कहां पुकार करे? कहां से उसे रिलीफ मिलेगी, लिहाजा रिलीफ नहीं मिल रही है ।

यहां भीड़ लगी रहती है ट्रान्सफर्स के लिए । साढ़े पांच लाख कर्मचारी हैं आज एक लेखपाल के ट्रांसफर के मामले में लाखों रुपये घूस चलती है । एक लेखपाल के बारे में कमिश्नर ने कहा कि इसका ट्रांसफर कर दो दूसरी जगह। उनका ट्रांसफर कर दिया गया दूसरी जगह, उसी जिले में । कलेक्टर ने ट्रांसफर किया वह लेखपाल यहां आया और ट्रांसफर कैन्सिल कराकर चला गया । त्रिपाठी जी, अगर यह बात सही है तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा ? आपके कमिश्नर और कलेक्टर की हैसियत क्या रहेगी ? आज मुझे मालूम

[ श्री चरण सिंह ]

है कि एस० डी० ओ० घबड़ाता है उस लेखपाल से क्योंकि उसका गवर्नमेंट से वास्ता है । पहली बात तो यह कि लेखपाल की यहां कोई सुनवाई होनी ही नही चाहिये । लेकिन अगर लेखपाल का भी ट्रांसफर करेंगे तो बिना डी० एम० की सलाह के नही करेंगे। अगर कोई लेखपाल की शिकायत आये तो उसमें भी कोई आर्डर नहीं देना चाहिये । उसको भी डी० एम० को ही देखना चाहिये । लेकिन अगर डी० एम० ने ट्रांसफर कर दिया और वह यहां से कैन्सिल करा ले गया तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर मिनिस्टरों ने क्या खाया है ? उनको किस बुद्धि से काम लेना चाहिये ? कैसे गवर्नमेंट चलेगी ? किस तरह से आप शासन करना चाहते हैं और किस तरह से आप जनता की सेवा करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय, जब हम शासन में थे, तो हमने इस सम्बन्ध में फौरन सर्कुलर निकाला था कि ट्रांसफर नहीं होंगे । उसमें बी० के० डी० के भी एम० एल० एज थे और कांग्रेस के भी थे । लेकिन मान्यवर, आज यह मेन्टलटी हो गयी है एम० एल० एज, को ट्रांसफर के सिवा उनके पास कोई काम ही नहीं है । मुझको मालूम है कि ढाई महीनें के अन्दर ( 4 अप्रैल से 18 जून तक) जितने ट्रांसफर इस गवर्नमेंट ने किये, उतने बी० के० डी० और कांग्रेस की गवर्नमेंट के साढ़े सात महीनों में नही हुये । आज मान्यवर, ट्रांसफर्स पब्लिक रीजन्स या पब्लिक इन्टरेस्ट पर नही किये जाते । एक मेरठ के इंजीनियर के ट्रांसफर का मामला था । लेकिन उसमें कह दिया गया कि हम तो वही बात करते हैं जो कांग्रेस वाले करते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जब गवर्नमेंट बदलती है, तो क्या आप उन्हीं का काम करेंगे जिन्होंने आपको राय दी है ? क्या आप जनरल पब्लिक का काम नही करेंगे ?

मान्यवर, डेमौक्रेसी में पालिसी बदलती है लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेशन में कोई तब्दीली नही होती आपने ऐडमिनिस्ट्रेशन में फर्क करके दुनिया में एक मिसाल कायम की है । आप समझते हैं कि क्या आपका बहुत अच्छा शासन चल रहा है ? त्रिपाठी जी, मैं आपका शुभचिन्तक होने के नाते कह रहा हूं कि आपको धोखा है— बिल्कुल धोखा है ।

अब मैं केवल तबादले की बात बताना चाहता हूं । एक तबादला बनारस के आर० टी० ओ० आफिस के सुपरवाइजर का है जिसका एक साल के अन्दर पांच बार तबादला किया गया और रोका गया ।

(इस समय 1 बजकर 43 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए)

पांच बार उसका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह किया गया। आखिर वह बेचारा परेशान होकर मेरे पास आया । मैंने कहा कि लिखकर दे दो। मुझे असेम्बली में बोलने का मौका मिला है। तुम्हारी भी बात कहूंगा। उसका जिक्र डिटेल में मैं अभी बाद में करूंगा कि क्या आपकी दिल-चस्पी है प्रशासन से और कैसा आपका डिसिप्लिन है। एक दूसरे ट्रांसफर का हवाला देना चाहता हूं जो कि कानपुर के एक बी०डी०ओ० का है । मुझे मालूम हुआ है कि माननीय रघुनाथ सिंह जी की इस सिलसिले में बहुत जानकारी है, निवेदन है कि आपका ध्यान मैं श्री के० बी० सक्सेना, खन्ड विकास अधिकारी, अकबरपुर, जिला कानपुर द्वारा की जानेवाली घोर अनियमितताओं की ओर दिलाना चाहता हूं । 21 अप्रैल, सन् 1971 को इन्होंने एक शिकायती-पत्र माननीय सामुदायिक विकास मंत्री, ए० पी० सी०, डी० डी० सी० तथा जिलाधीश को प्रेषित किये थे जिसकी जांच होकर आरोप सही पाये गये। तदुपरान्त जांच की सत्यता के आधार पर शासन द्वारा खंड विकास अधिकारी का स्थानान्तरण किया गया। साथ ही विभागीय कार्यवाही के आदेश भी किये गये, परन्तु विभागीय कार्यवाही की कौन कहे उनके स्थानान्तरण तथा स्थगन आदेशों का ही इस लम्बी अवधि से क्रम चल रहा है, जिसका विवरण निम्न है:—

(1) उक्त बी० डी० ओ० का प्रथम बार स्थानातरण दिसम्बर, 71 में आरोपों की जांच के आधार पर इटावा किया गया ।

(2) उक्त आदेश के तुरन्त पश्चात् जनवरी, 1972 में दूसरा आदेश शासन द्वारा जिला कानपुर में ही दूरस्थ विकास खण्ड में स्थानान्तरण का हुआ । उस आदेश में शासन का आधार यह था "जिससे विभागीय कार्यवाही में अनावश्क विलम्ब न हो"

(3) खंड 2 में वर्णित आदेश के परिपालन के पूर्व ही शासन से पुनः यह आदेश हुआ कि इन्हें 31 मार्च, 1972 तक अकबरपुर ब्लाक में ही रहने दिया जाय ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मैं चौधरी साहब से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । वह किसीकी दरख्वास्त से पढ़ रहे हैं जो उनको दी गयी है या किसी सरकारी रिपोर्ट से पढ़ रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—

यह तो उसकी दरख्वास्त से ही पढ़ रहा हूं । लेकिन आप बैठें, आपको मेरी बात का उत्तर अपने भाषण में देने का हक है ।

श्री रघुनाथसिंह—

आपने मेरा नाम लिया था इसलिये मुझे यह हक है कि आपसे स्पष्टीकरण कराऊं कि यह आपको किसी ने लिखकर प्रार्थना दी है दरख्वास्त है या गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट है ।

श्री चरण सिंह—

एक साहब जिसको आपकी सरकार ने इस तरह तंग किया है, परेशान किया है, वह शख्स खुद आया था और मुझको लिखकर दिया था। जहां तक मुझे याद पड़ता है उन्होंने यह बतलाया था कि श्री रघुनाथ सिंह जी की दिलचस्पी इस बात में है ।

श्री रघुनाथ सिंह—

आपने यह नहीं बतलाया कि आप सरकारी रिपोर्ट से पढ़ रहे हैं या कहां से ?

श्री चरणसिंह—

मुझे तो यह बतलाया गया है कि आपको इसमें दिलचस्पी है । अगर यह बात है तो आपको हिम्मत होनी चाहिये, आपमें बल होना चाहिये, लेकिन वह बल आपके अन्दर नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह—

है और आपसे कम नहीं है ।

श्री चरण सिंह—

मेरा मतलब था नैतिक साहस से, शरीर से नहीं ।

श्री रघुनाथ सिंह—

उस बल की भी कमी नहीं है मुझमें ।

श्री चरण सिंह—

समझ गया, उसमें आप पहले से बड़े बहादुर हैं, जवान भी हैं और मुख्य मंत्री जी के पास इस समय बैठे हैं इसलिये उसकी भी गरमी होगी । (हंसी) । और भी बहुत सी बातें मुझे मालूम हैं जिन्हें मैं यहां कह नहीं रहा हूं ।

[श्री चरण सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कह रहा था और अभी आप क्या कह रहे हो, अभी माननीय बलराम सिंह जी खड़े होने वाले हैं और वह भी कहेंगे कि सब बात गलत है । तो मैं जो कह रहा था उसमें चौथी बात यह है—

(4) पुन: 31 मार्च, 1972 की अवधि को बढ़ाकर 31 मई, 1972 कर दिया गया । आपने तो कुछ नहीं किया । न तो करने वाले थे और न करवाने वाले थे लेकिन फिर भी आर्डर्स हो गये । 31 मई तक वहीं रहे । 31 मई, 1972 को स्थानान्तरण की अवधि के बाद आवश्यकीय कार्यों का आश्रय लेकर बी0 डी0 ओ0 के स्वत: लिखित पत्र के आधार पर 15 जून, 1972 तक रोक दिया । जिलाधीश नें निदेश दिया कि 15 जून को श्री जगदम्बा प्रसाद शुक्ल को चार्ज दे दिया जाय । वह चला भी गया । शासन के आदेश के द्वारा जगदम्बा प्रसाद शुक्ल बड़ी कठिनाइयों से चार्ज प्राप्त कर सका । बी0 डी0 ओ0 के चार्ज लेने के बाद शासन से पुन: आदेश हुये कि श्री के0 बी0 सक्सेना ने चार्ज वहीं छोड दिया है तो चार्ज वापस करवा दिया जाय और 31 दिसम्बर, 1972 तक अकबरपुर में रहने दिया जाय न तो इसको त्रिपाठी जी ने किया और न ए0 पी0 सी0 ने किया लेकिन यह हुआ । और सुनाऊं ?

एक सुपरवाइजर को क्या तकलीफ हुई । अभी परसों ही यह आया है । कल वह आया था । दीनानाथ सिंह सुपरवाइजर, आर0 टी0 ओ0 वाराणसी आपकी निगाह के नीचे और कानून की सुनवाई की ताकत के अन्दर । उसने लिखा है कि एक कापी उसने मुझको दे दी है और एक कापी माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज दी है । उसने लिखा है कि 28 जून, 1971 से जुलाई, 1972 तक 13 महीने के अन्दर उसका ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर 5 बार किया गया । उसने यह भी लिखा है कि उसकी कोई शिकायत नहीं थी और काम भी अच्छा था जिसके लिये रिकार्ड भी देख लिया जाय । यह सारे ट्रांसफर्स अपने सगे सम्बन्धियों को अनुग्रहीत करने के लिये किये गये थे । इससे मुझको बड़ा दुख हुआ है । बार-बार स्थानान्तरण करने से न तो मैं अपने बच्चों की शिक्षा का कोई प्रबन्ध कर सकता हूं और एक साल उनका बर्बाद हो गया । उसने लिखा है कि वह एक फोर्थ क्लास इम्पलाई है और उसको 80 रु0 मासिक वेतन मिलता है । बार बार इधर से उधर भेजे जाने के कारण वह कर्जदार भी हो गया है । उसने लिखा है कि उसका यह ट्रांसफर केवल दूसरों को अनुग्रहीत करने के लिये ही किया गया है और मेरा कोई भी ध्यान नहीं रखा गया कि मैं एक बहुत ही मामूली मुलाजिम हूं । उसने लिखा है कि मैंने अपने बच्चों का नाम भी वाराणसी में लिखवा दिया और मकान भी ले लिया, बच्चों की किताबें भी खरीद लीं । हमको यहां से भेजने में कितनी परेशानी होगी । ऐसा होने से मेरे बच्चे इस साल भी नहीं पढ़ पायेंगे । उसने लिखा है कि उसके साथ न्याय किया जाय । 24 जून को आगरा से वाराणसी, 19 जुलाई को वाराणसी से गोरखपुर, 26 जून को फिर वाराणसी । 22 जुलाई को जौनपुर किया गया उसका ट्रांसफर यह बताता है कि हमारा प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है ।

कमलापति त्रिपाठी जी, माननीय मेरे मित्र मुख्य मंत्री जी, यह हम सब के लिये शर्म की बात है कि आपकी इस गवर्नमेंट के होते हुए गरीबों के साथ यह अन्याय हुआ है जो अनथिंकेबिल बात है किसी गवर्नमेंट में होना । सवाल यह नहीं है कि आपकी नोटिस में आया नहीं । सवाल यह है कि यह हो क्यों रहा है ? क्यों किया गरीबों को अफसरों के जरिये क्यो तकलीफ दी जा रही है और यह गरीब आदमी जाने कैसे मेरे पास आ गया दीनानाथ सिंह ? कितने ही लोग हैं जो नहीं आ सकते हैं । कितने ही लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि आप तो जानते हैं, टेलीफोन कर दीजिये । मुझे जानकारी है, लेकिन मैं नहीं करता । यह हुआ है । तो यह शासन है क्या आप लोग परमात्मा को मुंह दिखा सकते हो कि हमने अपनी ड्यूटी अदा की है जनता के साथ ? जब एक छोटे कर्मचारी की हालत यह है तो करोड़ों आदमियों की क्या हालत होगी ।

एक बात टैक्सेज के सिलसिले में रखी गयी थी । माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा कि यह गवर्नमेंट पुरानी जो थी उसने मालगुजारी माफ कर दी पोलिटिकल रीजन्स से । ध्यान देने की बात है अध्यक्ष महोदय । मुख्य मंत्री का एक व्याख्यान है । एक जगह 26 नवम्बर, 1971 को वाराणसी में त्रिपाठी जी काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के रिसेप्शन का जबाब दे रहे थे थे । आपने क्या लफ्ज कहे ? हिन्दी में नहीं है—

Mr. Tripathi said that in order to get cheap popularity, the previous Government abolished some of the Taxes resulting in the erosion of State resources.

कहते हैं कि सस्ती जनप्रियता हासिल करने के लिये पिछली गवर्नमेंट ने माफ कर दिया कुछ टैक्सेज को । पिछली गवर्नमेंट ने ऐसा किया जरूर कंडेम करते लेकिन आपको हक हासिल नहीं था यह कहनेका कि पिछली गवर्नमेंट ने मालगुजारी माफ की और शहर का भूमि व भवन कर माफ किया और प्रोफेशन टैक्स माफ किया। अध्यक्ष, महोदय मेरी अपनी क्या राय है इन टैक्सेज की बाबत, मैं, हीं नहीं कहना चाहता, क्योंकि इस वक्त सवाल नहीं उठता है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने माननीय मित्रों से जो उस तरफ बैठे हुए हैं खास तौरसे कि क्या यह वाकया है या नहीं कि अक्तूबर, 1966 में जो पी0 सी0सी0 की तरफ से प्रदेशीय पोलिटिकल कांफ्रेंस मुजफ्फर-नगर में की गयी थी उसमें कांग्रेस लीडर्स की तरफ से प्रस्ताव पास हुआ और कांफ्रेंस ने पास किया कि मालगुजारी माफ कर दिया जाय , भूमि भवन कर माफ कर दिया जाय और प्रोफेशन टैक्स माफ कर दिया जाय ? अगर यह वाक्या है तो मुख्य मंत्री जी, आपको यह सारी बात बतानी चाहिये थी । आप गुमराह करना चाहते हैं पब्लिक को । आप न चाहते हों तो म वापस लेता हूं, लेकिन गुमराह हो गयी पब्लिक आपके यह कहने से कि जबकि एक बात आपने ऐसी कही जिसमें कुछ वाक्यात आपने छिपाये । अगर न छिपाते तो कह देते कि चाहते तो हम भी थे, लेकिन करने नहीं जा रहे थे । एक बेवकूफ गवर्नमेंट ऐसी आ गयी कि कर गयी । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या पैमाना होगा गवर्नमेंट का ? आपके पैमाने का असर पड़ेगा 9 करोड़ आदमियों पर , कालेज के लड़कों पर, किसानों पर, कर्मचारियों पर, डाक्टर्स, लाइयर्स और टीचर्स पर । आप गलतबयानी क्यो करते हैं ?

अब, गवर्नमेंट की एफिशेन्सी की तो हजार मिसालें हैं, मैं दो ही कहना चाहता हूं । एक को तो दोहराना चाहता हूं क्योंकि पब्लिक की मेमोरी बहुत छोटी है, आपकी शायद लम्बी होगी । 28 अगस्त, 1971 का सर्क्युलर सब को मालूम है । माना कि मुख्य मंत्री जी कहेंगे कि गलती हो गयी । गलती तो हो जाती है, कोई बात नहीं । लेकिन इतनी शदीद । चीफ मिनिस्टर का जिस महकमे से वास्ता नहीं, दूसरे महकमे के सेक्रेटरी को आर्डर देकर आर्डर निकलवा देना कि गांव समाज की जमीन उद्योगपतियों की रहेगी और आपके समाजवाद के मन्तव्य के विरुद्ध और फिर आप यह हुक्म देते हैं कि सारी जमीन का नक्शा यहां भेज दिया जाय मय नाले नदी और पुल के । इससे एक बात मालूम होती है । आपको यह मालूम ही नहीं है कि कितने गांव हैं, कितनी जमीन है और नक्शा बनने में कितनी देर लगेगी । क्या समाजवाद का यही तकाजा है ? और वे नक्शे आ जायेंगे तो कितनी जगह घिरेगी । मुझे सांप का डर नहीं है, सांप के निगल जाने का डर है । वह आर्डर गलत हो गया उसकी कोई चिन्ता नहीं । जो रोना है वह यह कि अगर मुख्य मंत्री जी का अपने सूबे की समस्याओं के मैगनीट्यूड की बाबत यह विचार है तो बदकिस्मती की बात है ।

दूसरी बात अभी ताजा आर्डिनेन्स जो हुआ कि जमीन का हस्तान्तरण तीन महीने न किया जाय तो जो आपने जबाव दिया, मैं जब आया था तो जबाव क्या दे रहे थे कि बतलाइये , हम क्या करें, हमने 9 अप्रैल को भेज दिया था । मेरे आने से पहले गालिबन विरोधी पक्ष के मेरे दोस्तों ने यह सवाल किया कि आपने साथ क्यों नहीं निकाल दिया आर्डिनेन्स । तो आपने कहा कि हम क्या करते, हमने 18 मई को भेज दिया, 18 जून को यह हो गया फिर वहां दस्तखत हो गये, यहां दस्तखत होने पर में देर हो गयी । तो फिर तो कोई भी मिनिस्ट्री कर सकता है ।

[ श्री चरण सिंह ]

सीलिंग लगने की बात तो वर्षों की थी । उसमें मोस्ट रेलेवेन्ट बात थी कि किस डेट से आप लगायेंगे । अगर हस्तान्तरण को आप रोकना चाहते थे तो मश्विरा लेते और मश्विरा यह मिला कि हस्तान्तरण एक सेपरेट आर्डिनेन्स से रोकना चाहिये । तो आर्डिनेन्स जिस रोज आप लाये उस रोज से नाफिज होना चाहिये था । यह 9 करोड़ आदमियों की स्टेट है । इसमें 1 लाख 12 हजार गांव हैं जिनमें किसान बसते हैं और आप यह कहकर पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि हमने 18 मई को भेज दिया, 18 जून को भेज दिया, 22 जुलाई को भेज दिया । आपने पहले कल्पना क्यों नहीं की ? अफसरों का दोष इतना नहीं है । अब मैं सुनाना चाहता हूं, बात पर्सनल हो जायगी ? इतने बड़े-बड़े ऐक्ट्स पास हुये, एक-एक लफ्ज खुद देखा । 31 तारीख को निकला तो पहली तारीख से वह नाफिज हो जाता था । या तो आर्डिनेन्स की जरूरत नहीं थी, मेरी राय में जरूरत नहीं थी और अगर जरूरत थी तो अब आपने जो नाफिज किया उसके एक तरीके से यह माने हो गये कि अब तक के जो बैनामें हैं वह सही हैं और आगे के सही नहीं है । यह है आपकी एफीसियेन्सी की मिसाल जो मैं दे रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, आज बिरादरी के नाम पर जो पक्षपात हो रहा है उसकी भी कई मिसालें मेरे पास मौजूद हैं जिनसे इन्कार नहीं किया जा सकता है । एक आफिसर का ट्रांसफर हो गया गलत तरीके से, उसका रिकार्ड अच्छा था, कमिश्नर ने उसको रोक दिया । मगर एक कांग्रेसी सज्जन थे जिन्होंने कैन्सिल कराया । उन्होंने शिकायत की कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोस्टिंग नहीं करता है । वे सज्जन एडवोकेट हैं, कांग्रेस के आदमी हैं । उन्होंने डी0 एम0 से कहा कि कमिश्नर ने आर्डर दे दिया, आप पोस्टिंग क्यों नही कर रहे हैं ? उन्होंने जबाव दिया कि वह फलां बिरादरी का है । उसने कहा कि इसका क्या फर्क पड़ा ? उन्होंने कहा कि वह फलां बिरादरी का है, यह नहीं होगा । तो बिरादरी वाद की बातें करना कहां तक ठीक है ? उस बिरादरी में और इस बिरादरी में क्या फर्क पड़ा ? जो डी0 एम0 बिरादरी के नाम पर अपने मातहतों को आर्डर देता हो और यह कहता हो कि मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूं वह कैसे काम करता होगा यह आप सोचिये । माननीय राजमंगल जी ही मेरे पास आ जायं, मैं नाम बतला दूगा वे जाकर जांच कर लें ।

यही नहीं मान्यवर, जाति बिरादरी का एक और उदाहरण देना चाहता हूं । मेरठ का एक लड़का है, जो एम0 ए0 पास है । मैं उसे नहीं जानता । वह एक इन्टरव्यू में आता है । एक सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी जो इन्टरव्यू में होते हैं वह उसका नाम पूछते हैं । जब वह अपना नाम बताता है—राजेन्द्र सिंह तो फिर उससे पूछते हैं कि तुम मेरठ के रहने वाले हो । फिर उससे कहा जाता है कि तुम्हारी बिरादरी बड़ी ही एग्रेसिव है, तुम्हारे लीडर तो चौधरी साहब हैं । तुम लोग उनको नता क्यों मानते हो ? इस तरह के सवाल उससे किये गये । उससे फिर यह भी पूछा कि तुम्हारे घर में क्या होता है । उसने जबाव दिया खेती होती है । फिर कहा गया कि जब खेती होती है तो तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत ? वह लड़का फिर मेरे पास आया । मैंने उससे कहा कि लिखकर दे दो । धर्मदत्त जी पता नहीं यहां हैं या नहीं, उनसे कुछ मेरे इस तरह के ताल्लुकात हैं कि मैं उनसे कुछ कह सकता हूं, वे उस वक्त थे नहीं, मैंने फिर उसे डिपार्टमेंट को भेज दिया, उनका जवाब भी आया । उन्होंने कहा बहुत अफसोस है । तो मैं यह कहता हूं कि इन आफिसरों की यह हिम्मत क्यों हो गयी ? इसमें आफिसरों का दोष नहीं है । आज ट्रांसफर और नियुक्ति बिरादरीवाद के आधार पर हो रही हैं । मैं तो कहता हूं कि आप अपनें रैंक के किसी आदमी को बिठा दीजिये, वह जांच करें इस सबकी ।

एक और मिसाल सुन लीजिये । लखीमपुर खीरी के एक शुक्ल जी बी0 के0 डी0 के वर्कर हैं । वे एक बार जब एस0 पी0 के पास गये तो उसने उनसे कहा कि आइये चौधरी साहब उसने कहा कि आप मुझे चौधरी साहब क्यों कहते हैं, इसलिये कि मैं बी0 के0 डी0 का आदमी

हूं । मैं तो गर्व करता हूं कि वह मेरे लीडर हैं । आप इस भावना से सरकारी कर्मचारी होते हुए क्यों ऐसा कह रहे हैं ? तो यह हो रहा है और यह आपके कामों की वजह से हो रहा है । हजारों ऐसी बिरादरी की बातें हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूं और न लिख रखा है । आपने चेयरमैन, पब्लिक सर्विस कमीशन एप्वाइन्ट किया । जो आदमी पहले था– डाक्टर राम लाल वर्मा, सीनियर मोस्ट मेम्बर उसको क्यों नहीं आपने एप्वाइन्ट किया ? जबकि सन् 1947 से यह परम्परा रही है कि जितने सीनियर मोस्ट मेम्बर होते थे, उन्हीं को चेयरमन पद पर एप्वाइन्ट किया जाता था । श्री कृष्णचन्द्र शर्मा ने यह कहा कि मेरिट उनकी इस लायक नहीं थी । लेकिन मेरिट देखने का भी तो अपना-अपना दृष्टिकोण होता है और जो आपका दृष्किोण था उसी से आपने देखा । वह सागर यूनिवर्सिटी में रीडर था। उसने 36 हिन्दी में विद्वतापूर्ण किताबें लिखी हैं । मैंने ही उसको पहले एप्वाइन्ट किया था । उसकी सर्विसेज बराबर कमीशन को प्रभावित करती रही हैं । उसने 36 हिन्दी में किताबें लिखी हैं और वह हिन्दी जगत का वेलनोन आदमी है । उसको इस पद से क्यों मरहूम किया गया ? हम इसका क्या नतीजा निकालें । आप तो सफाई देने को दे देंगे । लेकिन जनता आपकी सफाई मानने के लिये तैयार नहीं है । वह यही मानती है कि आप बिरादरी की भावना से प्रेरित हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक डेमोक्रेसी की बात कहना चाहता हूं । माननीय टंडन जी हमारे सामने बैठें हैं । अभी जब बाई-एलेक्शन हो चुका था, तो उन्होंने नैनीताल में एक स्पीच दी, बड़ी अच्छी स्पीच दी, जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं । उसे दोहरा देना चाहता हूं, जिससे मेमोरी ताजी हो जाए । वह इन्फार्मेशन मिनिस्टर हैं । "पायनियर" की रिपोर्ट है, उसकी हेडिंग है—"डिस्बेन्ड आर बि डैम्ड" । उसमें उन्होंने विरोधी पार्टियों से कहा है, उनका फरमान यह है कि विरोधी पार्टी वाले या तो अपनी पार्टी छोड़ दें या नरक में जावेंगे।

सूचना राज्य मंत्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन))—

समझा कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है, लेकिन इससे सही बात कोई नहीं कही जा सकती है ।

श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये से त्रिपाठी जी से जानना चाहता हूं कि क्या किसी मिनिस्टर को यह कहने का अधिकार है । बड़े खेद की बात है कि उसे मानना तो दूर रहा, उल्टे उसे सही बता रहे हैं और उस पर जोर दे रहे हैं । क्या किसी मिनिस्टर को हक है कि वह विरोधी पार्टी वालों से कहे कि वे अपनी पार्टियां बरखास्त कर लें नहीं तो नर्क में जायेंगे । यह नहीं कहा जा सकता है, डेमोक्रेसी में ।

(व्यवधान)

एक अपर हाउस के खिलाफ लोगों की शिकायत थी कि जो लोग हार जाते हैं, पब्लिक वर्कर्स होते थे, लीडर उनको अच्छा मानते थे उनको उसमें नामिनेट कर दिया जाता है । इस बारे में जो जायसवाल जी और त्रिपाठी जी की स्पीच हुई, मैं तो उसके हक में नहीं था कि लेजिस्लेटिव कौंसिल को डिस्बैन्ड या रिपील कर दिया जाए । फिर भी, इन सबका मेन आर्गूमेण्ट यही था कि यह तो हारे आदमियों को पद दिया जा रहा है । दूसरी बात यह थी कि जिनकी खड़े होने की कभी हिम्मत नहीं है, उनको नामिनेट कर दिया जाता है । कुछ ऐसे लोगों को नामिनेट कर दिया जाता है, जिनकी मिलने-जुलने में कुछ खासियत हासिल होती है । वह हमें नरक में भेजेंगे, मैं तो कहता हूं कि वहस्वर्ग में जाएं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जो जिस चीज का इंचार्ज होगा वहीं भेज देगा, या दूसरी जगह भेजेगा?

[श्री चरण सिंह]

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नामिनेट करके मिनिस्टर बनाया। इज इट नाट ऐन अब्युज आफ योर पावर्स मिस्टर त्रिपाठी, मिस्टर चीफ मिनिस्टर। क्या आपके अधिकारों का दुरुपयोग नहीं है, नामिनेट करके आपने मिनिस्टर बना दिया। वह कहते हैं कि इससे ज्यादा सही बात नहीं कही जा सकती है। अगर यह बात है तो डेमोक्रेसी चल नहीं सकती। उत्तर प्रदेश में अगर आप जैसे लोग रहेंगे। हम लोगों को अधिकार है अपोज करने का। डेमोक्रेसी का तकाजा यह है कि आप किसी से मतभेद रखते हों तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको मतभेद करने का हक हासिल हो। एक फिलास्फर ने कहा, आपकी राय को मैं गलत समझता हूं, लेकिन आपको अपनी राय जाहिर करने का हक है और मैं उसके डिफेंस में अपनी जान देने के लिये तैयार हूं। आप कहते हैं कि आपके प्रधान मंत्री से जो डिफर करता है वह समाप्त हो जाय। कम्युनिस्ट क्या कहता है। यही कहता है। जो आज मुझसे सहमत नहीं है आइदर ही इज ए फूल आर ए नेव। या तो वह मूर्ख है या बेईमान है, गुंडा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आर-बोथ।

श्री चरण सिंह—

जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था, 1921 में तो यंग इंडिया का कार्यकर्ता हो गया। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू आदि बड़े-बड़े नेता जेल गये। उस समय तेजबहादुर सप्रू ला मेम्बर थे गवर्नमेंट आफ इंडिया में। उन्होंने क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट पास कराया। उस ऐक्ट के मातहत लीडर्स को जेल में जाना पड़ा था। महात्मा क्या लिखता है—आई रेगार्ड सर तेज बहादुर सप्रू ऐज पैटरियट ऐज जवाहर लाल नेहरू। माननीय टंडन जी मंत्री है उत्तर प्रदेश के, जैसे उनकी समझ में अभी नहीं आता है उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया कि महात्मा क्या बात कर रहा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उपाध्यक्ष महोदय, एक रामायण की चौपाई है—

छुद्र नदी भरि चलि उतराई, जिमि थोरे धन खल बौराई।

श्री चरण सिंह—

टंडन जी, मैं जायसवाल जी से सहमत नहीं हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उपाध्यक्ष जी, रामायण की एक चौपाई है—

बुंद अघात सहहिं गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

फूलहिं फरहिं बेंत यदपि सुधा बरसहिं जलद,--आगे नहीं कहूंगा।

श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)—

एक चौपाई और है —जो नहिं करहुं खंड खल तोरा भ्रष्ट होय श्रुति मारग मोरा।

श्री चरण सिंह—

मैं तो इन चौपाइयों से सहमत नहीं—न आपकी, न इनकी। मैं तो महात्मा गांधी जी की बात से सहमत हूं। महात्मा जी ने कहा—आई रेगार्ड सर तेजबहादुर सप्रू ऐज गुड ए

पैट्रियट ऐज जवाहरलाल नेहरू । जो आज देश की खातिर जवाहर लाल नेहरू जेल में पड़ा है, सब कुछ सह रहा है, यह महात्मा कैसा आदमी है कि उसको तेजबहादुर सप्रू के बराबर बताता है । तब बात मेरी समझ में नहीं आती थी । बाद में समझ में आयी । आप को भी आज समझ में नहीं आ रही है । बाद में समझ में शायद आ जाय । तो जो आपसे डिफर करते हैं वे उतने ही ईमानदार हो सकते हैं जितने कि आप और आपकी श्रीमती इंद्रा गांधी । आपको यह कहने में जरा भी संकोच नहीं हुआ यह ताज्जुब की बात है । एक बात में सब्जेक्ट टु करेक्शन कहना चाहता हूं कि जर्नलिस्ट लोगों को कुछ मेडिकल फैसिलिटी का आर्डर हुआ है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

हुआ है।

श्री चरण सिंह—

मेडिकल फैसिलिटी के अलावा कोई और फैसिलिटी भी दी गयी है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

खाली मेडिकल फैसिलिटी दी गयी है। आपके पास कुछ और सूचना हो तो लिखकर दे दीजियेगा ।

श्री चरण सिंह—

मैं अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाया । जर्नलिस्ट्स को एज ए क्लास मुफस्सिल टाउन्स में यह आदेश हुआ है कि उसके इलाज की व्यवस्था की जायगी सरकार की तरफ से । अगर यह सही है तो वह गलती है नहीं होना चाहिये था । वे प्राइवेट एम्प्लाइज हैं । अधिकतर वेल पेड़ हैं और अगर उनके इलाज के लिये आपने आर्डर दिया है तो करोड़ों आदमी जो शहरों तथा देहातों में रहते हैं । उनके इलाज के लिये आपने आर्डर क्यों नहीं दिया ? फिर आर्डर दिया उनके लिये जो एक प्रकार से एकाउन्टेबिल हों टु दी लेजिस्लेचर । जर्नलिस्ट एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, वेल पेड है और वह डेमोक्रेसी के प्रहरी हैं जैसे गवर्नर, प्रेसीडेंट, इलेक्शन कमिश्नर, एटारनी जनरल और जुडीशियरी होते हैं । उनकी इम्पार्शियलिटी देश के हित में है और आप उनकी इम्पार्शियलिटी को इरोड करना चाहते हैं । ऐसे ही आर्डर दिल्ली सरकार ने दिये हैं जो मकान अफसरों के लिये बनाये गये वे जर्नलिस्ट को दे दिये गये और यहां मेडिकल फैसिलिटी दे दी गयी । मेरा ख्याल है कि जो जर्नलिस्ट जुडीशश माइंड का होगा उसने भी इस आर्डर को पसन्द न किया होगा लेकिन इससे जाहिर यह होता है कि आप जर्नलिस्ट की राय को इंफलुएंस करना चाहते हैं और यह बात डेमोक्रेसी के खिलाफ है ।

एक बात उस दिन त्रिपाठी जी ने कही कि वह फिरोजाबाद तथा बनारस के मामले में जुडीशियल इंक्वायरी नहीं कराना चाहते । मामूली मामला नहीं था । दो आदमी मर जाते हैं तो तहकीकात होती है । मैंने आपसे कहा कि और आपने जवाब नहीं दिया इस बात का कि मेरे पास लिस्ट मौजूद है 48 मौतों की । आपकी पुलिस कहती है कि 23 आदमी मारे गये लेकिन मैं यह सूची आपको सप्लाई कर सकता हूं । 7, 8 आदमी गायब हैं । 55 के लगभग आदमी मरे हैं । सवाल यह है क्या मुसलमानों ने अपने आप को गोली मार ली या फिर हिन्दुओं ने मारी अथवा पुलिस ने मारी, मुसलमानों को हिन्दुओं से शिकायत नहीं । अगर हिन्दू मारते और 55 मुसलमानों को वह मार लेते तो 20,25 हिन्दू भी मारे जाते, उनके घरों में भी आग लगती । 55 मुसलमान मर गये । यह जो कुछ हुआ वह आपकी पुलिस के जरिये हुआ । मान लीजिये गलत, हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि क्यों नहीं आप तहकीकात करा लेते हैं इफ यू0 आर नथिंग टू हाइड । जब आप कुछ छिपाना ही नहीं चाहते हैं तो इंक्वायरी क्यों नहीं करवा लेते ?

[श्री चरणसिंह]

मेरे पास एक पत्र परसों अब्दुल अजीज का आया था जिसमें कि फिरोजाबाद केइस गरीब आदमी की पूरी कहानी दी हुई है। इतिफाक से वह खत मेरे पास था कहीं इधर उधर हो गया है वरना मैं पढ़कर सुना देता। उसमें यह लिखा है कि 16/17 जून की रात को मेरे घर का दरवाजा पी0 ए0 सी0 ने खटखटाया। बोले कि तुम्हारे यहां बंदूक है, यह खिलाफ बात है। उन्होंने उसके घर की तलाशी ली किन्तु बन्दूक नहीं पायी। उसे चारपायी से खींचकर मारा भी और जो कुछ स्त्री का जेवर था तथा एक हजार रुपया उससे ले लिया और फिर उससे कहा कि चलो जेल चलो तुम्हारे पास बन्दूक थी वह कहां है। लिहाजा उसको आगरा जेल में भेज दिया। जब वह छूट कर आया उसका हजार पन्द्रह सौ का सामान भी लूट लिया गया था। हो सकता है यह बात गलत हो और यह भी हो सकता है कि यह बात सही हो। लेकिन सम्भावना ज्यादा यह है कि यह बात सही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह के अनेक केसेज हैं। फिर मैं कहता हूं कि वहा पर 55 आदमियों की मृत्यु हुई इसलिये आप एक जुडिशियल इन्क्वायरी करा दें। यदि आप यह नहीं करते हैं तो फिर आपसे लोगों का विश्वास उठ जायेगा क्योंकि कोई कारण नहीं है जिससे आप यह कह सकें कि हम ऐसी इंक्वायरी इसलिये नहीं करा रहे हैं। यह पब्लिक की डिमांड है। जान और माल का नुक्सान हुआ है। यह बात सही है कि इसमें पुलिस दोषी है।

एक बात और कह कर खत्म कर देना चाहता हूं कि दुनिया में डिमोक्रेसी का सबसे बड़ा दुश्मन करप्शन है, जनतंत्र का सबसे बड़ा बैरी भ्रष्टाचार है और जनतंत्र को जो लोग लैश करना चाहते हैं जैसे इन्फारमेशन है, रेडियो है, प्रेस है इनको आप अपने हाथ में ले लें तो काफी हद तक करप्शन दूर हो सकता है। मैं अन्त में मित्र जो हमारी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वे इस पर जरा विचार करें। बहस के खातिर तो कुछ भी कहा जा सकता है लेकिन वह सार्थक भी होनी चाहिये। लेकिन जरा विचार करें कि अपने मुल्क को बनाने चले थे हम अंग्रेजो के जमाने में और उसके लिये क्या-क्या हमारे सपने थे लेकिन उसका हमने क्या कर दिया। आप यह कहें कि बड़ा अच्छा शासन चल रहा है, कोई नाराज नहीं है, कह सकते हैं कि अपोजीशन वालों का दिमाग खराब है, टंडन जी यह कह सकते हैं तो यह भी कह सकते हैं, लेकिन वह बात सही नहीं होगी। इसलिये रूलिंग पार्टी के सदस्यों से अन्त में मेरा निवेदन यह है कि वे अपने गवर्नमेंट को सही तरीके से चलाने का इन्तजाम करें। वे अपनी गवर्नमेंट को बदलें और दूसरे मोहरे को यहां सामने बैठावें।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

मान्यवर, मैं इस संबंध में बोलना चाहता हूं, जवाब में।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, ढाई घंटे तक चौधरी साहब बोले जिनका आदर इस माननीय सदन के सभी सदस्य चाहे इधर बैठने वाले हों, चाहे उधर बैठने वाले हो, करते हैं और इसमें भी दो राय नहीं कि चौधरी साहब की बात को पूरे सदन ने जितनी खामोशी और इत्मीनान के साथ सुना उसको भी जितना सराहा जाय, थोड़ा है लेकिन एक बात देख कर मुझे थोड़ी सी निराशा हुई। पूरे ढाई घंटे के अन्दर चौधरी साहब ने प्रदेश के आफिसरों और मौजूदा शासन के साथ-साथ पिछले शासन का हवाला देते हुये वे सारी बातें कहीं जो अदम इत्तमाद के मौके पर अविश्वास प्रस्ताव के मौक पर इस सदन के अन्दर करीब 4 दिन तक कही जाती है, इस पर डिस्कशन भी होता है, बहस भी होती है और प्रस्ताव गिरता भी है। गवर्नर की स्पीच के ऊपर भी दो तीन दिन तक डिस्कशन होता है, उसमें भी वही बातें कहते हैं, इसी तरह से बजट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के जनरल डिस्कशन में भी वही बातें कहते हैं । इससे एक ही चीज सामने आयी कि चौधरी साहब ने अपने भाषण के जरिये वह साबित करने की कोशिश की कि मौजूदा शासन से चौधरी साहब का शासन अच्छा था । लेकिन क्या किया जाय, चौधरी साहब डेमोक्रेसी में विश्वास रखते है और हम भी और सारा देश व प्रदेश भी डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है । शासन अगरचे चौधरी साहब का अच्छा था लेकिन फिर भी प्रदेश की जनता ने उनको अपनाया नहीं । जब एलक्शन हुआ तो चौधरी साहब जो पहले इधर बैठते थे, उनको उधर बैठा दिया ।

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

श्री रियासत हुसैन को जनता ने उधर बैठने के लिये नहीं चुना था । बाद में वे इधर से दल बदल कर उधर चले गये । जो नया मुसलमान होता है वह प्याज बहुत खाता है । वही हालत उनकी है ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

जो लोग चौधरी साहब के नाम पर जीत कर आये थे, उन्होंने जब देखा कि चौधरी साहब के कारनामे इस तरह के हुए हैं तब वे उनसे अलग हो गये और इस तरह से उनको गलत रास्ते को छोड़ना पड़ा तथा उनको आपोजीशन में बैठाया । आज यही वजह है कि अपोजीशन दल का कोई नेता इस सदन में नहीं है।

(व्यवधान)

इस प्रदेश की जनता ने डेमोक्रसी के आधार पर ही फैसला किया । चौधरी साहब नें यह भी कहा कि सबसे ज्यादा स्मूथ सरकार वह चली जिसके वह चीफ मिनिस्टर थे और माननीय कमलापति त्रिपाठी जी के आदमी उनके साथ थे । लेकिन इस सरकार का अन्त क्या हुआ ? इस प्रदेश में 15 दिन का गवर्नर का राज्य हुआ । अगर यह सबूत है सरकार की स्मूथनैस का तो फिर प्रदेश की बदकिस्मती के अलावा और क्या कहा जा सकता है ।

केन्द्रीय कर्मचारियों और प्रदेश के कर्मचारियों की तनख्वाह में डिसपैरिटी है । इस सरकार की मौजूदगी में है और चौधरी साहब की सरकार की मौजूदगी में भी थी । लेकिन वह कर्मचारियों को चैन से बैठने नहीं देते थे । मार पीट, लूट और दुनिया भर का बवंडर था । लेकिन इस सरकार ने बड़ी अच्छी तरह से उस बवंडर को टैकिल किया । आज बड़ी अच्छी तरह से मामला चल रहा है । आफिसर्स ने कुछ रिट पैटीशन्स हाई कोर्ट में फाइल कर रखें हैं उनको चौधरी साहब ने पढ़कर सुनाया । इस सरकार के खिलाफ कुछ मामले हाई कोर्ट के सामने हैं और मैं समझता हूं कि जुडीशियरी में सदन का विश्वास है । जुडीशियरी जो इनमें फैसला देगी वह अंतिम होगा और माननीय कमलापति जी का फर्ज हो जाता है कि वह उसके अनुसार कार्यवाही करें । लेकिन पर्सनल ग्रीवेंसेज चाहे किसी मिनिस्टर और किसी अधिकारी के हों या आफिसर्स और स्टाफ की हों, उनको आधार बना कर अगर रिट पेटीशन्स हाई कोर्ट में दायर हुयी और उनको पढ़कर चौधरी साहब ने सुनाया और यह साबित करना कि यह अंतिम चीज हो गई तो यह न्याय नहीं होगा । अगर हाई कोर्ट का जजमेंट हो जाता और और उसको कोट किया जाता तो बहुत अच्छी बात थी ।

[श्री रियासत हुसैन]

बिरादरीवाद के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा। श्रीमन्, आज भी यह प्रदेश जानता है कि इस प्रदेश में 1947 से लेकर आज तक जितनी सरकारें हुई, उनके अन्दर ठाकुरों की सरकार हुई, पंडितों की सरकार हुई, जाट की सरकार हुई और कायस्थों की भी सरकार हुई। लेकिन यह फैक्ट स्टैबलिश्ड है कि जितना बिरादरीवाद जाट के राज्य में हुआ उतना बिरादरीवाद दूसरी किसी बिरादरी की सरकार में नहीं हुआ। अगर बिरादरीवाद को वह सरकार न पकड़ती जिसको चौधरी साहब हेड करते थे कभी खत्म नहीं होती। जनता गवाह है कि इस प्रदेश में बिरादरीवाद का नंगा नाच हुआ जब वह मुख्य मंत्री थे।

चौधरी साहब ने नामीनेटेड मिनिस्टर्स की बात कही। इसमें कौन सी नई बात उन्होंने कही। क्या टी०एन०सिंह मुख्य मंत्री नहीं थे, क्या मिश्रा जी को आपने लोक सभा से लाकर नहीं बिठाया था और क्या श्री जयराम वर्मा नहीं रहे। यह तो होता ही है और हर वक्त होता है। किस वक्त किसको मिनिस्टर बनाया जाय। इसके लिये कांस्टीट्यूशनल राइट है। उसके आधार पर गवर्नमेंट बनती है और मिनिस्टर बनाये जाते हैं।

इसके अलावा ट्रांसफर्स की बात कही गई। यह इस प्रदेश का मुस्तकिल दुर्भाग्य है, चाहे किसी की सरकार रही हो, चाहे अपोजीशन में कोई हो, लेकिन इसमें दो रायें नहीं हैं कि जितने अविश्वास के प्रस्ताव पेश हुये हैं, जब भी गवर्नर की स्पीच में भाषण हुये हैं और जब भी बजट के जनरल डिसकशन के ऊपर भाषण हुये हैं, ट्रांसफर की बीमारी बराबर रही है और आज तक है।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

यह कह दिया गया कि मैं नामजद होकर यहां मिनिस्टर बना था, यह बात सरासर झूठ और निराधार है। मैं कभी नामजद होकर मिनिस्टर नहीं बना। मैं चुनकर ही हमेशा आता रहा, मैं एक बार हार गया था लेकिन मैंने उस वक्त भी नामजद होकर आना पसन्द नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन—

मैं उनके बारे में अपने वह अलफाज वापस लेता हूं, वर्मा जी ने मुझे करेक्ट कर दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। लेकिन वर्मा जी के अलावा जो दूसरी मिसालें मैंने दीं उनके बारे में यह असलियत है कि हारने के बाद भी नामजद होकर वह मुख्य मंत्री बने रहे, उस वक्त तक नहीं हटे जबतक कि लोक सभा के चुनाव नहीं हो गये। यह एक हकीकत है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

टी० एन० सिंह का नाम लिया वह इस तरह से मुख्य मंत्री नहीं रहे।

श्री रियासत हुसैन—

मैं ट्रांसफर्स की बात कह रहा था। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ट्रांसफर्स का मर्ज या बीमारी जो इस सूबे की डेमोक्रेसी को लगी हुई है घुन की तरह वह जितनी जल्दी समाप्त हो जाय अच्छा है। अब तक तो वह समाप्त नहीं हो सकी है। इस कुर्सी पर सब विराजमान रहे लेकिन यह बीमारी अभी तक दूर नहीं हो सकी है। अच्छा है कि किसी तरह से यह बीमारी इस प्रदेश की डेमोक्रेसी पर कलंक बनकर न रहे और खत्म हो जाय। मैं यह कह रहा था कि माननीय चौधरी साहब ने ढाई घंटे तक भाषण दिया लेकिन उन्होंने एक ज्यादती भी की कि सरकार की जितनी भी खामियां और गलत चीजें थीं सब तो बड़े डिटेल में जाकर सदन के सामने रख दीं, ठीक है वह उनका अधिकार है, हक है

लेकिन उन्होंने तस्वीर के एक ही रुख को दिखाया । यह कहना कि जो इधर के बैठने वाले हैं, जो मौजूदा सरकार के जनप्रतिनिधि हैं वह सब गलत हैं यह मुनासिब बात नहीं है । उन्होंने यह नहीं बताया कि मौजूदा सरकार ने क्या काम अच्छे किये हैं । जबसे माननीय कमलापति की सरकार के हाथ में शक्ति आई है उसके बाद से इस सरकार ने कुछ किया भी तो है । अगर इस तरफ गौर किया जाय कि क्या क्या कार्यवाहियां इस सरकार ने अन्य क्षेत्रों में की हैं तो बात दूसरी हो नजर आयेगी ।

पहले तो मैं उन चीजों का जिक्र करूंगा कि जिनकी वजह से सूबे की तस्वीर झगड़े और लालेसनेस से भरी हुई थी वह आज शांति के वातावरण से व्याप्त है । क्या यह साबित नहीं करता है कि यह मौजूदा सरकार की बड़ी उपलब्धि है । सरकारी कर्मचारियों में जो वर्षों से पिछली सरकारों के जमाने में एक अविश्वास, परेशानी, लड़ाई और झगड़े की मनोवृत्ति पिछली सरकारों ने कायम कर रखी थी वह मिटी और आज पूरे सूबे का सरकारी कर्मचारी मुतमईन है । वह समझता है कि उसकी सरकार है और उसको उचित वेतन मिलेगा, पे कमीशन बैठा हुआ है और जल्दी उसका फैसला आने वाला है और पूरे इतमीनान के साथ सरकारी कर्मचारी अपने काम को कर रहे हैं, उनमें किसी तरह की परेशानी, उत्तेजना और झगड़े की मनोवृत्ति अब बाकी नहीं रह गई है । क्या यह सही नहीं है कि माननीय कमलापति जी की सरकार के आने के बाद प्रदेश का जितना विद्यार्थी वर्ग है वह सब शांत है और ठीक से पढ़ने लिखने के काम में लग गया है, वह अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने अपने क्लासेज में शांति से पढ़ रहा है जब कि इससे पहले की सरकारों में क्या हालत थी । रोज मोर्चेबन्दी और एक तनातनी इस लखनऊ शहर में और दूसरी जगहों पर बनी रहती थी कभी मंकी ब्रिज पर, कभी हजतगंज में और कभी यूनिवर्सिटी केम्पस में इसी आप के नगर में और पूरे सूबे में घटनायें होती थीं लेकिन आज शान्ति के वातावरण में सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं क्या यह इस सरकार की उपलब्धि नहीं है ?

पंचायत सेक्रेटरियों का मामला था । पिछली सरकारों के दौरान उनकी बराबर यह मांग चली आती थी कि उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाय लेकिन पिछली किसी भी सरकार ने उनको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया और इस काम को इस सरकार ने पूरा किया । आज वह लोग इतमिनान से हैं और शांति के साथ प्रदेश के लोगों की सेवा करते हैं । आज वह समझते हैं कि पे कमीशन के सामने हमारा केस भी है और जो वेतन वृद्धि होगी वह हमारी भी होगी । कोआपरेटिव सुपरवाइजरों के मामले में भी जो संघर्ष हुआ और एक जमाने तक सारे काम बन्द रहे और उनकी हड़ताल की वजह से आप की परचेजिंग सेंटर्स की स्कीम भी नहीं चल सकी वक्त से लेकिन इसी सरकार के द्वारा उनका मामला भी शांतिपूर्ण ढंग से निबटाया गया । और आज पूरे अमनो-अमान के साथ कोआपरेटिव सुपरवाइजर्स उस काम में लगे हुये हैं । जिनकी वजह से इस प्रदेश का वातावरण हर वक्त गर्म रहता था, हर आदमी जब घर से निकलता था तो सोचता था कि मुझे दफ्तर में काम नहीं करना है, एजिटेशन करना है, स्कूल्स और कालेजों में पढ़ना नहीं है और यहां तक कि सहकारिता के सुपरवाइजर्स भी यह सोचते थे कि उन्हें काम नहीं करना बल्कि सत्याग्रह में जाना है, वे सब बातें समाप्त हो गयीं हैं और सब लोग अमनो-अमान से काम कर रहे हैं ।

इस सरकार के जमाने में यहां पर 2 बजट पेश हुये हैं । उनको सबने देखा होगा कि उनमें क्या-क्या चीजें रखी गयीं थीं । वे ऐसे बजट जिनको अपोजिशन वाले ठीक तरह से कन्डेम नहीं कर सके । ये बजट वाकई में ऐसे थे जिनमें समाजवाद की कुछ बातें दिखाई पड़ती थीं लेकिन एक अन्डर डैवलप्ड स्टेट, जिसके 28–29 जिले बैकवर्ड जिलों में हैं. जहां के लोगों की औसत आमदनी 250 रुपये से भी कम है, जहां पर गरीबी की भरमार रहती है जो एक इतना बड़ा यूनिट हो कि दुनिया के अन्दर बहुत से मुल्क भी ऐसे नहीं हैं, और अगर इसे अलग युनिट माना जाय तो दुनिया के 7वें नम्बर पर आता है, इसमें पहाड़ी

[श्री रियासत हुसैन]

क्षेत्र, बुन्देलखंड क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट और पटेल आयोग ने बैकवर्ड माना है, उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश की गिनती की गयी है, को आगे बढ़ाना है, विकास के लिये आगे ले जाना है । इसलिये बजटों में जो प्राविधान किये गये हैं, तरह तरह की स्कीम्स ली गयी हैं, उनके लिये यह सरकार तारीफ के काबिल है। कृषि के विकास के लिये इस देश के अन्दर नयी सनदें दी जा रही हैं । जब हम इन चीजों को देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है । इस प्रदेश में दो कृषि विश्वविद्यालय खोलना भी सरकार के विचाराधीन है । एक युनिवर्सिटी जो इस प्रदेश में है, ने नये-नये बीज बनाये और उसी की वजह से आज प्रदेश में इतना गेहूं और अन्य गल्ला पैदा हुआ कि सरकार को अपनी प्राइस सपोर्ट की स्कीम को लागू करना पड़ा कि कहीं किसान का ज्यादा गल्ला होने की वजह से सस्ते दामों पर बनिये लोग न खरीद लें। उसी चीज को ध्यान में रखकर यह सरकार प्रदेश में दो और कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार कर रही है । इसके अलावा पैदावार बढ़ाने के लिये सरकार फर्टिलाइजर प्लांट भी स्थापित करने पर विचार कर रहीं है ।

नरौरा में एक एटौमिक पावर स्टेशन स्थापित करने जा रही है । जिससे हमारी कृषि का इनपुट बढ़ेगा, सिंचाई की सुविधायें बढ़ेंगी, लोगों को बिजली मिलेगी, यह सब इस सरकार के ही कारण होगा । यह सरकार टिहरी डाम बनाने जा रही है, जिसके बनने के बाद इस प्रदेश के काश्तकारों की एग्रीकल्चरल आउटपुट को फायदा होगा ।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

जो फिरोजाबाद और बनारस में हुआ, उसके बारे में भी बता दें कि आपकी क्या राय है?

श्री रियासत हुसैन—

उसके बारे में भी बताऊंगा । ताहम्मुल रखिये । जमुना पर प्रोजेक्ट है, सारदा सहायक परियोजना है, गंडक प्रोजक्ट और माता टीला की इरीगेशन की स्कीम्स हैं और पूरे प्रदेश में जहां पर नालियां और नदियों में पानी है, वहां पर लिफ्ट इरीगेशन की योजनायें चलायी जा रही हैं । राम गंगा प्रोजक्ट जल्द से जल्द तैयार हो रहा है जिन सबसे एग्रीकल्चर की आउटपुट बढ़ेगी । तो मैं पूछना चाहता हू कि क्या ये सब इस सरकार की देन नहीं है । मथुरा में रिफायनरी लगायी जायगी । केन्द्रीय सरकार से इसका क्लियरेन्स ले लिया गया है । इसमें भी इस सरकार को ही श्रेय है। इसी प्रकार से गोरखपुर में स्टील प्लान्ट लगाया जाने वाला है । इसी प्रकार से इस प्रदेश में ट्रान्सफामर्स की चोरी की एक भारी प्रोब्लम थी । ट्रांसफार्मर्स चोरी चले जाते हैं और वे रिप्लेस नहीं हो पाते हैं । बड़ा भारी लास होता है । उनको कायम करना, इसके अलावा एयरोनाटिक फैक्टरी, जो इतनी बड़ी हैवी इन्डस्ट्री होगी उसको उत्तर प्रदेश में लाना, ट्रैक्टर की फैक्टरी जो बड़ी भारी प्राब्लम है, दस दस साल ट्रैक्टर, नहीं मिलता है, उस मसले को हल करना, बल्ब फैक्टरी, नाइलान फैक्टरी, कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी वगैरह । क्या ये इस देश के इन्डिस्ट्रियल विकास के लिये, जिससे समूचे प्रदेश की जनता को फायदा हो, इस प्रदेश का आउटपुट बढ़ाना, क्या उसके लिये इस सरकार का यह कान्ट्रीब्यूशन नहीं है । उसी की तरफ लगातार रात दिन चाहे वे इस सरकार के वित्त मन्त्री हों या मुख्य मन्त्री हों, इस चीज में जुटे हुए हैं, कि कोई इन्डस्ट्रियल यूनिट इस प्रदेश को मिले जिससे औद्योगिक विकास हो सके और अपनी जरूरत की चीजें जिनकी एग्रीकल्चर में जरूरत पड़ती है वह सब हम अपने प्रदेश के अन्दर ही बना सकें । चूंकि हम सोशलिज्म के लिये कमिटेड हैं, क्लास लैस सोसाइटी बनाना चाहते हैं । हम देखते हैं कि हरिजन जैसा वर्ग जो पिछली सरकारों द्वारा नेगलैक्टेड रहा है क्या उसकी सहायता इस सरकार ने नहीं की है । क्या मौजूदा सरकार की स्कीमों में उसकी उन्नति के लिये कोशिश नहीं की गई है कि सारे हरिजनों को ड्रिंकिंग वाटर फैसिलीटीज दी जायं ?

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, इनके जिले में जो हरिजन जलाये गये हैं उनके बारे में भी ये बता दें ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कल अखबार में पढ़ लिया है वह बिल्कुल निराधार है । आप चल जाइय मछरई गांव में । हुसैनपुर से एक मील के फासले पर है । वहां एक महीने पहले कुदरती तौर पर आग लगी थी जिसमें हरिजनों को कुछ नुक्सान हुआ था। सरकार की तरफ से हर हरिजन परिवार को सौ रुपये की सहायता दी गई है । जो खबर इस बारे में छपी है वह बिलकुल निराधार है।

मैं मान्यवर, कह रहा था कि हरिजनों के लिये सरकार ने स्वयं आदेश दिये हैं कि जितनी हरिजन बस्तियां हैं उनको इलेक्ट्रिफाइड किया जाय । श्रीमन् यह क्या मामूली उपलब्धि है कि हरिजनों की बस्तियों में बिजली पहुंच जाय और पीने के पानी का इन्तजाम हो जाय । जहां तक ऊंचे लोगों ने हरिजनों को घर बनाने के लिये जगहें नहीं लेने दीं उन लोगों के लिये कायदे कानून बनाये गये कि उस गांव की चकबन्दी मुकम्मिल नहीं मानी जायगी जब तक हरिजनों को रहने के लिये जगहें नहीं छोड़ी जायेंगी । यह आदेश दिये गये हैं कि 25–25 घरों की कालोनी बना दी जाय जिसमें यह देखा जाय कि जो हरिजन बचे हैं जिनको रहने की जगह नहीं है और किसी भी वजह से गांव में चकबन्दी की जमीन उन्हें नहीं मिल पाई है उनको इस तरह से जगहें दी जायं । गवर्नमेन्ट ने रास्ते बनाने का, पानी और बिजली का प्रबन्ध अपने जिम्मे लिया है क्या यह मामूली उपलब्धि है । हरिजनों के लिये काम्पीटीटिव एग्जामिनेशन्स जैसे पी० एम० टी० वगैरह में या और एग्जामिनेशन्स में रिजर्वेशन्स और बढ़ा दिये हैं । मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि आज इस वक्त के अन्दर हरिजन यह कम से कम महसूस करते हैं कि इस देश और प्रदेश की सरकार में हमारा कुछ हिस्सा है । हम भी इसमें हिस्सा रखते हैं । इससे पहले हरिजनों को अहसास नहीं हुआ था ।

श्रीमन्, शिक्षा के सम्बन्ध में एक बड़ी भारी रोक लगी हुई थी । कल इस सदन के अन्दर विचार हुआ कि जो प्राइमरी एजूकेशन इस हालत में हो गई थी जिसका हिसाब समझ में नहीं आता था कितने मास्टर हैं, कितने पढ़ने वाले हैं, जो भी 27–28 करोड़ रुपया खर्च होता था, वह सब वेस्ट होता था । हमारी सरकार ने 10–12 करोड़ रुपये का खर्च और लेकर प्राइमरी शिक्षा को अपने हाथ में लिया है । अगर प्राइमरी एजूकेशन को संभाल लिया तो सेकेन्डरी एजूकेशन तथा आगे शिक्षा में सुधार हो जायगा । अगर प्राइमरी न सम्भाल पाये तो सब बेकार है । क्या यह सरकार की उपलब्धियों में से एक उपलब्धि नहीं है ?

सड़कों के लिये, मान्यवर इस प्रदेश के अन्दर जितनी सड़कें बन रही हैं तथा लिंक रोड बन रही हैं, वह आप स्वयं जान सकते हैं । आप स्वयं अपने-अपने जिले के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर से पूछ सकते हैं । आप तो जो जिले की समिति है उसके मेम्बर हैं और समिति का जो चेयरमैन होता है वह भी नान-आफीशियल होता है, जान सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अन्दर 1,000–2,000 आबादी के जो गांव हैं, यह कहा गया है कि वह रहने न पावें जो सड़कों से अलग हैं । स्टार एण्ड ग्रिड फार्मूले को इस सरकार ने जिस तेजी से पूरा किया है उसको हम सभी जानते हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय—

आप केवल यह बता दीजिये कि सारे गांवों के लिये जो लिंक रोड होंगी उनका बजट में क्या प्रावीजन है और गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने क्या प्रावीजन किया है ?

श्री रियासत हुसैन—

उस पर जवाब दूंगा । अब सवाल यह है कि जो बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं, उन इन्डस्ट्रीज को चलाने के लिये सरकार के पास बजट में पैसा नहीं है । इन इन्डस्ट्रीज को सुचारु रूप से चलाने के लिये उनको कारपोरेशन में तब्दीली कर दिया गया ताकि कामर्शियल बेसिस पर जिसमें

[श्री रियासत हुसैन]

स्टेट गवर्नमेन्ट के भी शेयर हों, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के भी हों, लाभदायक रूप से चला सकें। जैसे सीमेंट कारपोरेशन, शुगर कारपोरेशन, रोडवेज कारपोरेशन बनायें। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये एक कदम आगे की ओर नहीं है ?

इसके अलावा मान्यवर, पढ़े-लिखे लोग बेकार फिरते थे, ऐसी शिकायतें थीं। वह अपने दिमाग का सही मायने में इस्तेमाल कर सकें और किस-किस बिजनेस में उनको लगाया जा सके,यह सोचकर सरकार ने बिजनेस मैनेजमेन्ट इन्स्टीट्यूट, लखनऊ में कायम किया जिसमें पढ़े-लिखे नौजवान लोग बैठकर ट्रेनिंग ले सकें कौन-सा बिजनेस किस-किस तरीके से अपने दिमाग से लगा सकते हैं। यह सारी उपलब्धियां जो मैंने आपके सामने रखी हैं क्या इसमें सरकार का कन्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्या इन सारी चीजों से इस प्रदेश की जनता का लाभ होने वाला नहीं है, क्या सारी चीजों को इस प्रदेश की जनता नहीं देख रही है। मान्यवर जो डेमोक्रसी में विश्वास करते हैं, चाहे कोई भी सरकार रही हो यह लाजमी चीज है। अविश्वास का प्रस्ताव इस सदन के अन्दर आया है, आता रहेगा और आना चाहिये। इसलिये कि कम से कम 6 महीने हो गया और आज जनरल डिस्क्शन पर चौधरी साहब की जो तकरीर हुई है इतने विस्तार से, इतना समय रोजाना नहीं मिल सकता था। जो चौधरी साहब ने पूरे प्रदेश की तस्वीर खींची तो उसमें अच्छी बातें पीछे डाल दीं और बुरी बातें सब ले आये। बुरी बातें उसमें हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने जितना भी पर्सनल विरोध माननीय कमलापति त्रिपाठी से प्रकट किया है उतना दूसरी चीजों से मतलब नहीं रखा है। उन सबका जाहिर है जबाव माननीय कमलापति त्रिपाठी देंगे कि सही हैं या गलत हैं।

लेकिन जहां तक फिरोजाबाद और बनारस के अन्दर झगड़ा हुआ और जो तस्वीर सामने आई, यह चीज अलग है कि 60 मरे, 25 मरे, या 20 मरे, लेकिन यह बात निश्चित है कि लोग मारे गये और खून बहा, लेकिन जिन लोगों का खून बहा वह कसूरवार लोग नहीं थे, निर्दोष थे, मासूम थे। गवर्नमेंट में अगर पुलिस ने शक्ति का इस्तेमाल किया, तो इस सूबे में 54 जिले हैं, जिसमें 54 कलेक्टर हैं और 54 एस० पी० हैं। तो क्या इसमें शासन जिम्मेदार हैं ? शासन ने तो सूबे के सारे कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिये थे कि 26 तारीख को स्थिति खराब और खतरनाक हो सकती है और उसके लिये क्या-क्या प्रिकाशन लेना है। जिन कलेक्टरों ने मुकामी लीडरों से, चाहे वे किसी दल के हों, मश्विरा करके प्लान चाक आउट किया कि किस हद तक इस झगड़े को (वह चाहे गवर्नमेंट और मुसलमानों के मुकाबिले में हो या हिन्दू और मुसलमानों के मुकाबिल में हो) रोकना है और नहीं होन देना है वहां झगड़ा नहीं हुआ। जिन जिलों के अधिकारियों में ऐसा रोश रहा कि हमारे पास शक्ति है, कोई क्या करेगा वहां झगड़ा हुआ। वे यह भूल गये कि यह डमोक्रेसी है, जिसमें हर आदमी को अपनी विचार-धारा एक्सप्रेस करने के राइट्स हैं, और उनको बाई-फोर्स दबाने की कोशिश की, जैसा कि फिरोजाबाद और बनारस में हुआ, वहां झगड़े हुये।

इसमें कुछ माननीय सदस्य इस मत के हैं कि इसमें जुडीशियल इन्क्वायरी करा दी जाय। मैं कहना चाहता हूं कि अभी न जाने कितनी जुडीशियल इन्क्वायरीज करायी जा चुकी हैं लेकिन उनका क्या कोई रिजल्ट निकला ? आज मैं फिरोजाबाद, अलीगढ़ और बनारस के मामले को रख कर सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि वहां बेगुनाहों का खून बहा। किसने उस खून को बहाया। किस-हिन्दू भाई ने नहीं बहाया। यह डेफिनिट और डिसाइडेड फैक्ट है कि वह सरकारी मशीनरी ने बहाया। एक तरफ इन मासूम बेगुनाहों का खून है और दूसरी तरफ सरकारी मशीनरी, जिसने गल्ती से प्रिकाशनरी मेजर्स नहीं चाक आउट किये। लेकिन इसका इंसाफ जुडीशियल इक्न्वायरी से नहीं होगा। इसका इंसाफ माननीय मुख्य मंत्री, त्रिपाठी जी से मांगना चाहिये जो कि इसकी जांच करवा रहे हैं और जिन्होंने

माननीय सदस्यों को आश्वासन दिया है कि जो भी अधिकारी दोषी पाया जायगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायगी और किसी कीमत पर किसी भी अफसर को इजाजत नहीं दी जायेगी या छूट नहीं दी जायेगी कि वह किसी बेगुनाह, हिन्दू, मुस्लिम, सिख या ईसाई, का खून बहा सकेगा यह आश्वासन इसी सदन के अन्दर मुख्य मंत्री जी ने माननीय सदस्यों को दिया है और मैं उसमें विश्वास रखता हूं। जिस दिन वह इस आश्वासन की पूर्ति नहीं करेंगे, उस दिन हम कहेंगे कि जुडीशियल इन्क्वायरी हो, शायद उसी में से कुछ मिल जाय। लेकिन अभी इस जुडीशियल इन्क्वायरी से कुछ होने वाला नहीं है। हमारी पूर्ण आस्था त्रिपाठी जी में है। कोई जम करके या फुदक कर वे इस कुर्सी पर नहीं आ गये। सारा जीवन राजनीति में गुजारा है। इस प्रदेश के वर्ग से, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान हो सिख हो या इसाई, उनका पूरा सम्पर्क रहा है। वह सबके जजबातों को अच्छी तरह समझते हैं। इन सारी बातों को समझ कर उनसे बड़ा जज और न्याय करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखलाई देता है।

जो अविश्वास का प्रस्ताव अभी माननीय चौधरी साहब ने रखा, उसमें उन्होंने पहले ही कह दिया है कि उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ बुनियादी बातें चौधरी साहब ने कहीं है जिनका संबंध न केवल सरकार के मंत्रियों से है, बल्कि इधर बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों से है, सभी उन अफसरों से है जो सरकारी पालिसी को एग्जीक्यूट करते हैं। उन बुनियादी बातों की तरफ उन सबको अपनी-अपनी जगह पर सोचना चाहिये कि उन बुनियादी खराबियों को जो इस प्रदेश में डेमोक्रेसी को कमजोर कर रही है, कैसे दूर किया जाय। मैं इसी आशा के साथ कि माननीय मुख्य मंत्री जी पूरी तरह से उन बुनियादी बातों पर जो कि डेमोक्रेसी को खोखला कर रही हैं, विचार करेंगे और उन खराबियों को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, माननीय चरण सिंह जी द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री राम बिलास पाण्डय (जिला आजगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। अभी रियासत साहब ने जो कुछ फिरोजाबाद और वाराणसी के मसले पर कहा, मैं समझता हूं, वह दिल से नहीं बोल रहे थे। मान्यवर, आजादी मिलने के बाद जितनी भी सरकारें इस प्रदेश में बनी हैं मैं ही नहीं सारे प्रदेश की जनता कहती है कि इससे बदतर सड़ी-गली गिरी हुई सरकार कोई भी नहीं रही है। पिछली सब सरकारें इससे अच्छी रही हैं। मान्यवर, यह भी सही है कि यह सरकार दल बदलुओं से बनी है। एक लम्बी तादाद दल बदलुओं की उधर गयी और रियासत साहब भी उन्हें में से एक हैं। वह बहुत सफाई दे रहे हैं कि पंडित जी खुश हो जायेंगे तो मिनिस्टर बना देंगे....।

श्री रियासत हुसैन—

मैं शुरू से समाजवादी था और आज भी हूं।

श्री रामबिलास पाण्डेय—

मान्यवर, इस सरकार ने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया है। आज सारे जन-जीवन को त्रस्त कर दिया है। आज किसी को भी इस बात की पक्की गारंटी नहीं है कि अपने घर से चार-फर्लांग दूर जाकर वह अपने बाल-बच्चों में सही-सलामत पहुंच सकेगा या नहीं। आज हैन्ड बम्ब गांव-गांव में और काफी लोगों के हाथ में पहुंच चुके हैं। आज अद्धा बिखरा पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार न तो इनके कारखानों को पकड़ पा रही है और न उन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर पा रही है।

मान्यवर, आज जन-जीवन त्रस्त है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ब्रिटिश जमाने में 1940 में डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स में मैं जेल गया था। यह आज से 32 वर्ष पहले की बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम बिलास पांडेय]

है। उस जमाने में जब हम अदालतों में पहुंच जाते थे तो कर्मचारी घबराते थे और रिश्वत नहीं लेते थे लेकिन आज हम तमाम सफेदपोश खादी पहने नेताओं के सामने पैसा मांगा जाता है। बिना पैसे कोई काम होने वाला नहीं है। न केवल थानों और जिला अदालतों में ही बल्कि सचिवालय तक में यह हाल है, बिना पैसे के यहां से फाइल निकलनें वाली नहीं है। मंत्री जी का अगर आदेश हो गया-सेक्रटरी ने भी लिख दिया तो बाबू के यहां से बिना पैसा दिये हुए फाइल निकलने वाली नहीं है। मंत्री जी भी इस बात को जानते हैं। आज शर्म से सिर झुक जाता है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज मुझे कुछ इजीनियर्स मिले हैं, कुछ ओवरसियर्स मिले हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी मिले हैं जिनका कहना है कि हमने पांच छः हजार रुपये देकर ट्रान्सफर रुकवा लिया है और उनको बराबर भरोसा रहता है कि वह कोई भी गलती करें, कैसा भी संगीन जुर्म करें, पैसे के बल पर ट्रान्सफर रुकवा सकते हैं। इस सरकार के प्रति यह धारणा इस प्रदेश के सरकारी कर्मचारी की है।

ट्रान्सफर्स के बारे में चौधरी साहब ने कहा कि 13 आदेश हुए। आदेश पहुंचा नहीं, कम्पलाइंस हुआ नहीं कि दूसरा आदेश पहुंच गया अभी मैंने डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ श्री दूब से बातचीत की कि आपका आदेश गया कि आजमगढ़ से दुद्धी, मिर्जापुर का आपने एक आदमी का ट्रान्सफर किया। उसने वहां चार्ज लिया। दूसरे ही दिन हेल्थ आफिसर ने एक सेनीटरी इन्सपेक्टर को आदेश किया कि जाकर तुम चार्ज लो। क्या होता है ? इसमें पैसा चलता है। होता क्या है कि पिछली बार जब ट्रान्सफर हो गया था तो उसने एक संस्था को चलाने के लिय 10 हजार रुपया दिया था। गवर्नमेंट के आदेश के खिलाफ जब दूसरे आदेश के मिलने पर सेनीटरी इन्सपेक्टर ने चार्ज लिया तो क्या जरूरत थी कि दूसरे दिन ही दूसरे को वहां पर भेज दिया जाय। 10 हजार रुपया देकर वह अपना ट्रान्सफर रुकवा सकता है तो यह जाहिर है कि उसको 20 हजार रुपया मुहइया करना होगा।

मान्यवर, आज दारुलशफा में हम लोग ऊब गये हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि कोई न कोई ट्रान्सफर वाला केस न आता हो। आज तो सरकार का केवल यही काम रह गया है कि वह इम्पलाईज को इधर से उधर ट्रान्सफर किया करे। विधायकों के जिम्मे यही काम रह गया है कि किसी का ट्रान्सफर रुकवा देना या किसी का ट्रान्सफर करवा देना। जिस विधायक ने ट्रान्सफर नहीं रुकवा दिया या करवा दिया वह विधायक क्षमतावाला नहीं। सही मानों में विधान सभा का सदस्य नहीं है। यह भी कहा जाता है कि क्षेत्र के 10,15 मजबूत और बाअसर लोगों को लेकर वह कर्मचारी विधायकों के पास आता है ट्रान्सफर को रुकवाने या करवाने। सरकार की यह पालिसी होनी चाहिए कि जब एक बार ट्रान्सफर कर दिया फिर उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न करें। इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस ट्रान्सफर के तरीके में आपको परिवर्तन करना चाहिये जो अभी एक दम बिगड़ा हुआ है। जब कर्मचारी के साथ क्षेत्र के पुरअसर लोग आते हैं, पैसा चलता है तो वहां पर भ्रष्टाचार अवश्य होगा। मान्यवर, यही नहीं मंत्री लोग भी पैसा लेते हैं यह मुझको विश्वस्त लोगों से मालूम हुआ है। मान्यवर, मैं इन छोटी चीजों की तरफ नहीं जाना चाहता हूं। इस सरकार के प्रति लोगों की धारणा हो गई है कि उसका किसी प्रकार भी आदेश किसी भी समय पैसे के बूते खत्म किया जा सकता है।

मान्यवर, जहां तक कि मुसलमानों की बात है यह तो आपने देख ही लिया है कि फिरोजाबाद और बनारस में दंगे हुये। रियासत साहब ने जो कुछ कहा वह दिल से नहीं कहा। यह मांग हो रही है कि इस सरकार में 5 मुसलमान हैं वे इस्तीफा दें और यह कह रहे हैं कि उनको सरकार से निकलना चाहिये। यह भी कह रहे हैं कि हम उनके घरो पर धरना देंगे। रियासत साहब ने यह कैसे कह दिया कि एसी कोई बात नहीं है। पुलिस की रिपोर्ट है कि 23 मौतें हुई थीं। इसमें से 22 तो मुसलमान मरे और 1 हिन्दू मरा। एक हिन्दू पी० ए० सी० की गोली से मरा। फिरोजाबाद में कितने मकान जलाये गये जो ज्यादातर

मुसलमानों के थे। इस्लामियां कालेज बुरी तरह से जला दिया गया। जो 50 मकान हिन्दुओं के जले उसमें जिलाधीश ने उनके घरों से सामान को निकलवा दिया तब उनमें आग लगी। यह इसलिये किया गया कि हिन्दू मुसलमान झगड़े का रूप दिया जा सके। इसको साम्प्रदायिक रूप दिया जा सके। मैं पूंछना चाहता हूं कि क्या इसी तरह से असहाय अवस्था में यहां के माइनारिटी के लोग भूने और मारे जायेंगे ?

मारे जायेंगे यह जिम्मेदारी आपकी नहीं है क्या ? यह सही बात है कि फिरोजाबाद और बनारस के अलावा कहीं नहीं हुआ। इस पर आपको बड़ा नाज है कि मुबारकपुर और मऊ में नहीं हुआ और किसी और जिले में कहीं नहीं हुआ, इसका तो आपको नाज है लेकिन इसका आपको गम नहीं है, इसका अफसोस भी नहीं है कि फिरोजाबाद में एक ही बिरादरी के काफी लोग मारे गये, एक ही बिरादरी के लोगों के मकान जलाये गये। इस पर आप कहते हैं कि यह सरकार आज मुसलमानों और हरिजनों के लिये सब कुछ करने के लिये तैयार है। मुसलमान तो अब धीरे-धीरे समझता जा रहा है कि सरकार ने उर्दू जबान के लिये क्या वादा किया था, उनकी सुरक्षा की क्या गारन्टी दी थी और वह यह समझने लगा है कि हमारी सुरक्षा इस सरकार से होने वाली नहीं है और वह यह भी महसूस करने लगे हैं कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विधेयक को लेकर प्रदेश के मुसलमान हरी पट्टी लगाकर प्रदर्शन करने की योजना कर रहे थे उस समय जब हमारे देश की प्रधान मन्त्री हवाई अड्डे पर आयीं उन्होंने आव देखा न ताव और कह दिया कि प्रर्दशन होने नहीं चाहिये और होते ही हैं तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। इस तरह से मगरूर है इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर, यह है मगरूरियत आज रियासत साहब न मानें लेकिन चौधरी साहब की हुकूमत में जनजीवन अच्छा था, चोरियां और डकैतियां कम थीं।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के माइनारिटी कैरेक्टर को बनाये रखना चाहते हैं ?

श्री रामविलास पान्डेय—

आप जरा बैठें और मुझे बोलने दें। रियासत साहब ने माना है कि चौधरी साहब के जमाने में प्रशासन बड़ा स्वस्थ था। यह सही बात है कि उनके समय में अधिकारी घबड़ाया करते थे, यह सही बात है कि आतंक नहीं था लेकिन गुंडे रुक गये थे, चोरियां डकैतियां बन्द थीं लेकिन यह सही नहीं है कि चौधरी साहब जनता का विश्वास नहीं प्राप्त कर सके। आज हमारी शिकायत यही है कि आज इंदिरा गांधी के दिमाग की खराबी है कि उन्होंने यह समझ लिया है कि हमने बंगला देश जीत लिया है और 95 फीसदी जनता का वोट लेकर हम हिन्दुस्थान की मलकिये–हिन्द बन कर हुकूमत कर रही हैं और करती रहेंगी और इसी मगरूरीपन में उन्होंने विदेश से आकर कहा कि उन्हें कोई चिन्ता नहीं है इन प्रदर्शनों की, ऐसे प्रदर्शन तो होते ही रहते हैं और यहां तक कि एक बार उन्होंने कहा कि बिहारी मुसलमानों के लिये कोई जगह नहीं हैं और अगर हिन्दुस्थान के मुसलमान वोट नहीं देंगे तो कोई चिन्ता नहीं है। यह बात क्यों आज वह कहने लगी हैं और क्यों इस शासन में बैठने वाले लोग कहतें हैं इसलिये कि इन्हें बहुत ज्यादा वोट जनता दे चुकी है और इसलिये इनका दिमाग इतना खराब हो गया है कि अगर हिन्दुस्थान का मुसलमान वोट नहीं देगा तो उन्हें परवाह नहीं है क्योंकि तब भी माननीय कमलापति त्रिपाठी जी अपनी हुकूमत कायम रख सकते हैं। आने वाले चुनावों में हम हरिजनों की देख सकते हैं। आज वह महन्त दिग्विजयनाथ का नारा देती हैं जिसने यह कहा था कि अगर एक भी मुसलमान का वोट हमारे बैलट बक्स में पड़ गया तो सारा बैलट पेपर नापाक हो जायगा, इसी तरह से इन्हें भी आज मुसलमानों के वोट की जरुरत नहीं है।

आज तो हरिजनों की दुहाई दी जा रही है और एक जी 0 ओ 0 गवर्नमेंट ने यह जारी किया है कि सस्ते गल्ले की दूकानें जो दी जावें उनमें हरिजनों को प्राथमिकता दी जावें और बदकिस्मती

[श्री रामबिलास पाण्डेय]

से अगर किसी जिले में हरिजन या चमार कलेक्टर है तो वह हरिजनों को ही सारी दूकानें दे रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि लोग परेशान हैं। मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि हरिजनों को संरक्षण न दिये जावे लेकिन कहना तो यह है कि आज हरिजनों को खरीदा जा रहा है। जो पैसे वाले बनिये या बाबू हैं उनके पैसों पर यहां हरिजनों को खरीद जाता है। आज वह हरिजन जिसके पास क्षमता नहीं है कि वह खा सके और अपना रोजाना पेट भर सके आज उसके अन्दर यह भावना पैदा की जा रही है कि हम तुमको सारी दूकानें दे देंगे। उन बड़े-बड़े जमींदारों के सामने, उन बड़े-बड़े पैसे वालों के सामने वह दामन फैलाते हैं और सस्ती दूकान के परमिट को बनिये के हवाले कर देते हैं। यह सरकार की नीति है।

मुझे एक बी0 डी0 ओ0 ने कहा कि 15 अगस्त को आइयेगा, एक कुएं का उद्घाटन करना है। 10–10 कुए हर ब्लाक में हरिजनों के लिए प्रदेश में बनवा रही है सरकार। कोई कुवां बन नहीं रहा है। हर ब्लाक से आने वाले प्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं वह अपने कलेजे पर हाथ रख कर बतायें कि क्या सही माने में 10 कुएं निर्मित किये गये हैं? क्या कुओं की जगत की मरम्मत बना करके माननीय विधायकों से उद्घाटन करने का स्वांग नहीं चल रहा है? जहां ज्यादा हरिजन रहते हैं और कुएं नहीं हैं वहां कुएं नहीं बना रहे हैं। जहां हरिजनों को पानी की जरूरत है वहां कुएं नहीं बन रहे हैं। जो हरिजन सरगना है जो इनको वोट दिलवा सकते हैं बेवकूफ बना करके मान्यवर, उसके दरवाजे पर कुआं बन सकता है। तो यह बात आज हरिजनों में की जाती है। बसानें की बात कही जाती है कि हरिजनों को बसाया जायगा। सीलिंग से जमीन बचेगी तो हरिजनों को दी जायगी, ये नारे चलते रहेंगे। अगर हिम्मत हो तो सरकार यह कह दे कि इसी अगस्त के अन्दर हम फैसला लेंगे सीलिंग ऐक्ट के संबंध में। सीलिंग ऐक्ट सन् 74 के चुनाव के 6 महीने पहले यह सरकार पास करायेगी इसलिए कि एक मोहक नारा हम हरिजनों को दे सकते हैं कि लाखों एकड़ जमीन हम बड़े-बड़े जमींदारों से निकाल कर तुम्हें देने वाले हैं और जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें मकान बनाने के लिए जमीन देने के लिए हमने कानून बना दिया है। आदेश दे दिया है। एक वर्ष इस भुलावें में रखेंगे।

आज इनको यह भी भरोसा नहीं है कि मुसलमान हमें वोट दे सकेगा। एक भरोसा केवल हरिजनों का है इसलिए हरिजनों को कुआं मिलेगा, सस्ते गल्ले की दूकान मिलेगी, सीलिंग से जमीन मिलेगी। मध्य प्रदेश में सेठी एक ऐसे हरिजन को ढूंढ रहे हैं जिसको हाई कोर्ट का जज बना दें। यह सब बहलाने की बातें की जा रही हैं। न तो ये हरिजनों को जमीन देनें वाले हैं, न मकान बनाने वाले हैं उनके लिए, बल्कि नतीजा यह हो रहा है कि आज हरिजनों के जो संरक्षक बने हुए हैं उन्हीं हरिजनों को मुसलमानों की तरह आज जगह-जगह मारा जा रहा है। रियासत साहब ने कहा कि मुरादाबाद में 10 हरिजनों को नहीं जलाया गया, लेकिन आजमगढ़ में 36 हरिजनों को मारा गया है और कल की खबर में देखिए बुरी तरह पीटा गया है और हास्पिटल में पीटा गया। गोंडा में, फैजाबाद में मारा गया, सीतापुर में मारा गया। उत्तर प्रदेश में वह कौन सी जगह है जहां हरिजन के साथ वह व्यवहार नहीं हो रहा है।

मान्यवर, मैं एक छात्रावास के बारे में कहना चाहता हूं जो मऊ में है जिसमें हरिजन कल्याण विभाग से हरिजनों को पैसा मिलता है। वहां वह रहते थे। दूसरे जातियों के लोग जूता पहिन कर वहां खाना खाते हैं, लेकिन हरिजन का लड़का अगर जूता पहिनकर उस गैलरी से गुजर गया तो वह मारा गया है और मारा ही नहीं गया है, वहां से निकाला गया है और मजबूर होकर हरिजनो ने वहां एक छात्रावास किराये पर लिया है। यह सरकार है यहां पर। न तो उस मैनेजिंग कमेटी के ऊपर यह सरकार कोई कार्यवाही कर पा रही है और न प्रधानाचार्य के खिलाफ कोई कार्यवाही यह सरकार कर पा रही है। न हरिजन कल्याण अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही कर पा रहे हैं। आज छुआछूत की भयंकर बीमारी यहां है।

आप दारुलशफा में बैठकर भले ही खा पी लें लेकिन गांवों में यह भावना हर्गिज नहीं पैदा हो रही है । आप हरिजनों को जो सरसब्ज बाग दिखा रहे हैं उससे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है । हरिजन इनके भुलावे में जरूर हैं। वे समझते हैं कि सीलिंग से जो जमीन बचेगी वह उन्हें जरूर मिलेगी लेकिन यह सरकार हरिजनों को कुछ देने वाली नहीं है। यह विश्व का मान्यता प्राप्त सिद्धांत है कि बजट का 5 फीसदी राज्य कर्मचारियों पर खर्च किया जाय। उत्तर प्रदेश में शायद उदित नारायण शर्मा जी के रेवेन्यू विभाग में यह चलता भी है लेकिन और विभागों में 45.50 से आगे जा रहा है । ऐसी हालत में इस प्रदेश की तामीर कहां से की जा सकेगी ? हम योजनाओं पर पैसा कहां से खर्च कर सकेगें जब बजट का आधा पैसा सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों पर खर्च करते रहेंगे । इस प्रदेश में सड़कों का निर्माण नहीं हो सकता, यहां की पानी और बिजली की समस्या दूर नहीं हो सकती है ।

कहते हैं कि हम हरी क्रांति लाये हैं, किसान खेती में काफी दिलचस्पी ले रहा है । आज हिसाब लगाया जाय तो एक एकड़ में 1400 रुपय खर्च हो रहे हैं 1500 रुपये के उत्पादन में केवल 100 रुपये का फायदा है । अगर आप इसी प्रकार से हरी क्रांति ला रहे हैं तो आप गलतफहमी में हैं और आप फिर अमरीका, कनाडा और आस्ट्रेलिया के सड़े हुये गेहूं की तरफ दौड़ेंगे । आपने पानी और बिजली के दाम बढ़ाये हैं । किसान की रीढ़ टूट गयी है और पूंजीपति बढ़ रहा है । हमने सवा 6 एकड़ तक का लगान माफ किया था । यह सही बात है कि किसान अपने खेत के किसी कोने से जो बालियां टूट कर गिर जाती हैं उनको इकट्ठा कर के, उनसे अनाज निकाल कर और उसे बेंच कर लगान दे सकता था । लेकिन एक सिद्धांत की बात थी । एक मामूली खोन्चेवाला जो दिन भर में एक, डेढ़ रुपया पैदा करता है, कोई फायदा नहीं उठा पाता है, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिये । वह कारोबार जिसमें कोई फायदा न हो, एक सिद्धांत होना चाहिये कि उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिये ।

सवा 6 एकड़ तक का किसान ऐसा किसान है जो अपने साल भर खाने के लिये गल्ला पैदा नहीं कर पाता था । इसलिये उसका लगान माफ कर दिया गया था । लेकिन जहां हमने सवा 6 एकड़ तक का लगान माफ किया, आपने देखा कि असेम्बली की कार्यवाही दो-दो बार बन्द हुई, इस सरकार ने एक एकड़ तक माफ रखा, 6 एकड़ तक आधा कर दिया और फिर दूना कर दिया । इस तरह से यह सरकार आज कृषि के मामले में कर रही है। शिक्षा की जहां तक बात है, उसकी हालत यह है कि जितने भी विधायक यहां पर बैठे हुये हैं तो कोई न कोई स्कूल चला रहें हैं या स्कूल को प्रबन्ध समिति में हैं । मुझे भी एक डिग्री कालेज चलाने का अनुभव है । मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, आप उसमें रहे होंगे आप जानते हैं..

श्री उपाध्यक्ष—

मैं किसी में नहीं रहा हूं ।

श्री राम बिलास पांडेय—

आप प्रोफेसर तो रहे हैं । (व्यवधान) मान्यवर, ऐसे-ऐसे व्यक्तियों को जो हाई स्कूल, इन्टर, बी0 एस-सी-,एम0-एस-सी-सभी में फर्स्ट क्लास होते हैं उनको नहीं रखा जाता हैं और एक थर्ड क्लास वाले को रख लिया जाता है इसलिये कि वह पुरअसर आदमी का लड़का होता है, उनको यह डर रहता है कि अगर इसको नहीं रखेंगे तो एक दो हजार वोट खराब हो जाऐंगे । इसलिये योग्यता के आधार पर मास्टरों की नियुक्ति नहीं होती । इसीलिये हमने सुझाव दिया था कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । राष्ट्रीयकरण होने से न तो गलत अध्यापक ही रखे जायेंगे, न मैनेजमेन्ट की धांधली ही चल पायेगी । आज जो मास कापीइंग हो जाती है वह भी नहीं हो पायेगी । सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई क्रांतिकारी कदम उठाने के बजाय, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया । जनता को धोखे में रखने के लिये इन्होंने हायरसेकेन्ड्री एजूकेशन का राष्ट्रीयकरण करने के बजाय बेसिक और प्राइमरी एजूकेशन को अपने हाथ में लिया ताकि लोगों में शोहरत हो जाय कि सरकार शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर रही है ।

[श्री राम बिलास पाण्डेय]

मान्यवर, यह सरकार सिंचाई की भी व्यवस्था ठीक से नहीं कर पा रही है। जिन लोगों ने अपने प्राइवेट नलकूप लगा लिये हैं उनको बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। काफी पैसा खर्च करने के बाद उन लोगों ने यह सोच कर अपने नलकूप लगाये कि उनके खेत भी हरियाणा पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह लहलहा उठेंगे और वे भी अधिक पैदावार कर सकेंगे, बिजली न मिलने के कारण उनकी सारी आशायें धूमिल हो गयीं।

आपके सरकारी नलकूप घाटे पर चल रहे हैं। उनमें 14 करोड़ का घाटा है। इधर आप इनको बिजली नहीं दे रहे हैं। फिर 37 रुपये फी एकड़ आपने सिंचाई का रेट फिक्स किया है। यह सफेद हाथी उत्तर प्रदेश के किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ रहा है। किस तरह से आपके इन्जीनियर, ओवरसियर और आपरेटर किसान को लूट रहे हैं यह किसी से छिपा नहीं है। जब इतनी महंगी दर पर वह सिंचाई करेगा, महंगे दामों पर वह खाद और बीज लेगा, तो उसको सब मिलाकर 100 रुपये फी एकड़ पड़ेगा। सौ रुपये पड़ जाएंगे। इस तरह से किसान की कमर बचेगी या टूट जायगी। सरकार कहती है कि हम समाजवादी हैं और किसानों, मजलूमों, मजदूरों को उठाना चाहते हैं, लेकिन यह चीज देखने को नहीं मिल रही है। आज पैसे वाला ही उठ रहा है। सीलिंग से एक इंच भी जमीन निकलने वाली नहीं है। 5 हजार एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश में बिड़ला जी के नाम है, जिसमें से केवल 3 एकड़ उनके नाम से है। जमीन के बड़े-बड़े टुकड़े तारों से और ईटों से घेर दिये गये हैं और उन पर लिख दिया गया है—मुर्गीपालन, विकास फार्म वगैरह। यह जो सीलिंग का था पहले पास हो गया कि 70 से यह एफेक्ट करेगा, लेकिन जब बाद में इन्द्रा जी पर उन्हीं के पार्टी वालों का दबाव पड़ा, वर्किंग कमेटी का दबाव पड़ा तो कहा गया कि यह 71 से लागू होगा। और फिर जब जबरदस्त दबाव उन पर पड़ा तो पुनः उन्होंने आर्डर दे दिया कि 3 महीने तक बैनामे बंद रहेंगे। इससे कुछ होने वाला नहीं है। और इतना ही नहीं अभी तो यह भी सम्भव है कि अन्य कोई अध्यादेश यह सरकार कायम कर दे और कह दे कि अब इसके बाद से होगा।

इस सरकार ने जमीन वालों को होशियार कर दिया है। यह इनके साथ बड़े बड़े जमीन वाले बैठे हुए हैं। यह सरकार पर निरन्तर दबाव डालते रहे हैं, ये सरकार को गिरा देने की भी क्षमता रखते हैं। उनकी धमकी के आगे यह सरकार मजबूर होती है कि 70 से नहीं 71 से होगा और 71 से नहीं, 15 दिन हो गये कह दिया कि बैनामे नहीं हो सकेंगे, तब से होगा। तो यह सरकार की नीयत क्या है? सीलिंग से जमीन निकालकर यह हरिजनों को देने वाले हैं, लेकिन जमीन ही नहीं होगी तो आप देंगे क्या। सीलिंग के मामले में देहात और शहरों में बड़ा फर्क किया गया है। यह भी आप देख रहे हैं, शहरों में 5 लाख रुपया रखा है और देहात में 18 एकड़ रखा है, जिसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 74 हजार रुपया हो सकती है। यह कहां का समाजवाद है कि देहात के जाहिल लोगों के लिये 74 हजार और शहर वालों के लिये 5 लाख की आप बात करते हैं। यह भी भेद किया गया है कि राजस्व मन्त्री जी अपने यहां करें 54 एकड़ और हमारे यहां पूरब में आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर वगैरह में 18 एकड़।

(इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगवीर सिंह पीठासीन हुए।)

राजस्व मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

54 एकड़ तो हमने कहीं नहीं किया है।

श्री राम बिलास पांडेय—

54 नहीं तो ढाई गुना तो है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

सिंचित भूमि 18 एकड़ वहां पर भी है।

श्री रामबिलास पाण्डेय--

तो मान्यवर, आप देखेंगे कि लैण्ड सीलिंग ऐक्ट में बहुत से लूपहोल्स हैं ।

(व्यवधान)

राजमंगल जी बहुत परेशान हैं, लेकिन वह अभी मन्त्री होने वाले नहीं है, जो दलबदल करके गये हैं, पहले वे ही नहीं हो पा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग सीधे बात न करें ।

श्री राजमंगल पांडेय--

मिलने वाला होता पाण्डेय जी पहले ही यहां चले आते ।

श्री राम बिलास पांडेय--

आज उत्तर प्रदेश में जहां 1972 के बाद जब हम निकलते थे अपने गांव से कांस्टीटुएंसी में तो जनता कहती थी कि यह सिंडीकेटी जा रहा है । सिंडीकेटी का मतलब, चोर है, बदमाश है, सरमायेदार है । यह भावना पैदा कर दी थी इस पार्टी ने, इस पार्टी को इंदिरा ने, जिसने दुर्गा, चंडी की उपाधि पायी । और उपाधि पायी हाथी और भैंसे की लड़ाई में, जिसमें हमारी सहायता रही उसमें पायी । हमने भी सोचा कि देश का मनोबल न गिरने पाये, हमने भी कहा यह दुर्गा है, चंडी है, देवी है । लेकिन हमने इसलिये नहीं कहा था कि हमने कुर्बानी नहीं की, इस देश के नौजवान ने कुर्बानी नहीं की, इस लिये नहीं कि हमारा उसमें कोई हाथ नहीं रहा । इसलिये नहीं कि यह भारत रत्न की उपाधि लें ।

मैं चाहता हूं कि जगजीवन राम जी को उपाधि मिलती क्यों एक बार सुरक्षा मन्त्री कृष्णा-मेनन को इस लिये मार डाला गया राजनीति में क्योंकि भारत पर हमला हो गया था । और एक बार जब दूसरा सुरक्षा मन्त्री जीतता है तो उस वक्त कोई सम्मान नहीं मिलना चाहिये । इसलिये कि वह हरिजन था, इसलिये कि वह चमार था, इस देश के गिरे हुए समाज में पैदा हुआ था, इस लिये उसको कोई उपाधि नहीं मिल सकती । हारने के बाद जिम्मेदारी सुरक्षा मन्त्री की, जीतने के बाद सुरक्षा मन्त्री की जिम्मेदारी नहीं होती है, प्रधान मन्त्री की होती है, वह भारत रत्न की उपाधि लेती है और दुर्गा और चंडी की उपाधि लेती है । आज जनता हमको सिंडीकेटी नहीं कहती, आज जनता हम को आदर की निगाह से देखती है और कहती है कि यह मानसिंह नहीं हैं । आज जनता हम को मानसिंह की उपाधि नहीं देती है, और लोगों को देती है । आज जनता हमें राणाप्रताप कहती है । कुछ लोगों ने कहा कि ब्राह्मण हो ।

हमारे जायसवाल जी ने कहा था, आपको याद होगा, 60 फीसदी रिजर्वेशन की चर्चा में था, कि यहां पंडित जी की हुकूमत है, वहां पंडिताइन जी की हुकूमत है । याद होगा कमलापति-जी ने जवाब दिया था । मैं खुद कहता हूं कि मैं पंडित पंडिताइन के साथ नहीं हूं । हम राणा प्रताप हैं । हम भी कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते थे । राम सिंह यादव के साथ में डिप्टी मिनिस्टर था । मेरे पास भी बड़े आदमी गये । मैं भी आज कैबिनेट मिनिस्टर होता । लम्बी गाड़ी मेरे पास होती । झब्बे वाला सिपाही होता । राजमंगल पांडेय भी गये थे मिनिस्टर बनाने के लिये । आज जनता की निगाह में हम उठे हैं । इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार काफी भ्रष्ट हो चुकी है, इससे इस देश का प्रशासन नहीं संभलने वाला है । इस लिये सरकार जानी चाहिये और मैं अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, बहुत कुछ सुनने के बाद मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि इस गैलरी में बैठने वाले जो सैकड़ों लोग हैं शायद उनको प्रभावित करने के लिये दूसरी तरफ से यह सारी बातें कही जा रही हैं। कहा गया कि इस से कोई भ्रष्ट शासन नहीं, एक-एक कर्मचारी का बारह बारह बार ट्रांस्फर होता है। हमने सारी निष्पक्षता छोड़ दी। जाति बिरादरी की बिना पर ट्रांस्फर और पोस्टिंग हो रही है। चौधरी साहब की मैं खुद बहुत इज्जत करता हूं। उनके साथ काम करने का भी मुझे इत्तिफाक हुआ है। मुझे कहने में संकोच नहीं वह बहुत अच्छे प्रशासक हैं। इसमें भी कहने में संकोच नहीं कि उनकी सूझबूझ भी है। लेकिन यह भी चीज गलत नहीं होगा कहना कि अगर 67 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीतिक वातावरण में कोई भी असंतुलन हुआ है तो उसके सबसे बड़े कारण तथा दोषी भी वही हैं। कारण जो भी रहा हो लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि इसी सदन में 16 आदमियों को इधर से उधर ले जाने वाले चौधरी साहब ही हैं और इस प्रकार इधर से उधर आदमियों को ले जाने वाला पहला कार्यक्रम अगर किसी ने शुरू किया तो वह चौधरी साहब ने ही शुरू किया जिसके कारण सन् 67 में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक वातावरण में असंतुलन पैदा हुआ। मैं यह भी बात साफ कहना चाहूंगा कि उनमें प्रशासन की क्षमता जरूर है लेकिन उसमें मानवता की कमी है। मैं एक उदाहरण दे कर इस तर्क की पुष्टि करूंगा।

अनन्तराम जायसवाल सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। वह भी इसको पुष्टि करेंगे। एक केस में एक एक्साइज इंस्पेक्टर ने कोई गलती की। यहां पर लीगल रिमेम्ब्रेन्सर ने मना किया, कमिश्नर एक्साइज ने कहा केस नहीं बनता लेकिन फिर भी उसे ट्रायबुनल को रेफर कर दिया गया और ट्रायबुनल ने उस शिकायत की बिना पर उसके टर्मिनेशन की सिफारिश कर दी और उस सिफारिश की बिना पर चौधरी साहब ने उसे टर्मिनेट कर दिया। उस केस को अगर कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष रूप से देखने की कोशिश करेगा तो मानवता व शहादत की बिना पर सारा सदन एक मत होगा उसको डिसमिस नहीं करना चाहिये था। उसको रिइंस्टेट कर देना चाहिये था। बदकिस्मती देखिये उसे विभाग से निकाल दिया गया। उसके ऊपर घूस का दाग लग गया। वह फिर पी0 सी0 एस0 में बैठा और उत्तर प्रदेश में उसकी सातवीं पोजीशन आई लेकिन एक्साइज इंस्पेक्टर की हैसित में उस पर चूंकि घूस का दाग था लिहाजा वह पी0 सी0 एस0 में नहीं लिया गया। आल एलांग वह फर्स्ट क्लास पोजीशन होल्डर था। फिर उसने एम0 ए0 किया और उसमें भी उसको फर्स्ट क्लास और कोई पोजीशन आई। यूनिवर्सिटी में वह लेक्चरर हुआ लेकिन जैसे ही यूनिवर्सिटी में उस पर लगे दाग की बात मालूम हुई वह वहां से भी निकाल दिया गया। उसका बड़ा भाई मिलीटरी में था वह इलेक्ट्रिक शाक से मर गया। मरसी पिटीशन मुख्य मन्त्री जी को दी गयी लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया।

डिसमिस्ड एम्पलाईज की अनुशासनहीनता की बात कही गयी। इसी सचिवालय के एम्पलाईज अनुशासनहीनता में निकाले गये। उनकी गलती क्या थी? गलती यह थी कि समान काम करने वालों को समान वेतन दिया जाय, भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके समान उनको महंगाई भत्ता दिया जाय। इस मांग के पीछे इस सचिवालय के कर्मचारियों की क्या दुर्दशा नहीं हुई जिसके फलस्वरूप पी0 एन0 शुक्ल सचिवालय संघ के बहुत बड़े नेता बन गये। वह सुनेता कैसे बने यह कहानी हमसे और आपसे छिपी नहीं है। प्रशासन केवल डंडे के बल पर नहीं चलाया जा सकता और न केवल ईमानदारी के बल पर ही चलाया जा सकता है। उसमें मानवता भी होनी चाहिये, परिस्थितियों के विश्लेषण की क्षमता भी होनी चाहिये। किसी ने कोई गुनाह किया हो हम उसको मौका तो दें इंसान बनने का, प्रशासन का तकाजा है हम उसे इंसान बनने दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मानवता के नाम पर प्रशासन का जो तकाजा होना चाहिये था वह आपने नहीं किया। मान्यवर, यह सबसे बड़ी खामी थी। मेरे ऐसा कहने में शायद मेरे कुछ साथियों को बुरा लगेगा कि सन् 67 के बाद से ही इस सेक्रेटरीयेट के अन्दर भ्रष्टाचार की शुरूआत हुई जबकि यहां पर एस0 वी0 डी0 की सरकार बनी थी। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा लेकिन इतना अवश्य बताना चाहूंगा कि आपकी मौजूदगी में स्पीकर के मातहत जो मार्शल तथा जो और स्टाफ है उन से कनफर्म करवा सकता हूं कि सन् 67 के बाद यहां पर भ्रष्टाचार शुरू हुआ है। वरना कोई क्लर्क, सेक्रेटरी या अन्डर सेक्रेटरी से यह कल्पना तक नहीं कर सकते हैं कि वे ऐसा करवा सकते हैं। शुरूआत कौन करे, दोषी कौन हो और कहा किसको जाय, यह तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि चौधरी साहब कमलापति जी के स्थान पर आ जायं और सारी पुलिस को इस भ्रष्टाचार को मिटाने में लगा दें तो फिर भी जो गंदगी फैली हुई है उसको दूर नहीं कर सकते हैं। एक बार जो कीड़े गहराई तक किसी चीज के पहुंच जाते हैं तब उस स्थिति में उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है।

मान्यवर, एक चीज यह कही गई कि मुख्य मन्त्री जी के पास 6 विभाग हैं। मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, माननीय चरण सिंह जी जब मुख्य मन्त्री थे तो उनके पास जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, होम, प्लानिंग केन डेवेलपमेन्ट और शुगरफैक्टरीज तथा लेबर आदि पांच विभाग थे। यदि 5–6 विभाग पंडित कमलापति जी के पास भी हैं तो क्या हो गया। क्या फर्क पड़ गया जब कि आज जितने भी ये विभाग हैं उन सब के स्टेट मिनिस्टर भी मौजूद हैं जब कि वे इन पांचों विभागों के सर्वेसर्वा थे। तो इसे कहना कि उनके पास इतने विभाग हैं, उचित नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों ने दलबदलुओं के बारे में भी कहा। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि दल बदलने की प्रवृत्ति तो उनके जमाने से ही शुरू हुई। बी0 के0 डी0 के 50–60 मेम्बर वहां से यहां आ गये। चौधरी साहब को इस सम्बन्ध में सोचना चाहिये था। वे समझ गये कि सरकारी कर्मचारियों के समान प्रशासन वे एम0 एल0 एज0 के साथ नहीं कर सकेंगे। आपके तो 98 व्यक्ति आये थे उसमें से आज कितने रह गये हैं वह सोचने की बात थी। इसकी जानकारी तो सभी को है। यह तथ्य की बात है। यह तो कोई बात नहीं हुई कि जो दोषी था और उसके दोषों की पुनरावृत्ति दूसरे के जमाने में होती है तो वह उसका दोषी नहीं है।

मुसलमानों के लिये बड़ी हमदर्दी की बात कही गई और अनुशासनहीनता के बारे में कहा गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक इस उत्तर प्रदेश के शासन में कभी भी औरतों के ऊपर लाठी चार्ज नहीं हुआ है। मुझे याद है कि प्लानिंग डिपार्टमेन्ट में काम करने वाली ग्राम लक्ष्मियों को इसी कौंसिल हाउस के सामने पीटा गया था। क्या हम और आप इसको कभी भूल सकते हैं। बंगले पर इन औरतों को पीटा गया। आज चौधरी साहब के मन में मुसलमानों के प्रति इतनी हमदर्दी हो गई। मान्यवर, अगर इतनी हमदर्दी हो गई तो मेरा ख्याल है कि यह एक राजनीतिक हमदर्दी है क्योंकि उनका ख्याल है कि हो सकता है कि सन् 74 के पहले चुनाव यहां पर हो जायं और उनका भ्रम रहा है कि इन्हीं मुसलमानों के बल पर कांग्रेस हमेशा कामयाब होती रही है और इस मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर या फिरोजाबाद और बनारस में होने वाले तथा कथित दंगों के नाम पर मुसलमानों की हमदर्दी हासिल कर ली गयी तो हो सकता है कि सन् 74 के पहले ही चुनाव हो और उसमें हमारा पुराना ख्वाब साकार होकर शायद गद्दी मिल जाय। तो मुसलमानों के साथ जो उनकी हमदर्दी है वह केवल इसलिये कि उनके दिमाग में आगे आने वाला चुनाव है। मैंने तो श्री राम विलास पांडेय जी से पूछा था और अवश्य सदस्यों से भी पूछा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास कितना गन्दा रहा है, क्या वह किसी से छिपा हुआ है? जो भी वहां वायस-चांसलर रहे उनकी क्या दुर्गति हुई, यह आपको हमको सभी को मालूम है।

[श्री राज मंगल पांडेय]

आज के शिक्षा मन्त्री जो श्री नुरूल हसन हैं वे उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने ही इस बिल को पायलट किया और अपनी एजूकेशन मिनिस्टरी के जमाने में ही यह किया है, तो क्या यह सोचने की बात नहीं है कि एक मुसलमान होने के नाते, उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होने के नाते जब उनको मालूम हुआ कि इस समस्या का समाधान इस तरीके से नहीं होने वाला है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काम हो और करोड़ों रुपये की ग्रांट सरकार से उसको मिलती रहे। कोई भी सरकार इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि करोड़ों रुपये तो वह ग्रांट के रूप में दे और वहां पाकिस्तान की बात सोची जाय और राजनीतिक गन्दगी की बात सोची जाय। कोई भी सरकार इस तरह की चीजें की कल्पना तक नहीं कर सकती। इस तरह की गन्दगियों को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि वहां सही तरीके से शिक्षा दी जाय और उसमें कुछ तब्दीली की गयी। तब्दीली भी केवल यह है पहले जो वहां चांसलर और वायस चांसलर मुल्ला और अनपढ़ मुसलमानों द्वारा नियुक्त होते थे, अब वे उनकी नियुक्ति न करेंगे और अब चांसलर और वायस चांसलर का नाम वहां से आयेगा और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इसको तय करेगी कि कौन चांसलर या वायस चांसलर हो। तो इसमें हमने क्या परिवर्तन कर दिया? कोई उनकी शिक्षा दीक्षा में परिवर्तन कर दिया या उर्दू में या उनकी और संस्कृति में कोई बाधक बन गया? हमारी यह नीति नहीं है कि हम किसी के धर्म में या उनके रीति रिवाज में बाधा डालें। क्या हमने उनकी मुस्लिम फिलासफी को बदल दिया है? इस तरह का कोई भी व्यवधान हमने नहीं पैदा किया। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बड़ा नाम लिया जाता है। कौन नहीं जानता कि वहां दुनिया भर की खुराफातें होती रही हैं और इसकी वजह से वह बड़ा बदनाम रहा है।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

मानयीय सदस्य ने जो कहा कि तब्दीली केवल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वायस चांसलर की नियुक्ति में की गई है, तो क्या इसी तरह की तब्दीली गुरू नानक यूनिवर्सिटी में भी करा देंगे?

श्री राजमंगल पांडेय—

आप परेशान न हों, वह भी आने ही वाला है। अगर इस सेशन में नहीं आया तो अगले सेशन में आकर रहेगा। मुसलमानों से मुझे कोई शिकायत नहीं है लेकिन तकलीफ तब होती है जब इस तरह से मुस्लिम भाइयों की हमदर्दी की बात सोची जाय।

चौधरी साहब ने शिमला सम्मेलन की बात की और दिल्ली के मोतीमहल से मुर्ग मुसल्लम बना कर हवाई जहाज से रोज शिमला ले जाने की बात कही। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारे प्रेसीडेंट श्री वी०वी० गिरि चेकोसलोवाकिया गये थे तो हजारों मील की दूरी से उनके लिये आम लाया जाता था। जब किसी के यहां कोई मेहमान आता है, जब कोई सरकार किसी को अतिथ्य देती है तो नैतिकता का तकाजा है, दुनियादारी का तकाजा है कि वह अपने मेहमान की अधिक से अधिक खातिरदारी कर सके। और ऐसे मौके पर जब एक पोलिटिकल सोल्यूशन का मसला हो, जब दो देशों में इतनी दुश्मनी हो गयी हो कि एक दूसरे को तबाह करने पर तुले हुये हों और दोनों देश एम्यूनिशन पर ही बहुत सारे रुपये लगा रहे हैं तो यह कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि दिल्ली से शिमला जब हवाई जहाज जा रहा हो तो उसमें 8–10 मुर्गे रख लिये जायं जिनका फ़ेट भारत सरकार दे दे। यह कहना कि केवल मुर्ग मुसल्लम के लिये हवाई जहाज शिमला जाता था, यह गलत है। यह अतिश्योकित है श्रीमन्, और चौधरी साहब के मुंह से यह शोभा नहीं देती है।

मान्यवर, बढ़ती हुई कीमतों में बहुत कुछ सदन में कहा गया है। जिस समय हमारे देश की प्रधान मन्त्री ने बताया था कि आसार ऐसे प्रतीत होते हैं कि चीजो की कीमतें नीचें जायेंगी उस समय कोई भी प्रधान मन्त्री, मुख्य मन्त्री और मन्त्री भविष्य वक्ता नही हो सकता है सबको मालूम था और यह आशा की जाती थी कि मानसून हमारे यहां आने वाला है और हमारे देश की आबजरवेटरीज ने यही कहा था। लेकिन अगर हमारे यहां सूखा न होता तो निश्चित है कि आजकल जो बाजार में तेजी है वह न हुई होती। जो कीमतें आज बढ़ गई हैं वह न चढ़तीं और चढ़ने के बजाय वह नीचे की ओर गिरती। लेकिन मान्यवर, कोई भविष्य वक्ता नहीं है और न माननीय चौधरी साहब ही हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई भविष्य वक्ता नहीं है और ईश्वर के आक्रोश की वजह से पानी न बरसे तो उसके लिये क्या किया जा सकता है। अगर यह कहा जाये कि जो वक्तव्य प्रधान मन्त्री ने दिया था, वह गलत था, झूठा था और देश की जनता को धोखा देने के लिये कहा गया था तो यह कहना उचित नहीं मालूम होता है और खास तौर से चौधरी साहब के मुंह से।

मान्यवर, बहुत सी चीजें कही गईं। मैं केवल एक किस्सा ही सदन को याद दिलाऊंगा। एक देवरिया में डिप्टी इस्पेक्टर आफ स्कूल थे मिस्टर भट्टाचार्या। उनका यदि कैरेक्टर रोल देखेंगे तो उसमें पेज के पेज लगे हुए हैं। उस समय प्रदेश में शिक्षा मन्त्री माननीय मिश्र जी थे और मैं उस समय स्टेट मिनिस्टर था। सारा देवरिया उनसे बड़ा परेशान था। मैंने मिश्र जी से कहा था कि ऐसे आदमी का तबादला हो जाना चाहिए। उसका तबादला तीन दफा हुआ। लेकिन तीनों दफा रोक दिया गया। उस समय बी० के० डी० के लोगों ने कहा कि राज मंगल पांडेय ने ही बी० के० डी० को साफ कर दिया है। अगर इस डिप्टी इंस्पेक्टर भट्टाचार्या का तबादला यहां से कर दिया जायगा तो देवरिया से बी० के० डी० का पत्ता ही साफ हो जायगा। यह उन लोगों के कारनामे हैं जो ऐसी बातें कहते हैं। यह सब थोथी बातें हैं और नहीं होनी चाहिए।

आज कल यह प्रदेश का मसला नहीं है हिन्दुस्तान का अकेला मसला नहीं है, बल्कि सारी दुनिया का मसला है। जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ लोगों में भौतिकवाद आ रहा है। यह साइंस और टेक्नोलोजी के अनुदान के रूप में भौतिकवाद की ओर लोगों को ले जाने की बात है। इससे लोगों से भगवान दूर हो गया है, सारे उसूल दूर हो गए हैं, उनसे दूर हटने की बजह से भौतिकवाद लोगों के ऊपर छा गया है और नैतिक ह्रास हिन्दुस्तान में नहीं बल्कि सारी दूनिया में हो रहा है। जहां हिंसा की घटना की बात है अमरीका जैसे देश में भी वैलेस की गोली मार कर हत्या कर दी गयी और कैनेडी के घर पर पहरा लगाना पड़ा क्योंकि उसके दो भाइयों को मार डाला गया था। जो राजनीतिक हिंसा के जरिये सारे विश्व में दौड़ रही है उससे हम अछूते नहीं रह सकते हैं।

आज कल यह दुनिया में हो रहा है और होता रहेगा जब तक सब लोग एक राय होकर इस बात को नहीं सोचेंगे कि इससे निकलने के लिये क्या तरीका अख्तियार किया जा सके जिससे हम लोग एक एसे रास्त पर पहुच सक जो इस हिंसक मनोवृत्ति को और अनुशासनहीनता को खत्म कर सके। यह सबके लिये सोचने की बात है। इसको राजनीतिक विषय न मानें और जितने लोग इस सदन के हैं और जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, सब मिलकर इसका समाधान अगर निकाल सकें तो यह बड़े कल्याण की बात होगी। कुर्सी के साथ-साथ हमारा विचार बदल जायें, हमारी समस्याओं के सोचने की शक्ति बदल जाये और कार्यरूप में परिणत करने की क्रिया बदल जाये तो यह हमारे लिये बड़े दुख की बात होगी।

मै दो एक बातें और कहना चाहता हूं। कुछ ब्लाक तोड़े गये। हमारे साथी माननीय बंशीधर पांडेय जी यहां मौजूद हैं वे इनके सर्वेसर्वा थे और माननीय राममूर्ति जी कम्युनिटी

[श्री राज मंगल पांडेय]

मिनिस्टर थे हमारे यहां 29 ब्लाक थे और यह बात आप निश्चित समझें कि उनमें से 7 ब्लाक वह जोड़े गये जहां ब्लाक प्रमुख और जिला परिषद् के सदस्य जो चुनकर आये थे वे पंडित जी के ग्रुप के थे और जो हाईकोर्ट की अपील से भी सफल हुए थे। इसी तरह से हमारे यहां कसिया ब्लाक जो बिहार के बोर्डर तक चला गया है और 22 मील की दूरी तक फैला है वहां पर 5 न्याय पंचायतें थीं और फाजिलनगर की 10 न्याय पंचायतें और मिला दी गई और इस हद तक डिलिमिटेशन किया गया कि वहां के काश्तकार जिनके लिये ब्लाक्स बने थे वे उनका भला करने के बजाय उन के लिये नुक्सान का कारण बन गये। लेकिन आज अगर इस सरकार ने उनकी इस गलती को ठीक करने की बात सोची तो क्या खर्च के नाम पर उस को ठीक न किया जाय। अगर खर्च के नाम पर उस गलती को नहीं सुधारा जाता तो वह अनुचित बात होगी और कोई उसका औचित्य नहीं है कि वह स्थिति कायम रखी जाय।

इसी तरह से उधर सूचना अधिकारियों की, इनफार्मेशन आफिसर्स की बात कही गई। आप यह सोचें कि जो सरकार की नीतियां हैं और उनको जो कार्य-रूप में परिणत किया गया है उनके सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि वह जनता के सामने रखी जायं और उन नीतियों के बारे में गांव के लोगों को बता कर उन में उत्साह और शक्ति भर सकें। वह हर तरह से उन की समस्याओं को समझकर और सरकार के सामने उनको रखकर उनका समाधान कराते हैं। बहुत से गांव के रहने वालों को मालूम नहीं होता कि सरकार क्या कर रही है और किस-किस तरह से उनकी सहायता करने की बात सोच रही है। यदि इस सबके लिये उन सेवाओं की जिन को पिछली सरकार ने हटा दिया था हमने फिर से नियुक्त कर दिया तो क्या गलत काम किया ? हमने तो इस तरह से जनमत का आदर ही किया है और हमारा विचार है कि यह चीज जो की गई उसके बारे में इस तरह से आक्षेप करना अनुचित होगा और किसी तरह से भी उस को उचित नहीं कहा जा सकता।

जहां तक एलीगेशन्स की बात है, वह तो कोई भी किसी पर लगा सकता है यह बात सही है लेकिन उन के एलीगेशन्स के बारे में हमारे पास उत्तर हैं और इधर से जब माननीय मुख्य मन्त्री जी उत्तर देंगे तो वह सफाई देंगे लेकिन यह सत्य है कि किसी समय कोई भी अगर कोई किसी तरह से गलत काम करता है या फंसता है या तो वह बचाव में कुछ भी कहे अगर लिखे और उसके लिये एफिडेविट भी दे दे, आप तो वकील होने के नाते कह सकते हैं कि कैसे-कैसे एफिडेविट कचहरियों में दिये जाते हैं।

जब यहां कोलिशन गवर्नमेन्ट थी और जिस वक्त हम और चौधरी साहब साथ थे तो पंडित जी ने बी० के० डी० मिनिस्ट्री के बारे में लम्बी चौड़ी बात कही थी कि पार्टी छोड़ देंगे लेकिन क्या पार्टी छोड़ दी? एलेक्शन के जमाने में बड़ी-बड़ी बातें होती हैं और लांछन लगाये जाते हैं, राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता में वह लगायें जाते हैं लेकिन क्या उन लांछनों को मान लिया जाय? इस तरह से तो कोई भी शरीफ आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। सदन में तमाम तरह की ऐसी बातें कह दी जाती हैं लेकिन बाद में मालूम होता है कि वह भ्रमवश कही थी या माननीय सदस्य न गलत जानकारी के आधार पर कह दी थी बाद में मालूम होता है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें जानकारी दी थी वह गलत थी। तो मैं उधर वालों से और खासतौर से चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि अगर किसी ने 2 एफिडेविट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के खिलाफ लगा दिये तो यह कहना अनुचित होगा और सहिष्णुता के खिलाफ होगा कि उनके ऊपर लगाये जाने वाले आक्षेप सही हैं। जब तक वह सिद्ध न हो जाय और हाईकोर्ट के जज उन के खिलाफ कोई निर्णय न दें तब तक लांछन को सही मान कर किसी मन्त्री या सरकार के खिलाफ कलंक लगाया जाता है तो वह एक अच्छा उदाहरण न होगा अगर इस तरह से तो कोई भी राजनीतिज्ञ अपने राजनीतिक जीवन को स्वच्छ नहीं बचा सकेगा।

हमारे सामने जो समस्यायें हैं उनके के बारे में भी कहा गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे सामने समस्या है कि हमारी आबादी के बढ़ने से हमारी समस्यायें बढ़ती जाती

हैं और साथ में लोगों में अपराध की मनोवृत्ति भी बढ़ी है, अहिन्सा के प्रति जो प्रेम और आस्था थी वह धीरे-धीरे कम हो रही है। पुलिस, मिलीटरी या होम गार्डस के सामने सरकार को चलाने की जो जिम्मेदारी थी वह और जटिल हो गई है। जो मानवीय समस्यायें हैं, जो मानव में परिवर्तन हुआ है उस को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि जरायम की स्थिति के साथ-साथ पुलिस आदि सेवाओं में बढ़ोत्तरी करें।

किसी सदन में यह कहा गया है कि इंग्लैण्ड में 10 व्यक्तियों के पीछे एक पुलिस का आदमी है और यहां पर 10 हजार के पीछे एक आदमी है। एक तरफ यह कहा जाता है कि ला एंड आर्डर की दशा बहुत खराब है और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि पूरी कंटिन्जेन्सी बढ़ा दी गयी एक ओर कहा जाता है कि हाई कोर्ट में 70 हजार मुकदमें पड़े हुए हैं और दूसरी जजों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिये, एक तरफ यह भी कहा जाता है कि जुडिशियल आफिसर्स के पास काम ज्यादा है, उनके पास काम करने का वक्त नहीं है लेकिन जब उनकी संख्या बढ़ायी जाती है तो यह कहा जाता है कि यह नहीं होना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि गत 2 वर्षों से हमारी सेवाओं में कोई बढ़ोत्तरी हुई है या नहीं। अगर हुआ है तो रिट्रेन्चमेन्ट ही हुआ है, बढ़ोत्तरी नहीं हुयी है चौधरी जी कांग्रेस की हकूमत में भी किसी न किसी उत्तरदायित्व क पद पर रहे ह और उन जसा आदमी भी अगर करता है कि जो बातें हुई हैं उन सबकी जिम्मेदारी मौजूदा मुख्य मन्त्री या सरकार पर है तो मेरा उनसे निवेदन है कि वे हर वातावरण को समझने कि कोशिश करें, उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें जिनको उन्होंने उपस्थित होने दिया। अगर उनके पास 1969 में ही क्षमता होती तो उत्तर प्रदेश का नक्शा ही कुछ और होता।

अन्त में उधर से जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है उसका घोर विरोध करता हूं।

श्री जंग बहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय पांडेय जी ने कहा कि 1946 में हमने अदालतों को देखा है कि जब वहां पर कोई नेता जाता था तो उसका सम्मान होता था और रिश्वत का नाम नहीं था कारण 1946 में जो लोग आजादी की लड़ाई लड़े थे, उनका जीवन बड़े त्याग गौर आदर्श का था। उन्हे किसी प्रकार का माया मोह नहीं था। वे अजादी के लिये हर प्रकार की कुर्बानी करने के लिये तैयार थे, और उन्होंने की भी। आजादी मिलने के बाद आपको ध्यान होगा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस संस्था को तोड़ देना चाहिये और देश के अन्दर जो योग्य व्यक्ति हैं उनको मिलाकर एक अच्छी सरकार बनानी चाहिये लेकिन कुछ लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर यह कांग्रेस तोड़ नहीं दी जाती है तो ये हमारे तपे तपाये नेता पारिवारिक चिन्ताओं में और अपने स्वार्थ में विलप्त हो जायेंगे। आजादी के 2–3 वर्षों बाद तक जहां भी ये कांग्रेसी लोग जाते थे उनको बड़ा सम्मान मिलता था और रिश्वत लेने का किसी को साहस भी नहीं होता था लेकिन यह जो रिश्वत का बजार गर्म हुआ उसके क्या कारण हैं? एक मैं तो यही कहूंगा कि ये ही लोग भाई भतीजावाद में फंस गये और अपने मित्रोंके लाभ के लिये उन्हीं लोगों से गलत काम कराने के लिये रिश्वत दिलाने लगे।

आज भी जो इस सरकार के कार्य हुए वे किसी मन्त्री या विधायक साहब के द्वारा अतः मैं यह निवेदन करूंगा कि मन्त्रियों और विधायकों के लिये एक आचार संहिता बननी चाहिये और यह स्पष्ट बता देना चाहिये कि किस कार्य के लिये जिला अधिकारी के पास जाना चाहिऐ किस कार्य के लिये नहीं जाना चाहिये।

इस प्रकार से यदि हम देखें तो जो हमारे प्रदेश के मंत्री हैं ऐसा करने में संकोच नहीं करते वे जिलाधीश के पास या ट्यूब वेल इंजीनियर के पास या तहसीलदार के पास, अगर लेखपाल के अप्वाइन्टमेंट का सवाल है, ट्यूबवेल के आपरेटर के ट्रांसफर का सवाल है या मामूली सी मामूली नौकरी चपरासी की है तो हमारे मंत्री जी टेलीफोन करने में सकोच नहीं करते। अगर वे इस तरह का संकोच नहीं करते तो मैं समझता हूं कि अधिकारियों द्वारा अगर गलत काम

[ श्री जंगबहादुर यादव ]

होता है तो कहने का साहस नहीं कर सकते। मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष बाढ़ आई हुई थी और मुख्य मंत्री जी जौनपुर गये हुये थे। हमारे एक मंत्री जी भी बाढ़ के सिलसिले में वहां गये। मैंने अव्यवस्था की बातें बताईं कि नगर के कुछ स्थान छोड़कर दहात में पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि लिखकर शिकायत दीजिये। मैंने शिकायत लिखकर दी एक विधायक के नाते। मैं समझता हूं कि विधायक और मंत्री में जो बड़ा अन्तर मंत्री समझते हैं वह अन्तर नहीं। मंत्री जी ने क्या किया कि हमारी शिकायत को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास दिखा दिया कि अमुक विधायक ने आपकी शिकायत की है। क्या कारण था यह दिखाने का। उसका कारण यही था कि लिलाधीश मुझसे प्रसन्न हो जायं। अगर कोई काम होगा तो वे कर देंगे तो मान्यवर मंत्री इस स्तर तक पहुंच सकते हैं।

मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं। मेरे सामने राजस्व मंत्री बैठे हुए हैं। मैंने कई बार अपने जिले के चकबन्दी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में लिखकर दिया परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक दिन मंत्री जी क एक मित्र न एक व्यक्तिगत पत्र लिखा उसमें एक एस० ओ० सी० और एक डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ लिखा था जिसके भ्रष्टाचार के बारे में सारे जिले में तहलका मचा हुआ था। कोई काश्तकार नहीं चाहता था कि वह एस० ओ० सी० उनकी अपील चकबन्दी की सुनें और जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वे उसी जिले में एस० डी० ओ० रह चुके हैं वहां उनके रिश्तेदार हैं, वे जिस तहसील में थे, वहां के परिचितों के कन्धे पर हाथ रखकर चलते थे। मंत्री जी ने सचिव को आदेश किया होगा कि जौनपुर के विधायकों को बुला लो। सचिव ने मुझे माननीय उमानाथ सिंह को बुलाया। हम मंत्री के कमरे में गये। सचिव ने पहले ही पत्र दिखा दिया था कि पढ़ लें। बाद में मंत्री जी ने कहा देख लेंगे। मैंने शर्मा जी से कहा कि आप ऐक्शन लेने का साहस रखते हैं। सारी बातें सत्य हैं जिस व्यक्ति के खिलाफ ये आरोप हैं उसका बहुत बड़ा पौवा इस मंत्रि मंडल के अन्दर मौजूद है। उनके संबंधी विधायक भी हैं। शायद माप कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। हमारे शर्मा जी बैठे हुए हैं। इन्होंने नहीं कहा कि अगर इस तरह की चीजें हैं तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे। यह पिछले सत्र की बात है।

दूसरी चीज हमारे रियासत साहब ने कही कि हरिजनों पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है और सारी बातें की जा रही हैं—जैसे कि उन्होंने अखबार का हवाला दिया कि गलत छपा हुआ है। हमारे मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं और इन्हें जौनपुर क्षेत्र का भली प्रकार अनुभव है अपने चुनावों से। मान्यवर वहां नत्थपुर एक हरिजन बस्ती है वहां पर नत्तर घर हरिजनों के हैं। उसी गांव से हमारे जिले के पार्लियामेंट सदस्य चुने गये। मैं मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि उन्होंने बीसों दरख्वास्तें भेजीं प्रधान मंत्री के पास भेजी कि उस गांव के हरिजनों से बगार ली जाती है। अभी पिछले बर्ष उनको मारा गया। उनके घर जला दिये गये। उनके हाथ टूट गये। खैर किसी तरह से मुकदमा चला पर सिफारिश ऐसी चीज है अभियुक्त छूट गये। हमारे एस0 पी0 साहब के जो सग भाई हैं उन्होंने हरिजनों पर चोरी का मुकदमा चलाया है कि वे लकड़ी काटकर ले गये। वह न्यायालय में विचाराधीन है। आप समझते हैं हैं कि जो राजनैतिक लोग हैं जो नेता हैं या एम0 पी0 हैं वे अपनी शक्ति का किस प्रकार दुरुपयोग जिले के कर्मचारियों पर दबाव डालकर कर रहे हैं।

आज जैसा आपने कहा कि हरिजनों की स्थिति में सुधार हुआ है मैं समझता हूं कि स्थान-स्थान पर हो सकता है, कुछ स्थान ऐसे हो और मैं आपको बताऊं कि भ्रष्टाचार का क्या नमूना है। पहले तो मैं समझता था कि एक पेशाकार ही रिश्वत लेता था, अब तो हमारे जिले में जितने भी अधिकारी हैं दो जार को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा अधिकारी हो जिसे हम ईमानदार कह सकें, बाकी सब भ्रष्ट हैं। श्री राम किंकर जो जब संविद में मंत्री थे और वह डाक बंगले में ठहरे हुये तो उनको यह मालूम हुआ कि एस0 ओ0 सी का पेश्कार सब लोगों

को परेशान करता है, रिश्वत लेता है, वह उठकर गये और अपने साथ डी0 वाई0 एस0 पी0 को भी लेते गये, जिसको उन्होंने दरवाजे पर ही रोक दिया। उन्होंने पेशकार का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ से दो रुपये बरामद किये। उसको सस्पेन्ड किया गया, जेल भेजा गया, जमानत हुई, गवाहों में पुलिस थी, अधिकारी थे, लेकिन शायद मुख्य मंत्री जी को पता भी न हो, उसको बहाल कर दिया गया और फिर अपनी जगह पर काम कर रहा है ।

इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां एक लेडी डाक्टर कौर थीं । उनके साथ दो और डाक्टर थे । संविद सरकार ने इन तीनों की सर्विसेज खतम कर दीं और उनको नौकरी से हटा दिया । लेकिन हटा देने के बाद ही पता नहीं वह फिर लेडी डाक्टर का कौन सा ऐसा सोर्स था कि फिर से सर्विस में हटाये जाने के बाद भी वह रि-इन्सटेट कर दी गई जब कि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की अनेकों शिकायतें थीं । अभी एक घटना अपने जिले की बताऊं हमारे जिले में एक डी0एम0ओ0एच0तिवारी जी हैं जो हमारे जिले में 4 वर्ष से हैं पिछले वर्ष जब उनका ट्रांसफर हो गया तो हमारे जिले के नेताओं ने, एम0 पी0 ने, एम0 एल0 एज ने उसको रुकवा दिया। इस बार फिर ट्रांसफर हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह इसी दारुल सफा में 4–5 हजार रुपये जब आते हैं तो पैरवी में खर्च करके जाते हैं । उनके साथ एम0 पी0 भी आता है और एम0 एल0 ए0 भी तथा बड़े-बड़े नेता भी आते हैं । शासन की तरफ से यह आदेश जारी हुए कि अगर उन्होंने अमुक तारीख तक मुजफ्फरनगर में अपना चार्ज नहीं लिया तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी । हालत यह है कि इस समय हमारे जिले में दो-दो डी0 एम0 ओ0 एच0 पड़े हुये हैं आज 25 दिन से । अन्त में प्रयास चलता रहा और शायद हमारे मुख्य मंत्री जी को पता भी न होगा 5–7 दिन पहले उनका ट्रांसफर कैंसिल कर दिया गया जिनके खिलाफ चार्जेज हों और यह आर्डर हो गया हो कि अगर यह ज्वाइन नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी फिर भी उसका ट्रांसफर आर्डर कैंसिल हो गया । इस प्रकार से यह शासन चल रहा है ।

दूसरी चीज अगर आप देखें इस शासन के अन्दर विकास टैक्स लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि विकास के लिये, ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति के लिये हमको पैसे की आवश्यकता है । हमारे राजा साहब बैठे हुये हैं, यह वन मंत्री हैं। शायद इन्हें इस बात की जानकारी न हो कि उत्तर काशी, पिथौरागढ़, नैनीताल, टेहरी गढ़वाल तथा चमोली आदि जिलों के वनों में जो चीड़ के पेड़ हैं उसकी लकड़ी पहले तीन आने मन के हिसाब से फिर 40 पैसे मन के हिसाब बिड़ला जी को 20 साल का ठेका दे दिया गया है । जब कि जलाने की सूखी लकड़ी 4 रु0 और 5 रु0 प्रति मन के हिसाब से बिकती है । आप उसकी जानकारी करा लें क्योंकि आपके अधिकारियों ने प्राक्कलन समिति के सामने यह बयान दिया है ।

इसके अलावा आपके यहां यूकिलिप्टिस के पेड़ तैयार हैं, लेकिन आपने कोई कारखाना कागज का नहीं लगाया जिससे जो भी लाभ होता वह सरकार को होता । अब वह लकड़ी सस्ती कीमत पर बेचनी पड़ेगी । आपने मिर्जापुर में चूर्क सीमेंट फैक्ट्री 9 करोड़ की पूंजी पर लगाई है। लेकिन अगर आप उसके लाभ को देखें तो पिछले वर्ष उसका लाभ तो केवल 70 लाख रुपया हुआ है इसके अतिरिक्त 45 लाख रुपया किस्त व सूद का दे दिया। 45 लाख के अलावा 15 लाख का फायदा हुआ है जब कि उस फैक्ट्री को न सेल्स टैक्स देना पड़ता है और इनकम टैक्स और उसमें जो गोआ जेल के कैदी हैं, उनको 3 रु0 प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है और जो गोरखपुर से मजदूरी करने आते हैं, उनको 6 रु0 प्रतिदिन की मजदूरी दी जाती है। अगर ये जो जेल के कैदी हैं इनकी भी 6 रु0 के हिसाब से मजदूरी दी जाय तो हम देखेंगे कि यह फैक्ट्री घाटे पर चल रही है ये जो आपके सुपर मार्केट या नया बाजार चल रही हैं, अभी पिछले वर्ष 6 लाख रुपया इसके लिये दिये गये लेकिन वह सुपर मार्केट फेल हो गया। जिन अधिकारी की गल्ती से ऐसा हुआ हो, उसके खिलाफ इन्क्वायरी बिठाना चाहिए लेकिन उनके प्रमोशन की बात चल रही है।

इसके अतिरिक्त आप देखें कि सरकार के अन्दर कैबनेट होती है। उसमें अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन गया तो वह पूरे सूबे के लिये मंत्री होता है। उसको केवल अपने ही क्षेत्र

[श्री जंगबहादुर यादव]

का ध्यान नहीं देना चाहिय। उसको पूरे सूबे का ध्यान रखना चाहिये। लेकिन आज स्थिति क्या है ? आज मंत्री जी केवल यही प्रयास करते हैं। कि उनके जिले में अधिक से अधिक सड़कें बन जायं। अधिक से अधिक हास्पिटल खुल जायं और ट्यूब वेल लग जायं। मान्यवर, मैं पिछले वर्ष के कुछ आंकड़े बता देना चाहता हूं कि कितने ऐसे जिले थे जहां ट्यूब वेल एलाट हुए थे लेकिन नहीं लगाये गये। मेरठ में केवल 18 लगने थे 38 लग गये। हमारे यहां 35 लगने थें, केवल 30 लगें, पीलीभीत में 66 लगने थें, लेकिन एक भी नहीं लगा। तो इस प्रकार का मंत्रिमंडल का रवैया है। यह बड़ी असंतोषजनक बात है।

आज आप देखें, प्रदेश के अन्दर चोरियां-डकैतियां बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जब जीवन सुरक्षित नहीं है। आज किसी को भरोसा नहीं है कि वह शांतिपूर्ण जीवन बिता सकेगा। मैं अपने जिल की बात कहता हूं। हमारे यहां जिलाधीश महोदय ने ऐसे लोगों को पिस्तौल और रिवाल्वर के लाइसेंस दिये हैं जिनके बारे में जनता को संदेह है कि उनका डकैतों से सम्बन्ध है। उनके पिस्तौल और रिवाल्वर डकैतों के गिरोहों के साथ जाते हैं। लेकिन पोलिटिकल प्रेसर के कारण आज ऐसे लोगों को यह लाइसेंस इश्यू किये जा रहे हैं जो इसके योग्य नहीं हैं।

दूसरी चीज, मान्यवर, बिजली की समस्या है सिंचाई की समस्या है। हमारा प्रदेश सिंचाई के मामले में सबसे पीछे है। हरियाना और पंजाब में कोई ऐसा गांव नहीं है, जहां बिजली न पहुंच गयी हो और पानी की व्यवस्था न हो गयी हो। अभी कल ही माननीय सदस्यों ने शोर मचाया था कि आज बिड़ला को एल्यूमिनियम की फैक्ट्री के लिये दो पैसे यूनिट बिजली दी जाती है लेकिन किसानों को 40/45 पैसे यूनिट दी जाती है। आज सरकार पूंजीपतियों के साथ क्यों इस प्रकार का पक्षपात कर रही हैं। ऐसी स्थिति में यह जो बिड़ला को बिजली देने की बात है, इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाना चाहिये और किसानों को बिजली दी जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ यह जो अविश्वास का प्रस्ताव है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

मान्यवर, बिजली और पानी की बात चल रही है, मान्यवर। मान्यवर, विधान सभा में सुबह से बिजली नहीं और इधर माननीय सदस्यों के लिये पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय अगर हमारे माननीय सदस्य इस सरकार का इसी तरह से साथ देते रहेंगे तो यह स्थिति कभी दूर नहीं होने वाली है।

श्री शिव कुमार पांडेय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने एक पत्रिका देखी जिसमें लिखा था कि इस कलिकाल में सबसे ज्यादा वाहवाही उसी को मिलती है जो अपने अपराधों को दूसरों पर मजबूती से और तेजी से मढ़ सके। मालूम होता है हमारे विरोधी दल के नेता उसी को अपना सिद्धांत मान लिए कहा कि इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, रोम-रोम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, ट्रान्सफर्स हो रहे हैं। मान्यवर, बीस साल की सारी चीजों को 16 महीने की सरकार पर थोपा जा रहा है। विरोधी दल के भाई जो शासन में, वह जो कुछ किए थे, यह अच्छा मौका है कि उसके लिये हमारी जिम्मेदारी लगा दें। मान्यवर, केवल मुख्य मंत्री की कुर्सी के लिये दस दस बार कलाबाजी दिखाने वाले चौधरी साहब जनता ने उनको कुर्सी की वजह से छोड़ दिया, बी० के० डी० के साथियों ने छोड़ दिया और इधर बैठ गए, लेकिन . . .

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

अब इधर आना शुरू हो गये हैं।

श्री शिव कुमार पांडेय—

चौधरी चरण सिंह जी के लिये माना जाता था कि कभी हारे नहीं हैं। अब की बार चुनाव में बुरी तरह से हारे हैं क्योंकि जनता....

श्री बलवीर सिंह—

आपने गलत तरीके अपनाए। कम्युनिस्टों से मिलकर....

श्री राज मंगल पांडेय—

आप भी वही करेंगे....

(व्यवधान)

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

राज मंगल पांडेय जी ने कहा कि वही करेंगे... (व्यवधान)....ऐसा हजरतगंज में बैठकर कपूर साहब ने किया है....

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

दल-बदलुओं पर ही एक दिन बहस हो जाय।

श्री शिवकुमार पांडेय—

दल-बदलुओं के सरदार की पदवी अगर किसी को मिली है तो यह चौधरी चरण सिंह जी को ही मिली है....

श्री बलवीर सिंह—

यशपाल कपूर यहां आए और कपूर होटल में शराब पिलायी गयी, रुपया बांटा गया। इसी पर फक्र करते हो.... (शोर)....

श्री अधिष्ठाता—

पांडेय जी को बोलने दें।

श्री शिवकुमार पांडेय—

श्रीमन्, जो कैबिनेट स्तर के मन्त्री रह चुके हैं, कम से कम उन्हें तो प्रजातंत्र में बातों को सुनने का माद्दा होना चाहिए। आप जब बोलें तो मुझसे चार गुना बोल लीजियेगा। तो मान्यवर, हिन्दुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का हर आदमी परिचित हो गया कि चौधरी साहब कुर्सी के लिए दल-बदल किये, बी० के० डी० के साथियों को छोड़ा, कुर्सी के लिए हिन्दुस्तान की सबसे प्यारी जनता को छोड़ा.....

श्री कल्पनाथ सिंह—

हिन्दुस्तान में दल-बदलुओं में नम्बर 1 इन्दिरा गांधी हैं।

श्री श्री कृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)—

क्या यह सही नहीं कि दल-बदलुओं की फौज लेकर मुख्य मंत्री की उधर गए हैं....

श्री शिवकुमार पांडेय—

श्रीमन्, इसी विधान सभा में आचार्य नरेन्द्र देव जी ने जब सोशलिस्ट पार्टी छोड़ी थी तो पद भी छोड़ दिये थे। इसी विधान सभा में 11 साथियों को लेकर चौधरी चरण सिंह जी गए और मुख्य मंत्री हो गए.....

(व्यवधान)

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

मैं चैलेंज करता हूं नये चुनाव करा लें.....

श्री अधिष्ठाता—

उन्हें बोलने दीजिये।

श्री शिव कुमार पांडेय—

मान्यवर, भ्रष्टाचार का बड़ा हवाला दिया गया। सदन का हर सदस्य अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे कि क्या 16 महीने पहले, रामनवमी के दिन जबकि त्रिपाठी जी ने शपथ ली, उसके पहले क्या कोई भ्रष्टाचार नहीं था? क्या घूसखोरी नहीं थी? तो मान्यवर, असलियत यह है कि जब चौधरी चरण सिंह यहां के मुख्य मंत्री थे उस जमाने में सुल्तानपुर के बी0 के0 डी0 के वह आदमी जिनका नाम वहां जनता का कोई व्यक्ति नहीं जानता तीसरे दिन मोटर लेकर मुकदमें की पैरवी कराने आते थे और जब वे मुख्य मंत्री पद से हटे तब से वह सुल्तानपुर वाले अब उस गाड़ी पर नहीं आते और अब ट्रेन पर आते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

वह आपके साथ आयें या नहीं?

श्री शिवकुमार पांडेय—

वह हमारे साथ तो नहीं आये लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि सुल्तानपुर वाले अधिकांश लोग इसके गवाह हैं।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

पांडेय जी ने कहा कि क्या पिछले जमाने में घूसखोरी नहीं चलती थी। अगर पहले चलती थी तो क्या वह चाहते हैं कि अब भी चले?

श्री शिवकुमार पांडेय—

यह मैं तो मानता हूं कि वह अब भी नहीं चलनी चाहिये लेकिन जो तपेदिक का रोग आपने पैदा कर दिया है उसको दूर करने में सालों लगेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

पांडेय जी, आप उस तपेदिक से मरेंगे कब?

एक सदस्य—

पांडेय जी की हुकूमत में सवा साल बाकी हैं।

श्री शिवकुमार पांडेय—

श्रीमन्, मेरी हुकूमत में खूबियां भी हैं इसलिये मेरी सरकार चलेगी। ...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया जारी रखें।

श्री शिवकुमार पांडेय—

श्रीमन्, जारी तो है ही। श्रीमन्, चौधरी साहब ने बड़ी मायूसी के साथ कहा कि अकाल पड़ने वाला है और उनको डर है कि यह सरकार अकाल का मुकाबला नहीं कर सकेगी। मान्यवर, कभी भी इतनी बड़ी बाढ़ नहीं आयी थी जितनी बड़ी पिछली साल आयी थी और हमारी सरकार ने मुस्तकिल मिजाजी से उसका मुकाबला किया। प्रदेश भर में हमने तकाबियां बटवा सड़क यू0 पी0 भर में टूट गयी थीं उनकी मरम्मत करवा दी।

श्री राम बिलास पांडेय—

पांडेय जी क्या चाहते हैं कि जितनी बड़ी बाढ़ पारसाल आयी थी उसी प्रकार इस साल अकाल भी उतना ही बड़ा आवे?

श्री शिवकुमार पांडेय—

यह सही है कि जब कोई ऋषि यज्ञ करता है तो राक्षस लोग उसे विध्वंस करते हैं । जब इन्दिरा गांधी जी ने रामराज्य लाने का व्रत लिया तो उन के मार्ग में प्रकृति का प्रकोप आ गया है । हमने अत्याचारियों का हमेशा मुकाबला किया है और उसमें हमें चिन्ता नहीं है ।

श्री अधिठाता—

पांडेय जी, यह क्या यह तो आपने उल्टी बात कह दी ।

श्री शिवकुमार पांडेय—

यह बात मैंने ठीक ही कही है । हमारी हुकूमत में प्रकृति का प्रकोप आता है और आयेगा तो हम किस तरह से उसका मुकाबला कर सकते हैं यह हमने पारसाल बाढ़ के समय दिखा दिया है और इस साल भी भगवान न करें कि अकाल पड़े और अगर अकाल पड़ेगा तो हम उसका मुकाबला करेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे । हमारी विरोधी पार्टी के लोग जब आपस में यहां से अलग बैठते हैं तब कहते हैं कि इतनी अच्छी हुकूमत तो हमने कभी देखी नहीं । यह बात किसी से छिपी नहीं है कि विरोधियों को जितनी इज्जत आज मिल रही है उतनी इज्जत आज से पहले कभी नहीं मिली थी । वहां पर बात इस तरह से विरोधी पक्ष के भाई करते हैं और जब यहां बात करते हैं तब फर्ज अदायगी के लिये यहां आकर ऐसी बातें करते हैं । मान्यवर, माननीय चौधरी साहब ने वेतनवृद्धि जो सरकारी कर्मचारियों की गयी उसका विरोध किया । आप इसी सदन में देखते हैं कि जब वेतनवृद्धि के लिये जुलूस आते हैं तब ये कहते हैं कि आप इसे क्यों नहीं मानते, कोई दफा 51 ले आते हैं और कोई कार्यस्थगन प्रस्ताव ले आते हैं और जब हम कोई चीज कर देते हैं तब आप कहते हैं कि वेतन वृद्धि क्यों कर दी । यानी चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी । चौधरी साहब ने यह भी कहा कि पत्रकारों को सुविधाएं इसलिये दे दी गयी हैं कि जिससे वे सरकारी पक्ष के विचारों की तारीफ करेंगे ।

मान्यवर, सोचिये, हमारे चौधरी साहब को शैडो मिला । टाइपिस्ट मिला और विरोधी दल के नेता के नाते उनको भी वहीं वेतन मिला जो कि मुख्य मंत्री जी को मिलता है लेकिन वे सरकार से प्रभावित नहीं हुए और जब पत्रकारों को थोड़ी सी सुविधा मिल गई तो कहने लगे कि यह क्यों, उनको दिलाना चाहते हैं ताकि वे सरकार के प्रभाव में आ जायं । अपने ऊपर इतना विश्वास और दूसरों पर इतना बडा अविश्वास । पत्रकार किसी तरह से पीछे नहीं हैं, पढ़े-लिखे हैं, योग्य हैं, और उनमें क्या कमी है । जरा सी सुविधा जो उनको मिल गई तो कहने लगे कि हमारे हो जायेंगे । अगर यही होता तो चौधरी साहब इसको पहले ही कर सकते थे । वह भी तो मुख्य मंत्री रहे हैं । खुद तो सुविधा लेकर हमको गाली देते हैं और पत्रकारों को जरा सी सुविधा मिल गई तो कहते हैं कि उनकी तरफ हो जायेंगे । वेतन न बढ़ाने की बात भी कही गई । मैं तो कहता हूं कि वेतन का समय के साथ न बढ़ाना हमारी सबसे बडी आर्थिक कमजोरी है । जो टाइपिस्ट चपरासी हैं, बाबू हैं, आखीर उनके ऊपर भी तो महंगाई का प्रभाव पडता है ।

आज आप देखें कि महंगाई के कारण जो बाबू हैं उसके यहां सब्जी नहीं बनती है, वह बच्चों को दूध नहीं पिला सकता है । अगर उसका थोड़ा सा वेतन बढ़ा दिया तो बड़ा भारी जुल्म कर दिया । आप तो चाहते हैं कि जब वेतन बढ़ाने के लिये वे कहें तो उनको मारा जाय जैसे कि आपने अपने समय में महिलाओं के ब्लाउज फड़वा-फड़वा कर मारा था । हम कहते हैं कि जिनकी 100 रु० से कम तनख्वाह है उनको अधिक वेतन दिया जाय । आप कहते हैं कि अगर कोई अल्प वेतन भोगी अपनी तनख्वाह को बढ़ाने के लिये मांग करे उनको मारो और मुअत्तल कर दो । आपने अपने मुख्य मंत्रित्वकाल में ऐसा ही किया था । कहते हैं कि ब्लाक तोड़े जा रहे हैं । सरकार की विभिन्न समस्यायें हैं । बेरोजगारों को रोजगार देने की भी समस्या है ।

[श्री शिवकुमार पांडेय]

मान्यवर, अगर ब्लाक न होते तो आप कैसे हरी क्रांति ला सकते थे कैसे पैदावार बढ़ सकती थी । वह नहीं हो सकती थी । यह ठीक है कि जितनी हम उम्मीद करते थे उतना लाभ हमको नहीं मिल पाया लेकिन यह नहीं है कि फायदा ही नहीं मिला । ब्लाकों को तोड़कर हम दो-दो ब्लाकों को एक कर दिया । यह एक परीक्षण था । बाद में महसूस किया कि इससे कुछ असुविधा है तो फिर से उसको कायम करने जा रहे हैं तो यह कोई अपराध नहीं है । मान्यवर, जहां तक कि भ्रष्टाचार की बात है मैं नाम नहीं लूंगा । मैं मौजूद था । यहां से एक नेता गये और हमारे जिले जिला परिषद् के अध्यक्ष और मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष से कहा कि स्टैन्ड अप । तुमको 10,10 हजार रु० देना होगा । अब जिला परिषद् का अध्यक्ष रुपया कहा से लायें । उसको कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं है । मैनेजिंग डाइरेक्टर कहां से रुपया लायें । माननीय बलराम सिंह के खिलाफ कहा गया । पढ़ने लगे, वह प्रूव कहां हुआ है और बिना पुष्टि के उसके यहां पर उसको कहने लगे ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

माननीय सदस्य ने किस स्थान का जिक्र किया था ?

श्री शिवकुमार पांडेय—

सुल्तानपुर का है ।

मान्यवर, आप सोंचे कि कितनी गिरी हुई चीज जो कि कहीं भी सिद्ध नहीं हो सकती कही जाती है । एक आदमी दावा करता है और वह यह कहता है कि यह चोर है यह चोर है । दावे में 10 झूठ और 10 सही बातें होती हैं । जब तक कि कोई चीज सिद्ध न हो जाये किसी चीज को मान लिया जाय यह कहां तक उपयुक्त है ।

एक अधिकारी, छोटा सा गवर्नमेंट सर्वेन्ट क्या इतनी बडी हिम्मत कर सकता है कि हाई कोर्ट में मंत्री के खिलाफ रिट दायर कर दे कि मिनिस्टर 10 हजार रुपया मांग रहा था ? वह कैसा आदमी होगा ? जो भला कर्मचारी होता है वह कुछ नहीं कर पाता, दिल मसोस कर रह जाता है उसके जूनियर तरक्की पा जाते है, उफ नहीं करता । जो बदमाश होते हैं वही बड़ी-बड़ी सुख-सुविधा पाते हैं और वही रिट दायर करते हैं। जिसने रिट दायर किया वह तो बदमाश था ही । चौधरी साहब मुख्यमंत्री रह चुके हैं अपोजीशन के लीडर रह चुके हैं उन्होंने एक चीज जो सिद्ध नहीं है एक दावे को पढ़कर सदन में सुना दिया जिससे कि एक आदमी की राजनैतिक तस्वीर खराब हो, यह उनकी गरिमा के लिये उचित नहीं था । वही चौधरी साहब पिछली बार पंडित जी के परिवार वालों के प्रति गाली दे रहे थे तो यहीं से उनको टोका गया कि यह आपको शोभा नहीं देता है, माननीय अध्यक्ष ने कहा और चौधरी साहब को मानना पड़ा था । अब वह बलराम सिंह यादव के खिलाफ दावा पढ़ने लगे । अगर वह कहें तो मैं अपनी कांस्टीट्यूऐंसी से चौधरी साहब के खिलाफ दावा दायर करा दूं कि चौधरी साहब चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, औरत लेकर भाग गये थे, तो क्या वह सही हो जायगा ? . . . (व्यवधान) . . .

तो यह दावा तबतक सही नहीं माना जायगा जबतक मैजिस्ट्रेट उस पर अपना फैसला न दे दे । जब हमारे जिले के जनसंघ वाले डाक्टर साहब चुनाव में हार गये थे जो कि संविद मे थे तो जनसंघ वालों ने उनको मोटर का परमिट देने के लिये कमेटी का चेयरमैन बना दिया और वह लखपती हो गये और मुझे भ्रष्टाचारी कहते हैं । एक एक लारी के परमिट में 10–10 हजार रुपया मिलता था, वह भ्रष्टाचार नहीं है, मैं भ्रष्टाचारी हो गया । इसी तरह से बिरादरीवाद का इलजाम लगाया जाता है । आप भी सीनियर मेम्बर हैं आप ही बताइये कि बिरादरीबाद किसके जमाने में पनपा है ? हमारे राजमंगल जी ने बताया कि यह उसी जमाने में पनपा है जिस जमाने में यहां संविद की सरकार थी ।

हरिजनों के लिये क्या कह रहे हैं ? आज आप देखें कि कोशिश यह है कि गाड़ी न आगे चलने पाय न पीछे । हरिजनों को जब फायदा न पहुंचाएं तो कहा जाये कि येहरिजन विरोधी ह और सभी विरोधी पार्टियों की तरफ से शिकायत आती हैं और जब आज हरिजनों को जोत के लिये जमीन दे रहे हैं, पानी पीने के लिये कुएं दे रहे हैं, नौकरियों में स्थान देने जा रहे हैं तो मुसलमान भाइयों को भड़का रहे हैं कि यह तो हरिजनों के साथी हैं, मुसलमान को फांसी दे देंगे । क्यों ? यह किस भावना से लेक्चर दे रहे हैं ? बिहारी मुसलमानों को लेकर जिस तरह से चुनाव के अवसर पर हिन्दू-मुसलमानों के सम्बन्धों को विच्छेद करने का विरोधी पार्टियों ने अपने निहित स्वार्थवश प्रयाश किया वह कितना निन्दनीय था । आज भी मुसलमानों के प्रति प्रेम के कारण इस प्रकार के भाषण नहीं हो रहे है बल्कि कोशिश यह है कि मुसलमान भड़क जाय । लेकिन मुसलमान जानते हैं कि कांग्रेस ही उनकी रक्षा कर सकती है और वही उसकी हितैषी है, वह भड़काने में नहीं आयेंगे और न बहकाने में आयेंगे। क्योंकि हम न किसी विशेष जाति को मानते हैं, न बिरादरी को मानते हैं । हम तो सब जाति बिरादरी वालों को अपना भाई मानते हैं ।

(इस समय 4 बजकर 46 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

हमारी पार्टी सबके लिए खुली हुई है । हमारे साथ हरिजन भी हैं, मुसलमान भी हैं, वह तो स्वयं पिछले इलेक्शन में देख चुके हैं कि सब जगह हारे और कहते हैं कि आपकी बात जनता नहीं पूछ रही है । अभी हमारे जनसंघ के भाई बोल रहे थे । उन्होंने बतलाया कि मेरठ में लगे 60 नलकूप और जौनपुर में कम लगे । बात तो सही है, लेकिन लगे किसके जमाने में ? इसका टाइम भी बता दें ? कि ये इधर हैं या दूसरी सरकार वालों ने लगाये हैं । जितनी कमियां और खामियां बतायी गयीं, वह चाहे सन् 44 की हों, सन् 47 की हों, चाहे सन् 50की या 70 की, कुल आकरके 1972 में हमारे ऊपर थोप रहे हैं । जब संविद की सरकार थी और चौधरी चरण सिंह चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने किसानों को बिजली की सुविधा बन्द कर दी, उनकी खेती की सुविधा बन्द कर दी । हमने जैसे ही हुकूमत सम्हाली पहला काम यह किया कि उनको सुविधा दी, मिनिमम गारंटी खत्म की । वैसे जनता में तो ये हमारी बुराई करते हैं लेकिन जब हमारे साथ ट्रेन में बैठेंगे, लाबी में बैठेंगे,पान की दुकान पर मिलेंगे तो जरूर कहेंगे कि भई, सरकार तो बडे कायदे से चल रही है । इसी विधान सभा में पुलिस वालों ने डंडे मार-मार कर विरोधी पार्टी को निकाला था । आप उपाध्यक्ष हैं, श्रीमन्, स्वयं आपने विरोध किया था और आप बिगड़ भी गये थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब आप जानते हैं कि वह आपसे ऐसी बातें करते हैं तो आपको बोलने की जरूरत क्या है ?

श्री शिवकुमार पांडेय--

जिन बालक कहि तोतरि बाता, सहई मुदत मन पितु अरु माता । वैसे ही हम इनकी गाली सुनते हैं, इनको गाली मुबारक हो हमें बुरा नहीं लगता । इन शब्दों के साथ मैं अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--'

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि आखिर सरकारों की जिम्मेदारी होती क्या है। अगर सही माने में माना जाय तो अपने प्रदेश में ईश्वर के बाद दूसरे ईश्वर की संज्ञा लोग सरकार को देते हैं और हमारी तरफ भोजपुरी में उसको कहते ह, करते गोसाइयां । इनकी हालत क्या है ? जब से श्रीमान् जी लोग आये तब से हालत क ।। है हम सिर्फ इतनी दूर तक जाने की बात करेंगे और इसके बाद इस मंत्रि-परिषद् में अविश्वास क

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कल्पनाथ सिंह]
प्रस्ताव देने की जरूरत पड़ी । मैं शिवकुमार पांडेय जी की बात तो नहीं करूंगा जो कहते थे हमने यह किया, वह किया । अविश्वास का प्रस्ताव तो मंत्रि परिषद् में है, उन पर किस ने अविश्वास किया, उनका तो हम सहयोग चाहते हैं । राजमंगल पांडेय जी भी बहस कर रहे थे । जब आप सरकार में हो जायेंगे तो वैसा भाषण देंगे, मुझको प्रसन्नता होगी । लेकिन सरकार के एक भी आदमी की जबान खुली नहीं । ऐसे लोगों से ये बात कराते हैं जिनका इस बात से कोई वास्ता नहीं है । उनको तो चाहिये कि चुपचाप सुनें, उसके बाद अपना मत स्थिर करें और हमारे पक्ष में वोट दें ।

आप देखें कि आज हालत क्या है ? हम बेकारी की समस्या का जिक्र करेंगे, हम सिंचाई की समस्या का जिक्र करेंगे इसलिये कि सूखे का ऐसा प्रकोप हुआ है कि सारा प्रदेश सूखाग्रस्त हो गया है । साथ ही मैं उन बातों का जिक्र करूंगा जिन टैक्सों को उन्होंने इस प्रदेश की जनता पर अध्यादेशों के द्वारा लगाया है । मैं उन बातों का जिक्र करूंगा जिनकी आजतक येलगातार चर्चा करते चले आयें हैं, जैसे चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण, भूमि का बंटवारा और दूसरी इंडस्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण करने का सवाल । लेकिन उसके पहले मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं जो सुरक्षा से सम्बन्धित है । मुख्य मंत्री जी नहीं हैं । उनकी अदम मौजूदगी में उनकी कुर्सी से क्षमा मांग लेता हूं । अगर उनकी शान में मैं कोई गुस्ताखी कर बैठूं । लेकिन मुझे यह कहने के लिये इजाजत दें कि आज दो जिलों–वाराणसी और गोरखपुर में क्या हो रहा है, वह मैं सदन के समक्ष रखूं । वाराणसी से "आज" एक अखबार निकलता है । उसमें 30 जुलाई, 1972 के अंक में मोटे अक्षरों में यह खबर छपी है '4 दिन के अन्दर बिना सिर के दो लाश मिलीं, गोरखपुर के अन्दर 4 दिन के अन्दर बिना सिर के दो लाशें मिली, वाराणसी में 8 डकैत पकडें गये जिनके पास से तमाम असलाह बरामद हुआ, वाराणसी और गोरखपुर 3 डकैत और पकड़े गये, एक व्यक्ति को गोली मार कर उसकी घड़ी छीनी गयी', यह इस तरह की खबरें छपी हैं । मैं नहीं जानता कि यह अखबार माननीय मुख्य मंत्री जी के पास जाता होगा या नहीं, लेकिन इन खबरों की तरफ उनका ध्यान जाना चाहिये । 24 जुलाई, के इसी अखबार में निकला है कि वाराणसी के पास पुलिस की गोली से बचकर गांजा व्यापारी भागने में सफल हो गये ।

मैंने अभी एक सवाल किया था कि गोरखपुर में गांजे का जो ठेका पकड़ा गया उसका ओनर कौन है, तो जबाब दिया गया उसका पता नहीं । वाराणसी के पास 2 लाख का गांजा बरामद होता है और पुलिस तस्करों को पकड़ने में विफल रहती है । यह सब क्या है ? मुगलसराय और चन्दौली के बीच गांजे की तस्करी का एक मुख्य केन्द्र है । यह सब खबरें अखबार में छपती हैं, मगर पता नहीं क्यों माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान उस ओर नहीं जाता मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह सारी चीजें किसके जिले में बढ़ावा पा रही है । यह सोचने का सवाल है । जिस जिले के माननीय मुख्य मंत्री हों, वहां तस्करी का यह व्यापार फले फूले तो और जिलों की क्या हालत होगी । गोरखपुर की भी यही हालत है जहां से पहले 3 और अब दो मिनिस्टर विद्यमान हैं और जिस जिले में मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । मुझे पता नहीं यह अखबार माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने आते हैं या नहीं, मगर उनका ध्यान तो इस ओर अवश्य जाना चाहिये ।

23 जुलाई का यह अखबार है, इसमें एक जगह छपा है कि पुलिस के उप महानिरीक्षक कहते हैं–गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अपराधों में कुछ कमी नहीं, वृद्धि हुई है । और 'गोरखपुर में सर्वाधिक तस्करी का माल बरामद' । अब आप राजमंगल पांडेय जो भाषण कर रहे थे उनके जिले की सुनिये-'अपराध की स्थिति की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि 30 जून

को समाप्त होने वाले छमाही में गोरखपुर क्षेत्र में कुल 168 डाके पड़ तथा 134 हत्यायें हुई। लूट की 227, बल्वा की 840 और नकबजनी की 1855 सूचनाएं दर्ज की गईं। इसमें ऐसी सूचनाएं गायब हैं, जिनका थाने में कोई जिक्र नहीं है। इसके आगे है—देवरिया के बारे में देवरिया में चोर और हत्या की संख्या घटी है, लेकिन लूट, बल्वा और नकबजनी की घटनाओं में बृद्धि हुई है औरी गोरखपुर में सभी प्रकार के अपराध बढ़े हैं। यही नहीं इसमें यह भी कहा गया है— "गांजे की तस्करी व्यापार में देवरिया का कुछ अधिक हिस्सा है।"

यह तो बाहर कीं बातें हुई अब आप अदालत की बाते सुनियें। गोरखपुर में 22 जुलाई की घटना है कि "न्यायालय से 200 फाईलें रहस्यमय ढंग से गायब" यह हालत है अदालत की। अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) करते हैं कि "न्यायालय से राजस्व की लगभग 200 फाईलें सशस्त्र पूलिस पहरे कें बाबजूद रहस्यमय ढंग से गायब।" और फिर क्या कहतें हैं 'इन परगनाधीश के न्यायालय से इसके पूर्व भी फाइलें चोरी चली गयी थी लेकिन उनको उनके टिकट निकालने के बाद फाईलें कार्यालय में पड़ी मिल गयी। उनकेकहने से मालूम पड़ता है कि टिकटो की चोरी के लिये यह हुआ। तो श्रीमन्, अदालते अछूती नहीं, सशस्त्र पुलिस का पहरा रहत हुए चोरी होती है। यह मेरा नही, पुलिस के महानिरक्षक ने कहा है कि पूरें गोरखपुर रेन्ज में अपराधों की संख्या बढ़ी है। इसकें बावजूद भी सरकार को रहने का कोई औचित्य प्राप्त है, तो मै यह कहने के लिये तैयार हूं कि यह बुद्धी से पर की बात है। कोई बुद्धि वाला यह कहन के लिये तैयार नहीं होगा कि आखिर जिस राज्य में जान और माल की हिफाजत नहीं है, जिस राज्य में तस्करी व्यापार का बोलबाला है जिस राज्य में चोरों डकैतों की धूम है उन्हें खुली छूट है, वहा एक नागरिक का जनजीवन किस प्रकार सुरक्षित रह सकता है। और जो सरकार जनता के जनजीवन को सुरक्षित रखने में सफल न हो सके, उस सरकार को सदन मे बैठने का एक मिनट के लिये भो कोई औचित्य प्राप्त नही है।

हमारे एक मित्र कह रहे थे कि यह पूरब की तरफ की बात है। तो अब में पश्चिम की बात भी सुनाना चाहता हूं। मेरे मित्र श्री सुरेंद्र विक्रम और मुख्य मंत्री के पास एक तार आया है—"जिला शाहजहांपुर के सदर बाजार थाना से 20 गज की दूरी पर 20,000 की चोरी तथा दूसरी तिलहर नगरपालिका में भीषण डकैती। कानून व्यवस्था अस्त-व्यस्त।' ऐसा मालूम होता है कि चोर डाकुओं को बिलकुल छूट मिली हुई, गांव को लूटते है, नागरिकों को लूटते हैं, यह पश्चिमी जिला है। अब देखें लखनऊ नगर में जहां आप रहते हैं। इस नगर में क्राइम सिचुएशन इतनी बढ़ती गयी कि आज यह कहने के लिये मजबूर होना पड़ता है कि आज कोई भी आदमी अपनी सुरक्षा महसूस नहीं करता। और वही हालत बाराबंकी, उन्नाव और दूसरे जिलों की ही रही है जहां कि स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है।

अब प्रशासन की हालत देखें। सबसे कम बोलने वाले राजा साहब क्षमा करेंगे, वन विभाग के मंत्री जी मैं उन्हीं के विभाग से शुरू करूंगा। मैं माफी मांग लेत हूं कि उनकी शान के खिलाफ कुछ कहूं तो जरूर क्षमा करेगें। लेकिन मैं उसके बारे में व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं उनके बिभाग के बारे में कह रहा हूं। लेकिन मजबूरी है कहने के लिये मैं जानना चाहता हूं कि अरण्यपाल श्री तिवारी का नैनीताल से कितनी बार ट्रांसफर हुआ नैनीताल से और अंतिम बार श्री तिवारी किसके आदेश से रोके गये। श्रीमन् हो सकता कि मेरी सूचना गलत हो जब जवाब मिले तो उसका जवाब दे दिया जाय कहा जाता है कि वह नैनीताल में विभिन्न पदों पर चौदह साल से विराजमान हैं, इस बार मेरी सूचना है, शायद वन विभाग के आदेश के बावजूद माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश से उनको इस बार रोका गया। राजा साहब "नहीं" कह रहे है। तो ठीक है। सूचना गलत है, लेकिन सही क्या है, यह बता दें। उन्हीं के आदेश से हुआ मैं मान लेता हूं। वह तो सही है। प्राइमाफेशी केस बन गया। यह ट्रायल में जाने लायक मालूम होता है।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

एक्साइज मुहकमा। पडरौना में कोई इंस्पेक्टर साहब हैं। उसमें भी पता लगा कि सारे आदेश हो जाने के बावजूद भी जिसके लिये एक्साइज कमिश्नर का आदेश पर्याप्त है उसके लिये सरकार की तरफ से आदेश गया कि यह व्यक्ति स्थानांतरित नहीं होगा। अब दूसरी तरफ चले आइये।

मुहकमा सहकारिता— श्रीमन्, इसका नाम है सहकारी। मुझ को सूचना मिली, गलत हो सकती है सूचना, लेकिन जो सूचना मिली है, उसमें इलाहाबाद में कोई सच्चा बाबा ट्रस्ट बना है और कितना रुपया सहकारिता विभाग ने उस ट्रस्ट के लिये वसूल किया इसे सरकार सदन के सामने प्रस्तुत करे ताकि सरकार पर जो लांछन लगाया जा रहा है उससे वह बच सके और कलंकित न हो सके। क्या आवश्यकता है सच्चा बाबा ट्रस्ट की। लोगों को सन्देह होता है कि इसमें जो रुपया वसूल किया जाता है वह न ट्रस्ट को जाता है, न दूसरी जगह जाता है बल्कि किन्हीं अन्य कारणों से रुपया वसूल किया जाता है। (व्यवधान)

आप जरा प्रशासन की हालत देखिये। लखनऊ में एक उपभोक्ता सहकारी संघ है जिसमें एक ए0 आर0 साहब की नियुक्ति हुई है। वहां किसी सीनियर उप निबन्धक की नियुक्ति होनी चाहिये थी। अब उन ए0 आर0 साहब को सुविधायें अपने पद से अधिक मिल रही हैं जो उनको नहीं मिलनी चाहिये थीं। कारण भगवान जाने। एक श्री एस0एस0 यादव है। उनको चोट लग गयी जीप एक्सिडेंट में। सरकार ने आदेश दे दिये कि सारा खर्चा दवा दारू का पी0सी0 एफ0 की तरफ से दिया जायगा। पेमेन्ट उसका शुरू हो गया। कैसे शुरू हुआ यह अलग बात है। यह बात चलते-चलते इस हद तक पंहुची कि जिन लोगों को यह जानकारी थी कि यह गलत काम हो रहा है, गलत फेवर किया जा रहा है उन्होंने यह सूचना वहां के अधिकारी को दी और उस अधिकारी ने 5 हजार रुपये की दवा का पेमेन्ट रोक दिया। नतीजा यह हुआ कि तबसे उस अधिकारी का ही नहीं बल्कि उस पूरे कैडर की पदोन्नति रुक गयी है। अगर उस पूरी श्रेणी की पदोन्नति का आदेश हो जायगा तो अपने आप उस आदमी की भी पदोन्नति हो जायगी। लिहाजा एक आदमी की पदोन्नति रोकने के लिये उस पूरे कैडर की पदोन्नति रोक दी गयी है। यह सहकारिता विभाग की हालत है।

एक है श्री बी0 एस0 यादव। अनेक आरोप उन पर लगे और उनके बावजूद भी उनकी पदोन्नति हुई। मेरी यह सूचना अगर गलत होगी तो उसे ठीक कर दिया जायगा। मेरे पास काफी विस्तृत सूचनायें हैं लेकिन उनको संक्षेप में बतला रहा हूं। लकिन मैं यह जानता हूं कि पक्षपातपूर्ण रवैये का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। शासन सबके लिये है किसी एक के लिये नहीं है।

श्रीमन्, मैं अब शिक्षा के बारे में आता हूं कि इस विभाग की क्या हालत है। मझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शिक्षा विभाग के अन्दर जितनी घिनौनी राजनीति को घुसाया गया है वह शायद खोजने के बाद भी मिलना मुश्किल है। श्रीमन्, मैं इसका एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। जौनपुर जिले में समोजपुर एक स्थान है। वहां पर एक डिग्री कालेज है जिसमें कि कुछ लोगों को घुसाया गया है। उसके सम्बन्ध में इसी सदन में एक वक्तव्य भी आने वाला है। यहां तक कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लोगों ने भी कह दिया कि वह कालेज चलना चाहिए और प्रिंसिपल को अधिकार दे दिया गया है कि यह कालेज चलना चाहिए। शायद यह मामला बढ़ते-बढ़ते हाईकोर्ट तक चला गया और हाईकोर्ट ने भी जो उसका पुराना मैनेजमेंट था, उसने भी अधिकार दे दिया कि प्रिंसिपल उसे चलायें। लेकिन धन्य तेरी माया, उस आदेश और सारी परिस्थितियों के बावजूद भी जो मेरी सूचना है, आज तक उस कालेज में न लड़कों की पढ़ाई हो रही है और न दाखिला ही हो रहा है। बजाय इसके वहां पर पुलिस और पी0 ए0सी0 बैठी हुई है। सारे अध्यापक और प्रधानाध्यापक

मारे-मारे फिर रहे हैं क्योंकि पी0 ए0 सी0 पुलिस, कलेक्टर और इन्सपेक्टर आफ स्कूल सब उनकी मुट्ठी में हैं ।

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से इसी संदर्भ में यह पूछना चाहता हूं कि हाईकोर्ट का निर्णय क्या है ? यदि उनको यह जानकारी नहीं है तो मैं बता दूंगा । पहले आप इसे देख लें । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हाईकोर्ट की रूलिंग यह है कि स्कूल के मैनेजमेंट में कलेक्टर को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । दूसरी बात जो आपने कहा कि वहां पर पुलिस और पी0 ए0सी0 है। आपने यह नहीं कहा कि किन परस्थितियों में वहां पर पुलिस भेजी गई। यदि कोई दुर्घटना हो जाती तब क्या माननीय सदस्य हमको उसके लिये उत्तरदायी नहीं बनाते जिन परिस्थितियों में तनातनी हुई थी और न मालूम क्या संघर्ष हो जाता, गोली चल जाय या मारपीट हो जाय तो इसकी सुरक्षा के लिये पुलिस का वहां जाना आवश्यक हो गया था। माननीय सदस्य को यह जानकारी होनी चाहिए ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैं अपने माननीय मित्र का बड़ा आभारी हूं । मैंने तो यह नहीं कहा था कि आपने क्यों पी0 ए0 सी0 और पुलिस वहां पर रखी है। उसको वहां रखकर आपने बुरा किया, यह भी मैंने नहीं कहा । बात तो सिर्फ इतनी थी कि आपकी पुलिस और पी0 ए0 सी0, रहने के बावजूद भी लड़कों की पढ़ाई चल रही है या नहीं, कालेज ठीक से चल रहा है या नहीं यह आपके देखने की चीज थी । जो लोग उसके व्यवस्थापक थे वे बाहर हैं और जो नहीं थे वे उसके अन्दर हैं । डाकू घर के अन्दर और घर का मालिक बाहर और पुलिस पहरा दे रही है । तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस मामले को देखें । इस मामले को छोड़ दीजिये, एक दूसरा इन्स्टीट्यूट है उसी जिले में लेकुदा नाम का । मुझको बड़ी खुशी होगी कि उस लेकुदा स्कूल के बारे में भी अगर माननीय मंत्री जी अपना भाषण करें तो इसकी सफाई कर देंगे कि आखिर वह स्कूल क्यों बन्द है, उसमें पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है । एक षडयंत्र चल रहा है चारों तरफ इस बात के लिये कि जो स्कूल इनकी पार्टी के कब्जे में न हों, वे स्कूल इनकी पार्टी के कब्जे में आ जाये तब वे स्कूल चलेंगे, नहीं तो किसी न किसी मार-पीट की बात करा कर पुलिस वहां पहुंच जायेगी कि यहां पर अमनो अमान में खलल पड़ने का अन्देशा है । यह शिक्षा विभाग की बात है । मैं अभी सामान्य प्रशासन की बात नहीं करूंगा। अब मैं पुलिस विभाग की एक मिसाल पेश करता हूं ।

पुलिस विभाग क्या है, उधर यह होता है और दूसरी तरफ आप देखें कि मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी की खिदमत में एक चिट्ठी भेजी और वह चिट्ठी मगहर के निवासी श्री बांकेलाल गुप्त ने मेरे पास भेजी थी । ग्राम मगहर, पोस्ट मगहर, थाना खलीलाबाद जिला बस्ती के निवासी श्री बांकेलाल गुप्त का यह कहना था-मैं कोई 10–20 साल पहले की बात नहीं कहता हूं, यह इसी साल की मई की बात है । श्री बांकेलाल गुप्त का लड़का गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में व्यापार की गरज से कुछ माल लदवाने के लिये गया । माल लदवा कर वहां से चला और बीच में ही कैम्पियरगंज में जो हमारे पी0डब्लू0डी0 मिनिस्टर के क्षेत्र में है और भूतपूर्व उप गृह-मंत्री के बगल में ही वह थाना है, वहीं वह आदमी मार डाला जाता है और उसकी लाश पुलिस वाले को मिलती है तो उसकी पाकेट में डायरी व सारा सामान बरामद होता है । ट्रक वाला ही शायद उसकी लाश को पुलिस कस्टडी में पहुंचा गया था । उस ट्रक वाले के कहने के बावजूद भी उस लाश को लावारिश करार देकर उसे दफना दिया गया और उस व्यापारी के शरीर पर घड़ी, सिकड़ी या कुछ जेवर वगैरह थे, उनको गायब कर दिया गया । बांकेलाल गुप्ता ने सारी कोशिश की कि इसकी जांच करायी जाय लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला । इस समय मुख्य मंत्री जी

[श्री कल्पनाथ सिंह]

तो नहीं हैं लेकिन क्या गोस्वामी जी भी इसकी जांच करा कर कृपा करके सदन के सामने आयेंगे कि इस तरह के मामले होते क्यों हैं ?

हमारे यहां एक थाना गोला बाजार है । वहां एक दारोगा जी हैं, उन दारोगा जी ने एक स्कूल के लिय इतना चन्दा वसूल किया, जिस स्कूल का संबंध एक सरकारी मंत्री जी से कहा जाता है । चन्दा वसूल हुआ कैसे, मैं नहीं कह सकता कि बात क्या है? शायद वह मामला अदालत में है इसलिये मैं उसके पूरे डिटेल में नहीं जा सकता हूं लेकिन इतनी बात कहना चाहता हूं कि गोरखपुर के गोपालपुर कस्बे के एक बनिये को चन्दा न देने पर डी0आई0 आर0 में बन्द कर दिया और बन्द करक उसे मारा । उसका यह कहना था कि उसका केवल कसूर था कि उसने मुंह मांगा चन्दा दरोगा जी को नहीं दिया था । एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि उसको डी0 आई0 आर0 में रखा गया । वह एक साधारण बनिया है और गांव सभा का है । यह सब कसे होता है और इसका क्या कारण है ?

दूसरा निवेदन यह है कि इस सरकार ने जब कदम रखा था तो सरकारी आदेश से एक थानेदार की नियुक्ति की गई थी कि इसके लिये क्या डी0आई0जी0 और आई0 जी0 काफी नहीं थे। मैं जानना चाहता हूं कि यह क्यों किया ? उसको मेरी कांस्टीटुयेंसी में पहुचाया गया । रहने वाले कहां के हैं, यह आप समझ लीजिये कि उनका क्या जिला हो सकता है इतना समझना काफी होगा । मैं क्यों कहूं । प्रशासन का क्या हाल है पुलिस विभाग की यह हालत है कि जिस थानेदार का रिवालवर छीन लिया गया । जिसके खिलाफ कावर डाइस का चार्ज लगाना चाहिये था उसको इनाम दिया गया । एक एस0पी0 को गोरखपुर से वाराणसी भेजा गया । एस0पी0 को कौन हटाता है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

श्रीमन्, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सामान्य प्रशासन का यह काम है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आपने ठीक किया जो स्पष्टीकरण कर दिया । मैं अपनी जानकारी बढ़ाये लेता हूं । यह पुलिस विभाग का मंत्री नहीं बल्कि सामान्य प्रशासन एस0पी0 का ट्रांसफर करता है । गोरखपुर के एस0पी0 को एक साल के अन्दर हटाया गया । अगर चार्जेज बनाये गये होंगे तो यह पता चल जायगा कि किन आफिसर्स के खिलाफ चार्जेज हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

गोरखपुर और वाराणसी में ही आप समय ले रहे हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

असली मुकाबला वहीं है । विरोध की आग इस दिल में जलती है । मैंने इस बात का संकेत किया कि जो अभी हो रहा है उसको आप देखेंगे कि आजमगढ़ में भी और बस्ती में भी 'एस0पी0' के ट्रांस्फर हुय हैं । जिन लोगों के ट्रांस्फर हो गये हैं उनको गोरखपुर में बुलाया गया । और यही नहीं, जितने छोटे पद के अधिकारी आ सकते थ, इंस्पेक्टर जहां होने चाहिये थे वहां सब-इंस्पेक्टर और जहां दूसरे लोगों को होना चाहिये था छोटे लोगों को रखने की कृपा की गई । पुलिस प्रशासन में इस तरह का पक्षपात और घिनौना स्वरूप रखने की साजिश इस सरकार ने की है । यह एक बड़ी मिसाल एसी है जिससे सारा जन-जीवन खतरे में है और मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा ।

हमारी कांस्टीट्एंसी में एक कस्बा बड़हलगंज है, वहां पर एक स्कूल है जिसके प्रिंसिपल यहां कहीं बैठे होंगे, श्री हरि प्रसाद शाही जो उस पक्ष में ही हैं उनके गांव के स्कूल में गांधी विद्यार्थी स्कूल महुआपार के प्रिंसिपल को रात के 9 बजे कुछ लोगों ने गोली मारी। सारी जांच के बाद भी अगर यह सरकार उस प्रिंसिपल का कहीं किसी तरह का कोई दोष साबित कर दे तो मैं उनका लोहा मान लूंगा। आप देखें कि उसकी तफतीश में क्या कमी है प्रिंसिपल ने बयान दिया, क्या बयान दिया पुलिस के लोगों को यह देखने की बात है। मुझे सूचना मिली कि लोकल पुलिस ने उस प्रिंसिपल की एफ0आई0 आर0 तक नहीं लिखी और वह आदमी रात को अस्पताल में पहुंचा, मैं स्वयं उसकी खराब हालत देखने गया था, गोली आरपार लगी थी, वह गोरखपुर में भरती थे मैं उनको देखने गया। यह सामान्य जनजीवन की हालत है और आज किसी भी नागरिक के लिये सुरक्षित रहना बड़ा दुश्वार सा हो गया है। इसीलिये मैंने यह बात कही, अगर कोई इधर के दल से संबंधित होता तो दूसरी बात थी लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वह प्रिंसिपल किसी दल का आदमी नहीं है और ऐसे आदमी को मंदिर से पूजा करके निकलते समय गोली मारी जाय यह समाज की हालत का पता देता है और इससे पुलिस का यह स्वरूप दिखाई देता है कि पुलिस ने आज तक इस मामले में तफतीश करके गोली चलाने वाले और मारने वाले को पकड़ने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की वह बतायें कि क्या किया गया और कौन सा कदम उठाया गया। जहां तक मुझे जानकारी है अभी तक उस केस में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस मामले की पूरी छानबीन की आवश्यकता है।

एक बात और रह गई कि उसी थाने में एक गांव है नरहरपुर, उसमें लाल बिहारी सिंह नाम का एक आदमी है, 8 दिन पहले उसको पकड़ा गया और उसके बाद उसी गांव के लाल बिहारी यादव को पकड़ा गया। मैं नहीं कह सकता कि अभी और कितने लोग मुलजिम होंगे .....

श्री उपाध्यक्ष—

कितने लाल बिहारी वहां होंगे ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

2 ही रहे और दोनों को पकड़ लिया गया जहां तक मेरी जानकारी है यह दोनों सिंचाई विभाग के चौकीदार हैं और बगैर सिंचाई विभाग के लोगों से जानकारी किये, उनको पकड़ा गया, मारा गया और जेल भेज दिया गया। जब दोनों आदमी सरकारी ड्यूटी पर मौजूद थे तो एक को एक सप्ताह पूर्व और एक को एक सप्ताह बाद पकड़ने का क्या औचित्य है। यह इस सरकार की दक्षता का जीता जागता उदाहरण है। यह बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, यह केवल 15 दिन के अन्दर की घटनाओं का मैंने जिक्र किया है। यह मैंने इनकी पुलिस के कृत्यों की बात बतायी और पुलिस प्रशासन की गाथा अगर गायी जाय तो मैं समझता हूं कि 2 दिन तो मेरे लिए ही काफी होंगे।

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि पुलिस की हालत इधर तो यह है और जब फिरोजाबाद की घटना का उल्लेख मैंने सदन में किया तो कहा गया कि न्यायिक जांच की कोई आवश्यकता नहीं है और वह इसलिए भी नहीं करायी जायगी क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं निकलने वाला है। आखिर जो बातें सरकार की ओर से कही जा रही है, उनमें से एक के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आई0जी0 साहब और बनारस के कमिश्नर साहब, श्री मुस्तफी, जब इन दोनों आदमियों ने जांच की तो उस समय उन्होंने जो कहा वह इस प्रकार है :—

> "पुलिस और पी0 ए0 सी0 की ज्यादतियों की जांच पुलिस महानिरीक्षक, श्री दास और श्री मुस्तफी आजकल कर रहे हैं। यदि आवश्यकता हुयी तो उसकी जांच खुफिया विभाग से भी करायी जायगी।"

[श्री कल्पनाथ सिंह]

और फिर उन्होंने कहा कि :—

"इस सम्बन्ध में पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर में श्री दास और श्री मुस्तफी ने यह कहकर अपनी असमर्थता प्रकट की कि अभी तो उसकी जांच चल रही है और यह मामला विधान सभा में विचाराधीन है"।

सवाल यह है कि आखिर वहां तो यह मामला विचाराधीन था, इसलिए वहां पर पत्रकारों के जवाब साफ नहीं हुये लेकिन आज भी क्या इस सदन में फिरोजाबाद की उन घटनाओं जिन्होंने इस प्रदेश का सिर शर्म से झुका दिया है प्रायश्चित स्वरूप इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था लेकिन लूट हुयी, आगजनी हुयी, लोगों को जिन्दा जलाया गया, स्कूल जलाये गये, मस्जिदें जलायी गयी और इसके बावजूद भी यह सरकार सदन में बने रहना चाहती है। मेरे विचार में इस सरकार को बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इतना ही कहा जायगा कि मुसलमानों के साथ फिरोजाबाद में क्या हुआ ? यह सही है कि वहां पर जो कुछ हुआ वह मुसलमानों के साथ में ही हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि अभी हमारे कार्यालय में एक चिट्ठी उन्नाव से मिली है। मुरादाबाद में क्या स्थिति हुयी। वहां पर 10 आदमी जिन्दा जला दिए गये थे, हरिजन लोग। आजमगढ़ की जो हालत थी, वह भी आपके सामने है बनारस, जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का क्षेत्र है, में क्या हालत हुयी, वह आपके सामने है। गोंडा की जो हालत थी वह आपके सामने है। फैजाबाद की हालत आपके सामने है। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में वह कौन सा जिला भाग्यशाली है जो इस शासन में हरिजनों के ऊपर अत्याचार करने में अपनी होड़ लगा रक्खे हो क्योंकि वह जानता है कि ऐसा शासन उसको दोबारा प्राप्त होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है और इसलिए जो अवांछनीय तत्व समाज के दबे हुए और कमजोर वर्ग पर हमला बोल रहे हैं उसके पीछे एक भावना छिपी हुयी है। यह अगर ऊंचे लोगों की सरकार है और श्रीमन्, आपको तो याद होगा एक दिन भाषण करते हुए मुख्य मंत्री जी ने मुझसे कहा था कि आप बहुत से आज के लोगों में बड़े हैं लेकिन हमसे छोटे हैं। श्रीमन्, यह उस दृष्टिकोण का परिचायक है जो दृष्टिकोण इस प्रशासन को देहातों में भी, शहरों में भी जनजीवन के दूसरे अगों में भी उस ओर ले जाता है जो छोटे और बड़े आदमी के अन्दर बड़प्पन और हीनता की भावना भरने के लिये पर्याप्त है।

श्री उपाध्यक्ष—

उम्र के बारे में न कहा हो।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

मुझे मान्यवर, स्मरण है। मुख्य मंत्री जी ने भाई कल्पनाथ सिंह से यह कहा था कि आप और बातों में छोटे हो सकते हैं लेकिन बुद्धि में ये हमसे बड़े हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, न जाने कब कहा। हमारे मित्र श्री भगवती सिंह विशारद को यह बात मुबारक। उन मामले में तो मैं उनसे भी छोटा हूं। लेकिन वे तो श्रीमन्, उस हिस्से में इकट्ठे पड़ गई है क्योंकि सत्ता और बुद्धि का बड़ा ताल्लुक हुआ करता है। जो गद्दी पर पहुंच गया वही बुद्धि वाला।

लेकिन श्रीमन्, मैं दूसरा निवेदन करना चाहता था कि आखिर इस प्रदेश में जो इतने हरिजनों के साथ अत्याचार होते चले जा रहे हैं इसका कारण क्या है। आप अगर देखेंगे तो इसके पीछे कारण समझ में आयेगा वह यह कि आज इस प्रदेश का गरीब और कमजोर वर्ग इनके कुकृत्यों के नाते, इनके अक्षम्य प्रशासन के नाते, इनको सामाजिक मान्यताओं के नाते आज इस प्रकार एक ऐसे चक्र से चल रहा है जिसमें छोटे और गरीब और दबे हुये लोग जिनको बराबरी का दर्जा प्राप्त करना चाहिये जिनको इस समाज में एक ऐसे नैतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थान प्राप्त करना चाहिये जो सारे लोगों से बराबरी का दावा कर सके। ऐसा न हो सके इसलिये इस सरकार ने अपने सारे पुलिस के लोगों

को छूट दे रक्खी है कि अगर कोई ऐसी रिपोर्ट लिखाने जाय तो लिखना गुनाह है। श्रीमन्, मैं एक और निवेदन करूंगा। वह निवेदन यह है कि बड़ा दावा है कि जीत लिया मिलिटरी के सारे जवानों की बदौलत और रोज कहते हैं इस बात को। मुझको जो सूचना मिली वह यह है कि यहां के कुछ पुलिस के अफसर बार्डर पर डैपुटेशन में गये हुये थे। इन्होंने संकटकालीन स्थिति में इसी लड़ाई के दौरान पुलिस के कुछ अफसर डैपुटेशन पर बार्डर गये हुये थे और उन अफसरों की नियुक्ति जिस व्यक्ति की होनी चाहिए थी, आज तक नहीं हुई और यह सरकार यह कहती है कि हम यह सहायता कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं और वह कर रहे हैं। इनकी फोर्स के जिन व्यक्तियों ने स्वेच्छा से आफर दिया जो मोर्चे पर जाकर रहे हों, फिर लौटने के बाद आज तक उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। यह इस प्रशासन का एक और जीता-जागता सबूत है।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा और वह निवेदन इस बात के लिये है कि इनका दावा है कि इन्होंने इस प्रदेश में बेकारी, गरीबी को दूर करने का फैसला किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार आखिर यह कहती है कि गन्ने का उत्पादन कम हुआ इसलिये चीनी कम हुई, महंगाई बढ़ गई, गल्ले का उत्पादन कम हुआ और सूखा इस समय मौजूद है। इस सरकार को कौन सा ऐसा औचित्य प्राप्त है कि जिस औचित्य के नाते यह सरकार इस बात के लिये कह सकती है कि हमने बढ़ती हुई कीमतों को रोकने में सफलता प्राप्त की है। बढ़ती हुई कीमतों को रोकने की जो स्थिति है —गेहूं अब 100 रु0 क्विन्टल, के ऊपर जा रहा है। चावल के दाम 25 से 30 प्रतिशत बढ़ गये हैं दाल में करीब-करीब 30 से 40 प्रतिशत तक कीमतें बढ़ गई है बाजार में। तेल की यही हालत है और चीनी श्रीमन्, यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि चीनी का स्टाक कम पैदा हुआ इसलिये यह महंगाई रहेगी। मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इस सरकार ने एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई को नहीं रोका है और महंगाई की हालत दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही है। महंगाई में आप देखें इस सरकार ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने कपड़ों के दूकानों को इसने बन्द कराया जो छपी हुई कीमतों पर कपड़ा नहीं बेंचते हैं। आज लोगों को छपी हुयी कीमतों के मुताबिक बाजार में कपड़ा नहीं मिल रहा है। यहां तक छपी हुई कीमत पर तो दियासलाई भी नहीं मिलती है। सरकार ने यह भी जानने का प्रयास नहीं किया कि दवा मिल रही है कि नहीं जो प्राइस फिक्स्ड की है उसके आधार पर। साइकिल के टायर बाजार से गायब, मोटर के टायर पर बेतहाशा ब्लैक, कपड़े पर कीमत बढ़ी हुई है। ईटों की हालत यह है कि 80–85 हजार मिल रहा है, मेरे एक साथी कह रहे हैं कि 100 रु0 से ऊपर बिक रहा है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि कौन सी कीमत घटाई। हमारे मित्र भानुप्रताप सिंह जी कहते हैं कि ईमान की घटाई है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कहां विकता है, किस बाजार में....

श्री कल्पनाथ सिंह—

यहीं बिकता है हजरतगंज में, कपूर होटल में। मैंने सुना है पटना में बिकता है, मैंने सुना है उड़ीसा में बिकता है जहां-जहां बिका वहीं-वहीं की सरकार गई। अगर श्रीमन्, डी0 एम0 के0 का भी ईमान बिक गया होता तो वह न आ पाती। लेकिन वहां अभी ईमान कायम है। ईमान खरीदने का जितना काम है, वह इस दल ने किया है उपाध्यक्ष महोदय ने ठीक याद दिला दिया। अन्यथा जिस दिन चुनाव हुआ था, शायद उधर 80 से ज्यादा लोग नहीं थे और आज कहते हैं कि हम 280 हैं। तो यह 200 कहां से आये। मान्यवर, उस सरकार को यहां रहने का क्या हक है जिसका बहुमत ही दलबदलुओं का बहुमत है। जो दलबदलू सरकार है, उसको इस सदन में बैठने का क्या हक है। मान्यवर, उसको एक सेकेन्ड भी यहां बैठने का हक नहीं है।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

श्रीमन् एक बात और इस प्रसंग में कह देना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी जब तशरीफ ले आये तो उन्होंने इस सदन में कहा था, अगर मैं भूलता नहीं हूं तो, कि अगर उधर के बैठने वाले नहीं चाहते हैं तो मैं चुनाव करा सकता हूं या हट सकता हूं. . . .कुछ इस तरह की बात कही थी। शायद धमकी दी थी, या तथ्य कहा था लेकिन यह कहा था--जहां तक मेरी स्मरण शक्ति काम देती है--कि अगर विरोधी दल चाहे तो इस प्रदेश का चुनाव हो सकता है। मैं यह कहने के लिये खड़ा हूं कि आज चारों विरोधी दलों की तरफ से अविश्वास का प्रस्ताव आया है। अब इसके बाद विरोधी दल क्या कहेगा, कौन सी बात कहेगा। मान्यवर, इसीलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिनमें सोचने की बुद्धि है आत्म सम्मान है, देश प्रेम है उनसे मेरी प्रार्थना है की ऐसी दलबदलू सरकार, ऐसी भ्रष्ट और निर्लज्ज सरकार जितनी जदी चली जाय, उतनी जल्दी इस देश और प्रदेश का कल्याण होने वाला है। श्रीमन्, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जैसा कि मैं अभी कह रहा था, आज कीमतें दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। मैं दोहराता हूं कि आज उत्पादन घटाने का पूरा प्रयास सरकार की तरफ से हो रहा है--खासतौर से कृषि उत्पादन घटाने का प्रयास हो रहा है। आज श्रीमन्, हालत क्या है? आज हालत यह है कि केन्द्रीय सरकार ने डीजल पर टैक्स लगाया है। केन्द्र और प्रदेश, दोनों सरकारों ने मिलकर ट्रैक्टर पर टैक्स लगाया है।

## सदन में पानी और बिजली की कमी

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, पियासे बैठे हैं--पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री राम विलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, प्रस्ताव आते ही सरकार का पानी खत्म हो गया।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं देख रहा हूं कि यह दुर्व्यवस्था है लेकिन अब तो साढ़े सात मिनट ही शेष रह गये हैं। पूरे सचिवालय में बिजली और पानी नहीं है। हमारे कमरे में भी नहीं है। लेकिन अब तो सात मिनट रह गये हैं। अब कोई प्रबन्ध नहीं हो सकता। लेकिन जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनको पानी पिलाया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, सरकार की इस बदइंतजामी के खिलाफ जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह आज पानी पियेंगे ही नहीं। आपकी कृपा के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि कृषि उत्पादन के जितने भी साधन है जैसे खाद, पानी, बिजली, बीज, लोहा आदि जितनी भी चीजें हैं दिन पर दिन उनको महंगा करना शुरू कर दिया. .

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

क्या आप गोरखपुर के लिये सस्ता बीज चाहते हैं?

श्री कल्पनाथ सिंह--

आप बलिया के निवासी हैं, मालूम हुआ। बलिया में लगता है गगरी का मेला। वहां गाएं सस्ती मिलती हैं। उनकी कीमत माननीय सदन बढ़ाना चाहे तो बढ़ा ले। खरीददार लोग तो जाते ही रहते हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

उस मेले में गोरखपुर से गाएं बिकने जाती हैं।

## मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव—(क्रमागत)

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, आपने तो लाल बत्ती जला दी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब पांच मिनट ही रह गये हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, थोड़ा समय और दे दीजिए। पन्द्रह मिनट और दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

पांच मिनट तो आज ले लीजिए। दस मिनट के लिए फिर कल देखा जायगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज खेती के उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ा दी, मिल के उत्पादन की कीमत बढ़ा दी। तो हर हालत में प्रदेश का जो 75–80 प्रतिशत किसान है, वह मारा जाएगा। जब किसान मारा जायगा तो इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। ऐसी सरकार किसान बिरोधी सरकार है जिसने ऐसे किसानों के ऊपर लगातार इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा रखे हैं। ऐसी सरकार को बने रहने का क्या अधिकार है? इन्होंने किसानों के ऊपर न केवल लैण्ड डेवलपमेन्ट टैक्स लगाने का फैसला किया है बल्कि एक नया सिगूफा और छोड़ने का फैसला किया है और वह है बन्दोबस्त नाम की चीज और उसका मतलब क्या है? लोगों को इस भ्रम में डालने का प्रयास किया गया है कि बन्दोबस्त इस बात के लिये होगा कि शायद कागज में कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो वह दुरुस्त हो जायगी। लेकिन श्रीमन् जहां चकबन्दी हो चुकी है, रिकर्ड आपरेशन का काम हो चुका और जहां अब इस प्रदेश में बहुत कम ऐसे जिले रह गये हैं जहां चकबन्दी हो, लेकिन अब वहां सारे प्रदेश में सभी जिलों में जो बन्दोबस्त का षड़यन्त्र लगाया जा रहा है उससे एक तरफ तो सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसान लुट सकते हैं और दूसरी तरफ स्वयं सरकार उनको लूट कर अपने खजाने को भरने की कोशिश कर रही है।

राजस्व मंत्री जी ने उस दिन कहा था कि लगान में या मालगुजारी में जो विषमता है उसको समाप्त करना चाहते हैं। और इसीलिये बंदोबस्त कराना चाहते हैं। मैं आपसे श्रीमन्, निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार भूमि कानून में ऐसा संशोधन कर दे कि इस प्रदेश में जो सबसे कम लगान का औसत है उसी पर सारे लोगों पर लगान या मालगुजारी लगा दी जायगी चाहे उनका लगान या मालगुजारी कितनी ही ज्यादा क्यों न हो। सवाल खत्म हो, हमारा सहयोग आपको प्राप्त हो जाय। आप बिल ले आइये, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन नहीं, इनका दूसरा है। यह अब गांव-गांव में चकबन्दी अफसर को भेजेंगे गांव में देखेगा कि कितने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगे हैं या क्या-क्या हो रहा है। जिसने पांच हजार या दस हजार रुपया लगाकर ट्यूबवेल लगवाया या जिसने सिंचाई के साधन मुहैय्या कर लिये उसने बड़ा गुनाह कर दिया क्योंकि जब इस मुल्क के सबसे अधिक प्रिय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने "जय जवान, जय किसान" का नारा दिया उससे प्रभावित होकर किसानों ने उत्पादन शुरू कर दिया तो अब इनकी आंख किसान पर लगे बगैर रह नहीं सकी और अब यह जमीन का क्लासिफिकेशन करायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

**देवकी नन्दन मित्थल,**
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
2 अगस्त, 1972।

## नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 48 का उत्तर पीछे पृष्ठ 813 पर)

राजकीय नहरों पर वर्तमान दरों की तालिका

| फसल का नाम | अनुसूची 1 | अनुसूची 2 | अनुसूची 3 |
|---|---|---|---|
| | | (रु0 प्रति एकड़) | |
| गन्ना .. .. | 50 | 25 | 10 |
| धान .. .. | 17.50 | 12.50 | 4 |
| आलू .. .. | 37.50 | 25.00 | 10 |
| तम्बाकू .. .. | 20 | 15 | .. |
| बगीचे, पोस्ता, सब्जी .. | 17.50 | 12.50 | 4 |
| गेहूं व जौ .. .. | 15 | 12.50 | 4 |
| कपास .. .. | 5.62 | 3.75 | 2 |
| हरी खाद .. .. | 2.50 | 2.50 | 2 |
| अन्य खरीफ .. .. | 8.75 | 6.25 | 4 |
| अन्य रबी .. .. | 11.25 | 6.25 | 4 |

नोट—ऊपर दी हुई दरें तोड़ (flow) सिंचाई की हैं।

डाल सिंचाई की दरें इसकी आधी हैं।

### लिफ्ट नहरों पर वर्तमान दो भागीय दरें

**(क) बिजली से चालित पम्प नहरों पर**

(1) 20 रु0 प्रति एकड़ निश्चित शुल्क
(15 रु0 रबी में तथा 5 रु0 खरीफ में)

(2) प्रति सिंचाई रबी तथा अन्य खरीफ के लिये
8 रु0 प्रति एकड़ व गन्ना तथा धान के लिये 10 रु0 प्रति एकड़।

**(ख) डीजल से चालित पम्प नहरों पर**

(1) 30 रु0 प्रति एकड़ का निश्चित शुल्क
(20 रु0 रबी तथा 10 रु0 खरीफ में)

(2) प्रति सिंचाई रबी तथा अन्य खरीफ के लिये
9 रु0 प्रति एकड़ तथा गन्ना व धान के लिये 11 रु0 प्रति एकड़।

# नत्थी 'ख'

( देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 818 पर)

## प्रपत्र 'क'

जनपद मुजफ्फरनगर में 1970–71 में विभिन्न शीर्षकों में प्रदत्त धनराशियों एवं व्यय का विवरण पत्र—

| आय-व्ययक शीर्षक | मूल अनुदान 1970–71 | अन्तिम अनुदान 1970–71 | बचत/आधिक्य की धनराशि (कालम दो और तीन का अन्तर) |
|---|---|---|---|
| 103–सा0 नि0 कार्यों पर पूंजी परिव्यय | | | |
| आयोजनागत–संचार साधन .. | 15,17,200 | 15,14,700 | (–) 2,500 |
| भारित (चार्ज्ड) .. | 600 | 600 | — |
| 103–सा0 नि0 कार्य मूल निर्माण कार्य-भवन | | | |
| आयोजनागत .. .. | 8,95,300 | 2,29,500 | (–) 6,65,800 |
| " .. .. | 3,29,800 | 35,600 | (–) 2,94,200 |
| आयोजनेतर | | | |
| 52–सा0 नि0 कार्य-भवन-आयोजनेतर | 18,000 | 18,000 | — |
| 52–सा0 नि0 कार्य-भवन–आयोजनेतर | 13,000 | 18,700 | (+) 5,700 |
| 50–सा0 नि0 कार्य-भवन-आयोजनागत .. | 24,200 | — | (–) 24,200 |
| 50–सा0 नि0 कार्य-संचार साधन-यू0पी0 आर0 एफ0 .. .. | 2,82,000 | 1,42,000 | (–) 1,42,000 |
| " .. | 4,00,000 | 25,000 | (–) 3,75,000 |
| राज्य पुल निधि | | | |
| रेलवे सुरक्षा निधि .. .. | 5,00,000 | 8,00,000 | (+) 3,00,000 |
| 50–सा0 नि0 कार्य-मरम्मत-भवन-आयोजनेतर | 6,000 | 6,000 | — |
| 50–सा0 नि0 कार्य-सड़कों की मरम्मत एवं अनुरक्षण .. .. | 13,36,700 | 13,36,700 | — |
| 39—प्रकीर्ण .. .. | 2,700 | 2,700 | — |
| योग .. | 53,25,500 | 41,29,500 | (–) 11,96,000 |

## प्रपत्र 'ख'

जनपद मुजफ्फरनगर में 1971–72 में विभिन्न शीर्षकों में प्रदत्त धनराशियों और व्यय का विवरण—

| आय-व्ययक शीर्षक | मूल अनुदान 1971–72 | अन्तिम अनुदान 1971–72 | बचत की धनराशि (कालम 2 और 3 का अन्तर) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103–सा 0 नि 0 कार्यों पर पूंजी परिव्यय आयोजनागत–संचार साधन .. | 12,01,700 | 6,93,200 | (–) 5,08,500 |
| आयोजनेतर .. .. | 2,60,000 | 2,60,000 | — |
| 103–सा 0 नि 0 कार्य-भवन-आयोजनागत | 1,90,000 | 1,16,400 | (–) 73,600 |
| भवन आयोजनेतर .. .. | 9,36,100 | 4,05,000 | (–) 5,31,100 |
| 52–सा 0 नि 0 कार्य-भवन-आयोजनागत .. | 31,500 | 51,700 | (+) 20,200 |
| भवन आयोजनेतर .. .. | 91,600 | 40,000 | (–) 51,600 |
| 50–सा 0 नि 0 कार्य-भवन-आयोजनागत .. | 5,16,500 | 2,32,600 | (–) 2,83,900 |
| 50–सा 0 नि 0 कार्य-संचार साधन-आयोजनेतर यू 0 पी 0 आर 0 एफ0 .. .. | 5,85,000 | 2,70,000 | (–) 3,15,000 |
| राज्य पुलिस निधि .. .. | 9,00,000 | 5,000 | (–) 9,85,000 |
| 50–सा 0 नि 0 कार्य-सी 0 आर 0 एफ0 .. | 2,000 | 29,400 | (+) 27,400 |
| 50–सा 0 नि 0 कार्य रेलवे सुरक्षा निधि .. | 8,50,000 | 4,10,000 | (–) 4,40,000 |
| 50–सा 0 नि 0 कार्य-संचार साधन-आयोजनेतर-मरम्मत तथा अनुरक्षण .. | 20,11,800 | 20,11,800 | — |
| 50–सा 0 नि 0 कार्य-मरम्मत भवन-आयोजनेतर | 4,000 | 6,500 | (+) 2,500 |
| 39–प्रकीर्ण–आयोजनागत .. | 5,800 | 5,800 | — |
| 109–कैपिटल आउटले .. .. | 1,95,800 | 1,95,800 | — |
| योग .. | 77,81,800 | 47,33,200 | 30,48,600 |

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 146 एल0 ए0–1973—835.